बुधवार,
२६ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, २६ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ब्रह्मा सरकार की सेवा से सेवामुक्त किये गये भारतीय

*६६९. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मा सरकार की सेवा से सेवामुक्त किये सभी भारतीय प्रजाजन केवल राष्ट्रीयता के आधार पर ही सेवामुक्त किये गये थे ?

(ख) भारत सरकार द्वारा कितने ऐसे सेवामुक्त व्यक्तियों को सेवायुक्त किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) प्रायः सभी भारतीय प्रजाजन जो सेवामुक्त किये गये हैं, राष्ट्रीयता के आधार पर ही सेवायुक्त किये गये हैं ।

(ख) निश्चित आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं और उन के एकत्रित करने में समय तथा श्रम लगाना उचित नहीं होगा । ३०-६-१९५२ को सेवा योजनालय के रजिस्टरों में केवल मात्र २२७ ब्रह्मा सरकार के भूतपूर्व कर्मचारियों के नाम पंजीबद्ध थे । इस से

यह विदित होगा कि अधिकांश सेवा मुक्त व्यक्तियों को भारत में सरकार द्वारा अथवा निजी संस्थाओं द्वारा किसी न किसी रूप में पुनः सेवायुक्त कर लिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार को उन व्यक्तियों की संख्या विदित है जिन को राष्ट्रीयता के आधार पर सेवामुक्त किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमने ब्रह्मा स्थित स्रोतों से जांच की है पर अभी तक हमें संख्या ज्ञात नहीं हो पाई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन में से किसी को ब्रह्मा राजसेवा में रहने दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जिन्होंने ब्रह्मा की राष्ट्रीयता प्राप्त करना पसन्द किया है उनको सेवायुक्त रहने दिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह केवल मात्र उनकी इच्छा का प्रश्न था व शर्तें निर्धारित कर दी गई थी ? क्या उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जो सन् १९४२ से आठ वर्ष पहले से वहां रह रहे थे, व सरकार से कोई प्रतिनिधान किया गय था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास ब्यौरा नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : उस प्रतिनिधान का क्या परिणाम निकला ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ब्रह्मा सरकार से कोई प्रतिनिधान किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारी सूचना में नहीं है श्रीमान् ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या सरकार के पास कोई सूचना है कि इन में से कितने व्यक्तियों ने ब्रह्मा की नागरिकता स्वीकार कर ली है ?

अध्यक्ष महोदय : उन के पास कोई सूचना नहीं है और न उन के पास आंकड़े हैं ।

श्री वीरस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि मदरास राज्य के कितने भारतीय नागरिक ब्रह्मा सरकार की सेवा से सेवामुक्त कर दिये गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या सरकार को विदित है कि अब ब्रह्मा सरकार कुछ विशिष्ट पदों पर भारतीय प्रजाजनों को नियुक्त कर रही है और इस हेतु उस ने एक नियोग हाल ही में भारत भेजा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, श्रीमान्, वह विशेषतया डाक्टर चाहती थी, और मुझे विश्वास है, कि उन में से बहुत से ठेका प्रणाली पर चले गये हैं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या इन व्यक्तियों को ब्रह्मा जाने और इन पदों पर सेवायुक्त होने के लिए सरकार द्वारा कोई सुविधायें दी गई हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जब नियोग यहां आया था तो हम ने उसे डाक्टरों को प्राप्त करने में सहयोग दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस से पूर्व ही इस सदन में स्पष्ट की जा चुकी है

अतिरेक रक्षा भंडार

*** ६७०. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मंत्रालय द्वारा सन् १९५१-५२ और १ अप्रैल, १९५२ से अब तक की अवधि में बेचे गये अतिरेक रक्षा भांडारों का मूल्य क्या था ; तथा

(ख) क्या बेची गई वस्तुओं में से कोई वस्तुएं वस्त्रादि, रद्दी स्टील और कतरनें जैसी नियंत्रित वस्तुएं थीं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) पहले भाग के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य का ध्यान ८ जुलाई, १९५२ के माननीय सदस्य के प्रश्न संख्या १५२० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाऊंगा ।

१ अप्रैल, १९५२ से ३१ अक्तूबर, १९५२ तक की अवधि में बेचे गये अतिरेक रक्षा भांडारों का पुस्त मूल्य ४·८३ करोड़ रुपया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् :

सरदार हुक्म सिंह : अभी बेचे जाने वाले भांडारों का कुल पुस्त मूल्य कितना है ?

श्री बुरागोहिन : अभी मौजूद अतिरेक भांडारों, अमरीकन अतिरेकों और असैनिक भांडारों सहित का कुल पुस्त मूल्य ३५·१४ करोड़ रुपया है ।

सरदार हुक्म सिंह : गत १२ महीनों में अतिरेक घोषणाओं की परिमात्रा कितनी थी ?

श्री बुरागोहिन : मैं गत १२ महीनों के आंकड़े तो दे नहीं सकता हूं ; परन्तु मैं समस्त सन् १९५१-५२ के आंकड़े दे सकता हूं । वह संख्या १५ करोड़ रुपये थी । १-४-५२ से ३१-१०-५२ तक की अवधि

की घोषणाओं का पुस्त मूल्य ३·७७ करोड़ है।

सरदार हुक्म सिंह : रसद विभाग का इस उत्सर्जन शाखा के संधारण के सम्बन्ध में हुए व्यय के क्या कोई प्रथक आंकड़े रखे गये हैं ?

श्री बुरागोहिन : जी हां, रसद तथा उत्सर्जन महाअधिदेश में एक प्रथक शाखा है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या इस शाखा के व्यय का कोई प्रथक लेखा रखा जाता है, और यदि, हां, तो इस अवधि में कितना व्यय हुआ था ?

श्री बुरागोहिन : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये।

श्री वी० पी० नायर : इन अतिरिक्त भांडारों का कितना प्रतिशत भाग घोषित नीलामों द्वारा और कितना प्रतिशत भाग परस्पर सौदे तै करके बेचा गया ?

श्री बुरागोहिन : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं, श्रीमान्।

भारत में प्रथम बार बनाई गई वस्तुएं

*६७१. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय की विकास शाखा द्वारा दी गई सहायता तथा प्रोत्साहन के फलस्वरूप क्या भारत में गत १२ महीनों में कोई नई वस्तुऐं प्रथम बार बनाई गई थीं ?

(ख) यदि हां, तो वह क्या थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) वस्तुओं की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५.**]

सरदार हुक्म सिंह : गत वर्षों में इन वस्तुओं के आयात पर हमें कितना विदेशी खर्च करना पड़ा था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किन वस्तुओं पर, श्रीमान् ?

सरदार हुक्म सिंह : उन पर जिनको हम यहां भारत में प्रथम बार बना रहे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है श्रीमान्, कि यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : इन वस्तुओं के भारत में बनाये जाने लगने से कितने विदेशी विनिमय की बचत हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, कि क्या गत बारह महीनों में भारत में कोई वस्तुएं प्रथम बार बनाई गई हैं। वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। हम ने जो सहायता दी है वह प्रत्येक वस्तु के अनुसार विभिन्न है। मुझे खेद है श्रीमान्, कि माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना देना मेरे लिए संभव नहीं होगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी विदेशी फ़र्मों ने इन वस्तुओं का बनाना प्रथम बार प्रारम्भ किया है या यह सब भारतीय स्वामित्व की हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि किन वस्तुओं को सरकार से सहायता प्राप्त हुई है और सरकार ने उन पर कितना व्यय किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न समझ नहीं सका श्रीमान्।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं ज्ञात कर सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या इन वस्तुओं का निर्माण परिव्यय, जिनका बनाना हाल ही

में प्रारम्भ किया गया है, आयातित माल के मल्य से कम है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से बहुत दूर का सम्बन्ध है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ज्ञात कर सकत हूं श्रीमान्, कि क्या इन सभी वस्तुओं का परीक्षण किया गया है और उनको आयातित माल के स्तर का या उन के बराबर के स्तर का पाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : गुण प्रकार का परीक्षण करने के दो तरीके हैं । एक प्रकार से परीक्षण करने का काम अलीपुर परीक्षण केन्द्र का है । यह अनिवार्य रूप से उस समय किया जाता है जब सरकार अपनी भांडार आवश्यकताओं के लिए निर्मित वस्तुएं क्रय करती है। इस के लिए प्रत्येक वस्तु को परीक्षण के लिए अलीपुर परीक्षण केन्द्र को भेजना होता है। दूसरी प्रणाली भारतीय प्रमाप संस्था द्वारा प्रमाप का निर्धारण है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वस्तुएं उस प्रमाप के अनुसार हों । हमने क़रीब ५० वस्तुओं को प्रदान किया है, और मेरे लिये यह कहना, कि उन में से कितनों का परीक्षण हुआ है, और निर्मित वस्तु के कौन से भाग का परीक्षण किया गया है, बहुत कठिन है। यह एक बहुत ही व्यापक प्रकार का प्रश्न है और मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं ।

पुरानी मोटर कारों का आयात

*६७२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री पुरानी मोटरकारों के आयात के सम्बन्ध में ३० जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करके डालर तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से सन् १९५१-५२ में आयात की गई पुरानी मोटरकारों की संख्या जो कि आने के तुरन्त पश्चात बेच दी गई थी, बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से निजी सामान के रूप में आयात की गई पुरानी मोटर कारों की बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं था, अतः यह बतलाना, कि उनमें से कितनी कारें भारत में आने के तुरन्त बाद ही बेच दी गई थी, संभव नहीं है ।

डालर क्षेत्रों से यात्रियों को इस प्रतिज्ञा-लेख्य के लिखने पर, कि वह एक वर्ष तक कार नहीं बेचेंगे और उस एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर इस बात का प्रमाण देंगे कि कार अब भी उन के पास थी, भारत में पुरानी मोटरें लाने की अनुमति है । इस क़रार के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में अभी तक नहीं आया है ।

धातुकर्मिक कोयला

*६७३. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि धातुकर्मिक कोयले की विशिष्ट श्रेणियों के उत्पादन की एक उच्च सीमा निश्चित कर दी गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो सीमा क्या है और इसे किस प्रकार निश्चित किया जाता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां, सन् १९५२ और १९५३ के लिए ।

(ख) सन् १९५२ में ७९ लाख टन और सन् १९५३ में ७४ लाख टन । कोयला पर्षद् ने सन् १९२० के उत्पादन और सन् १९५२ के प्राक्कलित सामान्य उत्पादन का विचार करते हुए प्रत्येक कोयला खान के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर दिये

हैं। प्रत्येक कोयला खान के लिए अथवा एक ही स्वामित्व वाली या एक ही प्रबन्ध अभिकरण के अधीन खानों के एक ग्रुप के लिए माल डब्बों की संख्या कोयले के उत्पादन के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि धातु कर्मिक कोयले के उत्पादन की इस अधिकतम सीमा के निर्धारित किये जाने के पश्चात क्या कोयला खानें निम्न श्रेणी के कोयले के उत्पादन को बढ़ाने में स्वतंत्र होंगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : कुछ निश्चित सीमाओं में कुछ अवधि तक के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की चुनी हुई क़िस्मों के स्थान पर अन्य क़िस्मों के कोयले के उत्पादन के लिए कोयला खानों को कुछ स्वतंत्रता दे दी गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने कोयला खनिकों की उस संख्या का अनुमान लगाया है जिनके इस अधिकतम सीमा के निर्धारित हो जाने से छंटनी कर दिये जाने की संभावना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सीमा को इस प्रकार निर्धारित किया जा रहा है जिस से कि श्रमिकों की अधिक छंटनी न करनी पड़े।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह अधिकतम सीमा गत कई वर्षों में हुए धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन की तुलना में कैसी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह तो मैं नहीं बता सकता कि गत कई वर्षों के उत्पादन की तुलना में यह कैसी उतरती है, परन्तु सन् १९५२ के आंकड़े सन् १९५० के आंकड़ों की तुलना में १०८ प्रतिशत है और सन् १९५३ के आंकड़ों के सन् १९५० के आंकड़ों के बराबर होने की प्रत्याशा है।

श्री ए० सी० गुहा : यदि तथ्य यह है कि खपत में कमी होने के स्थान पर उत्पादन में वृद्धि हो गई है तो मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या धातुकर्मिक कोयला जांच समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार ने उक्त समिति की सिफ़ारिशों का सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है, परन्तु वास्तविक कार्यान्विति करते समय कुछ कठिनाइयां उठ खड़ी हुईं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब सरकार द्वारा एक व्यवहारिक सीमा निर्धारित कर दी गई है।

श्री टी० एन० सिंह : : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि धातुकर्मिक कोयले का वितरण किस आधार पर किया जाता है, और इसे निर्धारित करने में क्या कसौटी काम में लाई जाती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस कोयले का अधिकांश भाग धातुकर्मिक कार्यों में काम में लाया जाता है, पर इतने पर भी कुछ कोयला बच जायेगा और इसे अधिकतर निर्यात कर दिया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कोयला खानों को भी इस व्यवस्था में सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां श्रीमान्।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या निर्धारित उत्पादन सीमा श्रमिकों पर प्रभाव डालेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस से श्रम पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नक़ली रेशम का धागा (आयात अभ्यंश)

*६७४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री चालू वर्ष के

परार्द्ध के लिए नक़ली रेशम के धागे के आयात अभ्यंश को बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जुलाई-दिसम्बर १९५२ की अनुज्ञापन अवधि के लिए नक़ली रेशम के धागे की आयात अनुज्ञप्तियां इन को दी जायेंगी :

(१) बम्बई, अमृतसर और कलकत्ता की तीनों नक़ली रेशम मिल संस्थाओं को; तथा

(२) नक़ली रेशम का कपड़ा बनाने वाली उन मिलों को, जो उक्त संस्थाओं की सदस्य नहीं हैं, सम्बन्धित राज्यों के उद्योग संचालकों तथा वस्त्र आयुक्तों के प्रमाणपत्रों के आधार पर उनकी वास्तिवक आवश्यकताओं के आधार पर ।

डा० राम सुभाग सिंह : हमारी वास्तविक वार्षिक आवश्यकता क्या है ?

श्री करमरकर: हमारे वास्तिवक वार्षिक आयात इस प्रकार थे :

१९४९-५० १०.४६ करोड़ रुपये के मूल्य का
१९५०-५१ १४.७१ करोड़ रुपये के मूल्य का
१९५१-५२ १७.२९ करोड़ रुपये के मूल्य का

औसत इन तीनों आंकड़ों का ही औसत होगा ।

डा० राम सुभग सिंह: हमारे देशीय उत्पादन का परिणाम क्या है ?

श्री करमरकर : देशी उत्पादन के, जो अभी हाल में शुरू हुआ है, हमारी ४५० लाख पौंड की वार्षिक आवश्यकता में से १०० लाख पौंड होने की आशा है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विदेशों से आयात किया गया नक़ली रेशम का धागा देश में उत्पादित धागे से सस्ता बैठता है

श्री करमरकर : यह बात मैं वैसे ही अटकल से नहीं बता सकता हूं, परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारे देशी सूत का उचित मूल्य देने का एक प्रयत्न किया गया था ।

फ़िजी में भारतीय

* **६७५. श्री पी० टी० चाको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फ़िज़ी में रहने वाले भारतीयों की अनुमानित संख्या ;

(ख) क्या निवासस्थानीय टैक्स प्रणाली ने उन पर दुष्प्रभाव डाला है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सन् १९५१ में, भारतीय उभ्दव के व्यक्तियों का अनुमान १,४३,००० के लगभग थी ।

(ख) और (ग) निवासस्थानीय टैक्स समस्त फ़िज़ी निवासियों पर लगाया जाता है, परन्तु उन में से जो व्यक्ति आयकर देते हैं वह निवासस्थानीय टैक्स को वापस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि फ़िजी के अधिकांश भारतीय निवासी आयकर नहीं देते हैं, अत: निवासस्थानीय टैक्स से राजस्व में वही सब से अधिक अंशदान देते हैं । जहां कहीं भी इस टक्स से कठिनाई होने की संभावना होती है वहां इस टैक्स से विमुक्ति दे दी जाती है । सन् १९४८ में यह टैक्स संयुक्त राष्ट्र इंगलैंड से होने वाले पत्र व्यवहार का विषय थी। इस पत्र व्यवहार में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था कि इस प्रकार के करारोपण का मुख्य भार भारतीयों पर पड़ता था, परन्तु फ़िज़ी सरकार ने, उपनिवेश की आर्थिक परिस्थितियों के कारण, इसे हटाने में अपनी असमर्थता प्रकट की । तो भी उस ने कहा है कि इस टैक्स से विमुक्तियों की संख्या हाल ही के वर्षों में बढ़ गई है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि फिज़ी में निवास करने वाली भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग इस टैक्स को दे रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा मैं ने निवेदन किया, अधिकांश भारतीय आयकर नहीं देते हैं अतः वह इस टैक्स को देने के लिये बाध्य हैं ।

श्री पी० टी० चाको : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारतीय वस्त्रों की फिजी के भारतीयों में अधिक मांग है, और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार भारतीय वस्त्रों को फ़िजी निर्यात करने के लिये कोई विशेष सुविधायें दे रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : क्या यह अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री दाभी : फ़िजी में रहने वाले भारतीयों को पूर्ण नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जिन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है उनको प्राप्त हैं ?

श्री वेंकटारमन : क्या यह तथ्य है कि फ़िजी में रहने वाले भारतीयों को भूमि अजन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन को वहां भूमि अजन करने की मनाही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे पूर्व सूचना चाहिये :

श्री दामोदर मेनन : क्या उन भारतीयों को भी, जिन्होंने फ़िजी की नागरिकता प्राप्त कर ली है यह निवासस्थानीय कर दना पड़ता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जो आय कर नहीं देते हैं उन सभी को, वह चाहे किसी भी देश या जाति के क्यों न हों, यह कर देना पड़ता है ।

श्री नानादास : फ़िजी में रहने वाले भारतीय अधिकांशतया किस भाषा विभाग से सम्बन्ध रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या फ़िजी में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि है ?

श्री अनल० के० चन्दा : वहां हमारा एक आयुक्त है ।

श्री सी० आर० चौधरी : वह किस भाषा विभाग से सम्बद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भाषा विभाग वाले प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

कनाडा को भारतीय प्रवासन

*६७६. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) स्थायी निवास के लिये भारतीयों को किस सीमा तक कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति है ;

(ख) क्या भारतीयों को कनाडा की राष्ट्रीयता प्राप्त करने की अनुमति है, और यदि है, तो किस शर्तों पर ; तथा

(ग) यह देखने के लिये, कि कनाडा में निवास करने वाले भारतीयों के स्वामित्व अधिकारों की कनाडा सरकार द्वारा रक्षा की जाती है, क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जनवरी, १९५१ में भारत तथा कनाडा की सरकारों के मध्य हुए क़रार के अनुसार, प्रतिवर्ष १५० भारतीयों को, यदि वह कनाडा के उत्प्रवासन अधिनियम के उपबन्धों का पालन करते हैं स्थायी निवास के लिये कनाडा आने दिया जायेगा । उपरोक्त के अतिरिक्त, कनाडा

के नागरिकों के पतियों, पत्नियों अथवा २१ वर्ष से कम आयु वाले बालकों को स्थायी निवास के लिये स्वीकृत किया जाता है यदि (१) वह कनाडा के उत्प्रवासन अधिनियम के उपबन्धों का पालन करते हैं, तथा (२) उनके संस्थापन सम्बन्धी प्रबन्ध कनाडियन अफसरों को ठीक तथा सन्तोषजनक प्रतीत हों।

(ख) जी हां, कनाडियन नागरिकता अधिनियम, १९४६ की धारा १०(१) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर। इस धारा की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]

(ग) जहां तक भारत सरकार को विदित है कनाडा में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को सम्पत्ति के अर्जन, संधारण अथवा विक्रय के सम्बन्ध में किसी निर्योग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है। अतः उनके हितों की रक्षा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन १५० भारतीयों का चुनाव, जिन को प्रति वर्ष कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, भारत सरकार द्वारा किया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा: जी नहीं, यह कार्य कनाडा के अधिकारी करते हैं।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि अब भी कनाडा में ऐसे भारतीय स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं जिन को मताधिकार—नगरपालिका तथा संघीय—सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, परन्तु यदि उन्होंने कनाडा की नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं किये हैं तो स्पष्टतः वह मताधिकार सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह क़रार किसी विशिष्ट अवधि के लिये है ?

श्री० अनिल के० चन्दा: मुझे कोई ज्ञान नहीं है।

पंडित लिंगराज मिश्र: क्या इस १५० की संख्या में परिवार के अवयस्क बालक भी आ जाते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: २१ वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस १५० की संख्या के अतिरिक्त अनुमति दी जाती है।

शार्क मछली का तेल

*६७७. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) देश में प्रति वर्ष कितना शार्क लिवर आयल (शार्क मछली का तेल) उत्पादित होता है, तथा

(ख) क्या सरकार ने इस तेल के उत्पादन को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ९००० गैलन के लगभग।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

श्री वी० पी० नायर: विटामिन ए और डी की मात्रा में भारत में उत्पादित शार्क मछली का तेल आयात किये गये काड लिवर आयल की तुलना में कैसा है ?

अध्यक्ष महोदय: अच्छा होता यदि यह प्रश्न किसी विशेषज्ञ से पूछा जाता।

श्री वी० पी० नायर: क्या पंचवर्षीय योजना में भारतीय शार्क लिवर आयल के

उत्पादन में वृद्धि करने की कोई योजना रखी गई है, यदि हां, तो योजना में क्या लक्ष्य प्रस्थापित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । पहले योजना को आने तो दीजिये । वह आ रही है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि कुछ प्रयोगशालाओं में शार्क मछली के तेल में अन्य प्रकार के तेलों का अपमिश्रण करके उसे खराब कर दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं श्रीमान्, इस देश में आयात किये जाने वाले उस कांड मछली के तेल का मूल्य ज्ञात कर सकता हूं जिस के स्थान पर शार्क मछली का तेल बहुत सफ़लतापूर्वक काम में लाया जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मुझे ज्ञात नहीं कि शार्क मछली के तेल को आयात किये जाने वाले काड मछली के तेल के स्थान पर सफ़लता पूर्वक काम में लाया जा सकता है या नहीं । मैं सदन को काड लिवर आयल के आयातों के आंकड़े दे सकता हूं । वह यह हैं :

१९४८-४९	१७० टन
१९४९-५०	२६० टन
१९५०-५१	६० टन

मुझे खेद है कि सन् १९५१-५२ के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : देसी शार्क मछली के तेल के मूल्यों की तुलना में आयात किये गये काड लिवर आयल का मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्य से जिस प्रकार हम अपने आंकड़ों को रखते हैं उस से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता नहीं मिल सकती है क्योंकि कभी कभी आकड़े परिमात्रा के रखे जाते हैं मूल्यों के नहीं । हमारे इस संसार में जहां वस्तुओं के मूल्य घटते बढ़ते रहते हैं, वस्तुओ के आंकड़े मूल्यों के स्थान पर परिमात्रा में रखना अधिक उत्तम सिद्ध होता है । इस समय मेरे पास वह सूचना नहीं है ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं श्रीमान् कि क्या शार्क मछली के तेल की सम्पूर्ण उत्पादित मात्रा सरकारी प्रयोगशालाओं में ही बनाई जाती है अथवा व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा भी बनाई जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मेरे पास आंकड़ों का इस प्रकार का विभाजन नहीं है ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या मैं उन केन्द्रों के नाम जान सकता हूं जहां शार्क मछली का तैल तैयार किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : बम्बई, कालीकट, और त्रिविन्द्रम ।

श्री केलप्पन : क्या शार्क मछली का कुछ तेल निर्यात भी किया जाता है, यदि हां, तो किन देशों को तथा कितना ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बहुत कम । सन् १९५१ में हमने १३० गैलन तेल संयुक्त राष्ट्र इंगलैंड को, १० गैलन मारीशस को, ८८ गैलन संयुक्त राज्य अमरीका को और १००० गैलन आस्ट्रेलिया को भेजा था ।

सन् १९५२ में कोई निर्यात नहीं हुआ ।

बाढ़ों की रोक थाम

*६७८. **श्री वी० पी० नायर :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आसाम राज्य में हाल ही में आई बाढ़ों और जमुना नदी की बाढ़ों से पानी में डूब जाने वाला क्षेत्र;

(ख) नष्ट हुई फ़स्लों का अनुमानित मूल्य ; तथा

(ग) क्या सरकार के समक्ष पंचवर्षीय योजना में कोई योजना है जिन से इन बाढ़ों की, जो इतनी अधिक आ रही है, रोकथाम की जा सके, और यदि है, तो वह योजनायें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली राज्य में हाल ही में आई जमुना नदी की बाढ़ से १२,३९० एकड़ भूमि पानी में डूब गई थी, और जुलाई, १९५२ में आई बाढ़ों के कारण आसाम के विशेषतया लखीमपुर, नौगांव, कामरूप और गोलपाड़ा जिलों में १०,००० वर्ग मील भूमि पानी में डूब गई थी ।

(ख) दिल्ली राज्य में नष्ट हुई फ़स्लों का अनुमानित मूल्य ३,८०,६०० रुपये है । आसाम में सम्पूर्ण फ़स्ल का ३ से ४ प्रति शत तक भाग नष्ट हो गया था ।

(ग) दिल्ली राज्य में बाढ़ों की रोक थाम करने के लिये अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है । जमुना के साथ साथ बाढ़ रोकने वाले बांधों को बनाने के सम्बन्ध में परिमापन कार्य करने की प्रस्थापना है, साथ ही पुरानी नालियों की सफाई करने और नई नालियों को बनाने इत्यादि का काम प्रारम्भ करने की प्रस्थापना है । जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, पंचवर्षीय योजना में रखी गई योजनायें यह हैं:

(१) डिब्रूगढ़ नगर का सुरक्षण;

(२) नौपरिवहन बांध बनाना, और जल निकास योजनायें ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हुं श्रीमान् कि इन बाढ़ों में कितने घर नष्ट हो गये और कितने व्यक्ति गृहविहीन हो गये ?

अध्यक्ष महोदय : उन का निर्देश दिल्ली की ओर है या आसाम की या दोनों की ?

श्री हाथी : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं इन बाढ़ों से हुई सम्पूर्ण हानि को ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री हाथी : जहां तक दिल्ली का प्रश्न था, फ़स्लों को पहुंची अनुमानित हानि ३,८०,६०० रुपये की थी । जहां तक सम्पत्ति का प्रश्न था यह हानि कोई ३,८०,००० रुपये की थी ।

आसाम सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है । मैं ने तो सम्पूर्ण हानि के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी ।

अध्यक्ष महोदय : वही तो उन्होंने दी है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं समझूं कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इस से यह परिणाम नहीं निकलता है ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन ने बाढ़ के कारण फैलने वाली विपत्ति की रोकथाम कर ली है, तो क्या सरकार के समक्ष विशेषज्ञों के एक दल को चीन में बाढ़ नियंत्रण योजना के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिये भेजने की कोई प्रस्तावना है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, यह तो कार्यवाही करन के लिये सुझाव है ।

श्री वी० पी० नायर : यह कार्य करने के लिए सुझाव नहीं है । मैं ने यह पूछा था

कि क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे चाहे किसी भी तरह क्यों न पूछें, पर इसका सार यही है—"चीन को देखो और देखो कि वह क्या करता है ।"

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान् कि क्या प्रभावित क्षेत्रों को कोई राहत पहुंचाई गई है, और यदि हां, तो कितनी ?

श्री हाथी : दिल्ली राज्य को तथा आसाम में भी सहायता दी गई थी । कितनी दी गई थी यह बताने की स्थिति में मैं इस समय नहीं हूं ।

भारतीय कैम्प पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा

* ६७९. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान **हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड** के सातवें डाक संस्करण, दिनांक २५ अगस्त, १९५२ के पृष्ठ ३ के कालम २ में "पाक सेनाओं द्वारा भारतीय कैम्प पर गोली वर्षा । गुप्त बातें ज्ञात करने के लिए ग्रामीणों का अपहरण" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि भारतीय नागरिक अब भी पाकिस्तानी सेनाओं के कब्जे में हैं ?

(ग) पाकिस्तानी सेनाओं ने जो गोली वर्षा की थी उस में कितने भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां । पांच और छै जुलाई और १७ अगस्त, १९५२ को पाकिस्तानी सेनाओं ने आसाम-पूर्वी बंगाल सीमा पर स्थित नीलोखिया नाम की चौकी पर छै राउण्ड गोलियां चलाई थीं । भारतीय राज्य-क्षेत्र से किसी भी भारतीय नागरिक का अपहरण नहीं किया गया, परन्तु एक ग्रामीण पर, जो सीमा पार कर के अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था, पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण किया । एक भारतीय पुलिस सिपाही को, जो कि भूल से पाकिस्तानी चौकी तक पहुंच गया था, शारीरिक यन्त्रणा दे कर सूचना प्राप्त करने की चेष्टा की गई ।

(ख) भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में यह सूचना है कि वह जिला अधिकारियों के कब्जे में हैं ।

(ग) किसी भी भारतीय नागरिक की मृत्यु नहीं हुई ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि यह प्रश्न और प्रश्न संख्या ६८४, जो मेरे नाम से है, को एक साथ लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा करना माननीय मन्त्री को सुविधा जनक होगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है कि यह दोनों प्रश्न दो विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में हैं । एक पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में है और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान के ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितनी बार तथा कितने स्थानों पर पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय नागरिकों पर गोली वर्षा की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है श्रीमान् ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है और यदि किया है, तो पाकिस्तान से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इसी घटना विशेष का निर्देश करते हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा : इस विषय पर आसाम सरकार पूर्वी बंगाल सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार पाकिस्तान सरकार से उत्तर प्राप्त करने के पश्चात उस की एक प्रति लिपि सदन पटल पर रखेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जसा मेरे सहयोगी ने कहा, इस मामले म एक भारतीय नागरिक सीमा के दूसरी ओर अपने नातेदारों से मिलने गया था। वह स्थान पाकिस्तान राज्य-क्षेत्र में है और पाकिस्तानियों ने उस की मरम्मत की। वह व्यक्ति एक मुसलमान, शेख रहमान था, और उसका एक नातेदार पाकिस्तान में था। जो कुछ भी हुआ वह सब पाकिस्तान सीमा के उसी ओर हुआ । पाकिस्तान सरकार का यह कहना है कि कोई व्यक्ति किन्हीं अवैध उद्देश्यों से, वह चाहे कुछ भी क्यों न रहे हों, उस के राज्य-क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर रहा था । इस प्रकार यह मामला हमारे राज्य-क्षेत्र पर आक्रमण किये जाने अथवा उस पर अनधिकार प्रवेश करने से बिल्कुल भिन्न है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह सत्य है कि आसाम सीमा पर बसे पाकिस्तानी नागरिकों पर पाकिस्तान सशस्त्र बलों द्वारा किये गये निरन्तर आक्रमणों को ध्यान में रखते हुए आसाम के मुख्य मन्त्री ने सीमान्त रक्षकों की संख्या के बड़ाये जाने की मांग की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सीमान्त रक्षकों के सम्बन्ध में मैं निश्चित नहीं हूं । परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं है कि कुछ समय पूर्व आसाम ने सभी सीमान्त चौकियों के सुदृढ़ किये जाने की मांग की थी और इस के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई थी ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह इस तथ्य के कारण है कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय राज्य-क्षेत्र पर बार बार आक्रमण किये गये हैं और उन आक्रमणों को रोकने के लिये कोई प्रभावोत्पादक कार्यवाहियां अभी तक नहीं की गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक निष्कर्ष को सूचना प्राप्त करने वाले प्रश्न के साथ गड़-बड़ा रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सीमान्त चौकियों को सुदृढ़ करने के बहुत से कारण हैं, उन में से कइयों का स्वयं माननीय सदस्य ने ही उल्लेख किया है । इस के अनपेक्ष भी, हम भविष्य की सुरक्षा के लिये उन को सुदृढ़ करना ही चाहते थे ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐसा कोई मैत्रीपूर्ण करार है कि जब कभी ऐसे गोलीकांड होते हैं, चाहे भारत की ओर से चाहे पाकि-स्तान की ओर से, तो किसी ओर का कोई भी व्यक्ति आहत नहीं होता है ?

साईकल फैक्टरियां

*६८०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५२ को भारत में साईकिल फैक्टरियों की संख्या (राज्यवार);

(ख) इन में कितनी फैक्टरियां हाल ही में चालू की गई हैं ;

(ग) क्या इन में से कोई फैक्टरियां सभी भाग बनाने में सफल हुई हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो एक सर्वांगपूर्ण साईकिल को तैयार करने में फैक्टरी को कितने भाग कम से कम आयात करने पड़ते हैं ; तथा

(ङ) जब भारत की यह सभी वर्तमान साईकिल फैक्टरियां अपनी सम्पूर्ण उत्पादन

क्षमता से कार्य करने लगेंगी तो क्या भारत साईकिलों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

बम्बई	१
बिहार	१
मद्रास	१
पंजाब	१
पश्चिमी बंगाल	२
योग	६

(ख) चार ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तीन, फ़्री व्हील, जंजीरें (चेन) और घुंडी सहित तानें (स्पोक्स) ।

(ङ) आशा की जाती है कि तब हम आत्मनिभरता स्थिति के पास तक पहुंच जायेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या बाईसिकिलों उनके पुरज़ों और आनुषंगिक भागों के विकास सम्बन्धी प्रस्तावित परिषद् स्थापित की जा चुकी है, यदि हां, तो उक्त परिषद् का सभापति किसे नामनिर्देशित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई विकास परिषद् अभी तक स्थापित नहीं की गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने अभिभाषण में हाल ही में बताया था क्या सरकार इस प्रकार की कोई परिषद् नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार की यही इच्छा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने भारत में बाईसिकिलों का आयात बन्द कर दिया है; यदि हां, तो कितने दिनों के लिए ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रतिबन्ध ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त हो जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत में किसी फैक्टरी ने फ़्री व्हीलों, चेनों इत्यादि के बनाने की चेष्टा की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है कि कुछ व्यक्ति फ़्री व्हीलें और चेनें बनाते हैं; पर इस का संयंत्र बाईसिकिल बनाने या पुरज़े जोड़ कर पूरी मशीन तैयार करने वाली फैक्टरियों में स्थापित नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन के निर्माण के लिये अपेक्षित कौन से कच्चे माल इस देश में उपलब्ध नहीं हैं और जिन को आयात करना पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बाईसिकिल बनाने के लिए एक अतिआवश्यक भाग विदेशों से आयात करना पड़ता है—यह बात सभी फैक्टरियों पर लागू होती है—और वह भाग ट्यूबें हैं जिन को हम इस देश में नहीं बनाते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रबड़ के बने भाग आयात करने पड़ते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी जानकारी में नहीं ।

श्री पुन्नूस : क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि देश की साईकिल सम्बन्धी आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत भाग इन फैक्टरियों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बनाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, एक फैक्टरी तो अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन कर रही है । अन्य फैक्टरियां इस तथ्य की प्राप्ति के विभिन्न स्तरों पर हैं । हमारी आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत भाग बनाया जाता है यह सूचना इस समय

देना बहुत कठिन है । संभव है कि वर्ष के अन्त तक मैं इस प्रकार के किसी प्रश्न का उत्तर दे सकूं ।

श्री वी० पी० नायर : भारत सरकार के कार्यों के लिये प्रति वर्ष भारत की बनी कितनी साईकिलें सरकार द्वारा खरीदी जाती हैं, और सरकार की सम्पूर्ण आवश्यकता को देखे यह खरीद कितना प्रतिशत भाग पूरा करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न मेरी दाहिनी ओर बैठे मेरे सहयोगी से किसी उचित अवसर पर पूछा जा सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के हेतु । जिस समय मैं ने चर्चा के अवसर पर इस प्रश्न को उठाया था तो मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि उस समय उन के पास सूचना नहीं थी । मैं समझता था कि वह सूचना अब उन के पास होगी ।

अध्यक्ष महोदय : वास्तविक तथ्य क्या हैं, यह मैं नहीं जानता ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या स्थानीय निर्मित वस्तुओं के मूल्य सरकार द्वारा नियमित किये जाते हैं, अथवा निर्माताओं को उन्हें अपने मनमाने मूल्य पर बेचने की अनुमति है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य कदाचित यह जानते हैं कि इस समय हमने साईकिलों के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा हुआ है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन म कितनी फैक्टरियों में विदेशी हित संलग्न है, और कितनी पूर्णतया भारतीय हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य नहीं है कि पिछले अगस्त में हुई औद्योगिक विकास समिति की बैठक में माननीय मंत्री ने घोषणा की थी कि सात उद्योगों के लिए एक महीने के भीतर ही विकास परिषदें बना दी जायेंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरी स्मरणशक्ति माननीय सदस्य जैसी तीव्र है । परन्तु मेरे विचार से उद्योग परामर्श-दात्री परिषद् की बैठक अगस्त में नहीं वरन् ३ अक्तूबर को हुई थी, और मुझे खेद है कि मैं ने अपने वक्तव्य में निश्चित रूप से यह नहीं कहा था मैं एक मास में ही एक विकास परिषद् नियुक्त कर सकता हूं । इसका कारण यह है कि इसके लिए मुझे अपेक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करना है और इस के लिये मुझे संघ लोक सेवा आयोग पर निभर रहना है । यदि माननीय सदस्य यह बतायें कि कब संघ लोक सेवा आयोग मेरे लिए कर्मचारियों का चुनाव कर सकेगा तो मैं भी यह बता सकता हूं कि मैं कब परिषद् को नियुक्त कर सकता हूं ।

पाकिस्तान पुलिस द्वारा भारतीय सीमान्त ग्राम पर क़ब्ज़ा किया जाना

*६८४. **श्री टी० एन० सिंह :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सितम्बर १९५२ में पाकिस्तानी पुलिस और सेनाओं ने पश्चिमी सीमान्त पर कुछ गांवों पर कब्ज़ा कर लिया था ?

(ख) पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) आज स्थिति क्या है ?

वैदेशिक उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) गत सितम्बर में किसी भी भारतीय ग्राम पर पाकिस्तानी सेनाओं ने कब्ज़ा नहीं किया । १२ सितम्बर को पाकि-

स्तानी सीमान्त पुलिस ने अमृतसर जिले के एक भारतीय ग्राम रनायन में २२ एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया था ।

(ख) पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बहाने से उस भूमि खंड का स्वामित्व बताया था कि विभाजन के बाद से भारतीय नागरिकों ने न इसे जोता बोया था और न इस को काम में लिया था और उन की सीमान्त पुलिस उस पर नियमित रूप से गश्त करती रही थी । यह सत्य है कि हाल ही के वर्षों में इस भूमि खंड पर कृषि नहीं की गई है, परन्तु उस के भारतीय राज्य-क्षेत्र होने में कोई सन्देह नहीं है ।

(ग) इस विषय पर पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के अधिकारियों में बातचीत हो रही है ।

श्री टी० एन० सिंह : जिस प्रकार सीमांकन हुआ है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितने स्थानों पर सीमान्त सीमांकन के सम्बन्ध में आज भी मतभद है अथवा उस के होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कितने स्थानों पर, यह बताना बहुत कठिन है । ऐसे बहुत से स्थान हैं, जहां पर निरन्तर झगड़े हो रहे हैं । इसका कारण कुछ तो सीमांकन का न होना है और दूसरा कारण नालों और नदियों द्वारा अपना रास्ता बदल दिया जाना है । एक प्रकार से यह समस्त भूमि गैर आबाद है, क्योंकि यह कोई घर इत्यादि ऐसे नहीं हैं जिन में आबादी है और कभी कभी इन क्षेत्रों में कृषि कार्य भी नहीं होता है । अधिकांश झगड़े इन बंजर भूमि खंडों के सम्बन्ध में उठते हैं ।

मेरे सामने बैठे हुए मेरे माननीय मित्र ने ऐसे गोली कांडों के सम्बन्ध में कहा जिन में कोई आहत नहीं हुआ था । यदि मुझे बताने की अनुमति हो तो मैं निवेदन करता हूं कि दो प्रकार के गोलीकांड होते हैं । कभी कभी आपस में झड़पें होती हैं और दोनों दलों के बीच--चाहे वह बड़े हों या छोट---गोलियां चलती हैं । परन्तु सामान्यतया जो बात होती है वह यह है कि बीच में गैर आबाद भूमि खंड होता है और जब कभी कोई आता हुआ दिखाई देता है तो सीमान्त रक्षक गोली चलाते हैं, उस व्यक्ति विशेष को खास तौर पर लक्ष्य बना कर नहीं, परन्तु चेतावनी के रूप में गोलियां चलाई जाती हैं और या तो वह व्यक्ति पकड़ लिया जाता है अथवा वह भाग जाता है । सीमान्त रक्षक एक दम गोली-मार या खुड़के पर गोली चलाने वाले होते हैं, और जब कभी भी उन को कोई खड़खड़ या ऐसी ही कोई और आवाज़ सुनाई देती है तो वह फ़ौरन गोली चलाते हैं । एक प्रकार के गोली कांड ऐसे होते हैं । दूसरा वह होता है जिस में जान बूझ कर गोली चलाई जाती ह---यह अधिक आपत्तिजनक है---और इस से कभी कभी लोगों की मृत्यु होने की संभावना होती है ।

श्री टी० एन० सिंह : ऐसी घटनाओं की अधिक संख्या को ध्यान में रखतें हुए, क्या कभी पाकिस्तान सरकार या भारत सरकार ने इन भूमि खंडों में अन्तिम रूप से सीमांकन किये जाने की प्रस्थापना पर चर्चा की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी हां, बहुत से स्थानों पर सीमांकन किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान द्वारा इस बहाने पर कि वह भूमि खंड बंजर था, जिस भूमि खंड पर कब्जा कर लिया था उस में हमारे कृषकों ने इस कारण कृषि कार्य नहीं किया था क्योंकि भारत सरकार ने इन कृषकों को जो सुरक्षण दिया था उसे बाद को हटा लिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य एक वक्तव्य दे रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं यह निवेदन कर दूं श्रीमान्, कि साधारणतया —मैं उन २२ एकड़ भूमि के बारे में विशेष रूप से नहीं कह रहा हूं, उस में जंगल या ऐसी ही कुछ और चीज़ हो सकती हैं— हमारे कृषक ऐन सीमान्त तक खेती करते हैं ।

श्री एस० बी० रामास्वामी : क्या कोई कंटीले तारों की बाड़ लगी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा कोई सीमांकन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सीमा सैकड़ों मील लम्बी है ।

सरकारी विभागों के लिए खरीदा गया सामान

*६८५. **श्री बी० के० दास :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२-५३ के पूर्वार्द्ध में सरकारी विभागों के लिये खरीदी गई देशी बनी वस्तुओं के सम्पूर्ण मूल्य ; तथा

(ख) उसी अवधि में खरीदी गई विदेशी बनी वस्तुओं के सम्पूर्ण मूल्य ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के पूर्वार्द्ध में सरकारी विभागों के लिये खरीदी गई वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार है :—

देश में बनी वस्तुएं	१८·३० करोड़ रुपये
विदेशी वस्तुएं	४१·८८ करोड़ रुपये

श्री बी० के० दास : देशी बनी और विदेशों में बनी वस्तुओं की खरीद में मुख्यतया कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं ?

श्री बुरागोहिन : इस अवधि में यहां के केन्द्रीय क्रय संगठन द्वारा खरीदी गई विदेशी बनी वस्तुएं मुख्यतया मोटर गाड़ियां और उन के भाग, रेलवे का सामान, मशीनी औज़ार शक्तिचालित संयंत्र, केबिल और तार, शक्ति परिचालन करने वाले कागज़ द्वारा विसंवाहित (इन्सुलेटैड) केबिल, कागज़ द्वारा विसंवाहित (इन्सुलेटेड) टैलीफून केबिल और भारी रासायनिक द्रव्य थे । देशी मांडारों के सम्बन्ध में, वह थे जूटे और जूटे का बना माल, मोटर गाड़ियां और उन के भाग, सीमेंट, कागज़, और कागज़ से बनी वस्तुएं, रेलवे सम्बन्धी सामान, मशीनी औज़ार, शक्तिचालित संयंत्र, केबिल और तार और भारी रासायनिक द्रव ।

श्री बी० के ० दास : क्या कोई ऐसी वस्तु भी है जो पूर्णतया देशी स्रोतों से ही खरीदी गई हो ?

श्री बुरागोहिन : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): क्या मैं यह निवेदन कर दूं श्रीमान् कि जूट की बनी वस्तुएं तथा सीमेंट ऐसी वस्तुएं हैं जो पूर्णतया देशी स्रोतों से खरीदी गई हैं ।

श्री बी० के० दास : देशी बनी तथा विदेशों में बनी वस्तुओं में चुनाव करने का क्या आधार है ?

श्री बुरागोहिन : सरकार की यह नीति है कि जहां तक संभव हो सके देशी बनी वस्तुओं को खरीदा जाये यदि वह समुचित गुण प्रकार की हों और समुचित मूल्य पर मिल सकती हों । यदि देशी बनी वस्तुओं का मूल्य आयातित वस्तुओं के मूल्य से कुछ अधिक भी होता है तो भी सामान्यतया, यदि सभी बातें समान होती हैं, तो वरीयता देशी बनी वस्तुओं को दी जाती है ।

श्री बी० के० दास : क्या इ स से यह समझा जाये कि मूल्य ही एक आधार है जिस के अनुसार खरीद की जाती है ?

श्री बुरागोहिन : वस्तुओं का गुण प्रकार और माल प्राप्त करने के प्रश्न पर अन्य बातों के साथ साथ विचार किया जाता है ।

श्री बी० के० दास : क्या खरीदारी ठेकेदारों के द्वारा की जाती है अथवा सरकार के क्रय विभाग के द्वारा ?

श्री बुरागोहिन : सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन द्वारा ।

श्री दाभी : क्या मैं सरकार द्वारा क्रय की गई खादी का मूल्य ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री बुरागोहिन : मैं खादी के बारे में तो बता नहीं सकता परन्तु खड्डी का बना कुछ कपड़ा वस्त्र आयुक्त द्वारा खरीदा जाता है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या सरकारी ठेकेदारों को यह वचन देना होता है कि वह भारतीय माल को वरीयता देंगे ?

श्री बुरागोहिन : म समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकारी ठेकेदारों को भी यह वचन देना होता है कि वह भारतीय माल को वरीयता देंगे ?

श्री बुरागोहिन : जहां तक ठेकेदारों का सम्बन्ध है उन को इस प्रकार का कोई वचन देने की आवश्यकता नहीं है कि वह भारतीय माल को वरीयता देंगे, क्योंकि हम, क्रेता होने के नाते, इस बात का सदैव निश्चय कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ठेकों की शर्तों के अनुसार यह निर्धारित करती है कि ठेकेदार केवल मात्र भारत में बने माल को ही काम में लायेंगे । यह शायद बात मालूम होती है ?

श्री बुरागोहिन : यही नीति है श्रीमान् ।

श्री अल्तेकर : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि खरीदे गये माल के लिये क्या मूल्य-बेदन पत्र मांगे जाते हैं ?

श्री बुरागोहिन : जी हां, श्रीमान् । यही किया जाता है ।

दिल्ली से कार्यालयों का हटाया जाना

*६८६. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार इस समय दिल्ली में स्थित कुछ कार्यालयों को अन्य स्थानों को हटा देने की संभावना पर छानबीन कर रही है ?

(ख) किन कार्यालयों के हटाये जाने की प्रस्तावना है ?

(ग) किन नये स्थानों को अब तक चुना गया है ?

(घ) क्या इस नई व्यवस्था से सरकार को स्थायी रूप से अतिरिक्त व्यय करना होगा, और यदि हां, तो उस का अनुमान क्या है ?

(ङ) नये स्थानों पर भवन इत्यादि बनवाने का अनुमानित परिव्यय क्या होगा ?

(च) क्या इस प्रकार हटाये गये विभागों के अध्यक्ष मन्त्री गणों को भी स्थानान्तरित किया जायेगा और उन के हैड क्वार्टरों को दिल्ली से हटाया जायेगा, अथवा विभागों के कुछ भाग राजधानी में भी रखे जायेंगे ?

(छ) इस योजना के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों को दिल्ली से हटाया जायेगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केवल मात्र उन कार्यालयों को हटाने की प्रस्थापना है जो विभिन्न मन्त्रालयों के सचिवालयों के अभिन्न भाग नहीं हैं और जिन का दिल्ली से बाहर रहना संभव है । इन कार्यालयों के चुनाव का कार्य अभी अन्तिम रूप से नहीं हुआ है परन्तु तौ भी यह निश्चय किया गया है कि (१) नमक आयुक्त के

कार्यालय तथा (२) कृषि-वस्तु विक्रय तथा निरीक्षण के संचालक के कार्यालय स्थानान्तरित किये जायें। मादक द्रव्य आयुक्त का कार्यालय पहले ही शिमला को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ग) शिमला, आबू पर्वत, डलहौज़ी, मसूरी और फरीदाबाद संभावित स्थानों में से हैं।

(घ) कुछ अतिरिक्त व्यय होगा, परन्तु वास्तविक धन-राशि की गणना किसी कार्यालय विशेष के निश्चित रूप से स्थानान्तरित किये जाने के बाद ही की जा सकेगी। व्यय की परिमात्रा उस कार्यालय विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित होगी।

(ङ) नये स्थानों पर नये भवनों को बनवाने की अभी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(च) जी नहीं, मंत्री नहीं जायेंगे और न ही दिल्ली में अवशेष विभाग को रखना ही आवश्यक होगा।

(छ) यह हटाये जाने वाले कार्यालयों पर निर्भर होगा।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, कि क्या यह तथ्य है कि पिछले दिनों में पर्वतीय स्थानों पर कार्यालयों को रखने के सम्बन्ध में किया गया प्रयोग उत्साहजनक नहीं रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस विषय पर विभिन्न मत हो सकते हैं श्रीमान्।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार यह देखेगी कि उस के सभी स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों को निवासस्थान दिया जाये और उस के कर्मचारियों को जो शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें दिल्ली में उपलब्ध हैं वह वहां भी उपलब्ध कराई जायें ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार इस बात की चेष्टा करेगी कि इन स्थानान्तरणों के कारण उस के कर्मचारियों को निवासस्थान अथवा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में यहां से अधिक असुविधायें नहीं होती हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आगरे के बारे में भी कोई विचार किया गया है कि वहां कौन से आफिस जा सकते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक मुझे ज्ञात है श्रीमान् आगरे में पहले से ही बहुत तंगी है, परन्तु यदि स्थान उपलब्ध होगा तो इस संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता है।

सरकारी क्वार्टरों क किराय की बक़ाया

***६८७. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकारी क्वार्टरों का बहुत सा किराया बक़ाया में रहता है, और यदि हां, तो सन् १९४७ से अब तक का कितना प्रति वर्ष बक़ाया रहा है ?

(ख) इस बक़ाया को वसूल करने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(ग) क्या किन्हीं रक़मों को वसूल न होने योग्य कह कर छोड़ दिया गया है ?

(घ) इस प्रकार छोड़ दिये ऋणों की राशि क्या है ?

निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यदि कोई बक़ाया है, तो भी उसे सम्पूर्ण मांग की तुलना में बहुत अधिक नहीं बताया जा सकता है। दिल्ली, बम्बई, शिमला और कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के असैनिक निवासस्थान विषयक समूह के सम्बन्ध में सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ तक के वर्षों के ३१-१०-५२ को देय बक़ाया को दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७।**].

वसूल न हुई बक़ाया उसी अवधि की सम्पूर्ण मांग की केवल ३.२ प्रति शत है ।

(ख) विभिन्न कार्यालयों में सेवायुक्त व्यक्तियों से उन के प्रति निकलने वाली बक़ाया को वसूल करने के लिए बक़ाया की प्रत्येक मद की लगातार मांग की जाती है । सम्पत्ति कार्यालय (एस्टेट आफ़िस) में केवल मात्र इसी काम के लिए एक विशेष लेखा अधिकारी नियुक्त है ।

(ग) और (घ) । जी हां, सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ तक की अवधि में ३४,००० रुपये की रक़म छोड़ी गई है । इस का अधिकांश भाग प्रायः प्रविधिक प्रकार का है क्योंकि कुछ एककों विशेष के किराये पुनरीक्षित किये गये थे परन्तु उन को भूतापेक्षीय प्रभाव से वसूल नहीं किया जा सका था ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मुख्यतया किस श्रेणी के व्यक्तियों से यह धन-राशि वसूल की जाती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं श्रीमान्, कि सभी सरकारी कर्मचारी एक ही श्रेणी के होते हैं ।

आसाम की चाय का नीलाम

*६८८. **श्री बेली राम दास** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में आन्तरिक तथा विदेशी खपत दोनों के लिए कलकत्ता में कितनी आसाम की चाय का नीलाम किया गया था ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उत्तर पूर्वी रेलवे के हाल ही के वर्गीकरण के कारण आसाम की चाय को कटिहार, कानपुर, आगरा और अहंमदाबाद के मार्ग से कोयला पत्तन तक ले जाया जा सकता है क्योंकि यह सारा रेल मार्ग मीटर गेज रेलवे का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कलकत्ता में आसाम की चाय का नीलाम :

	१९५०-५१ पेरियों की संख्या	१९५१-५२ पेरियों की संख्या
निर्यात	१,०८७,८६८	१,१४९,०५५
आन्तरिक	९१,०९८	३४,०४४

(ख) जी हां ।

श्री बेली राम दास : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि कलकत्ता में आसाम की चाय का नीलाम होने के कारण आसाम सरकार को बिक्री कर के रूप में बहुत अधिक धन की हानि उठानी पड़ रही है ?

श्री करमरकर : जी हां, श्रीमान्, क्योंकि नियम यह है कि निर्यात की गई या बाहर भेजी गई चाय पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाता है, राज्य सरकार को इसलिये हानि नहीं हो रही है ।

श्री बेली राम दास : क्या सरकार के विचाराधीन यह प्रस्थापना है कि कलकत्ता के स्थान पर गौहाटी में एक चाय नीलाम घर होना चाहिये ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बेली राम दास : क्या यह तथ्य नहीं है कि कटिहार हो कर कांधला पत्तन को माल भेजने का परिव्यय कलकत्ता हो कर भेजने से कम पड़ता है ?

श्री करमरकर : संभव है, क्योंकि दूरी १७७८ मील की है ।

लोहा तथा स्टील के लिये भार प्रणाली

*६८९. **श्री बेली राम दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने लोहा तथा स्टील के भार को बताने के लिये बृटिश एवरडोपोइज़ भार

प्रणाली को प्रमाणिक प्रणाली स्वीकार कर लिया है ?

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि आसाम में लोहा तथा स्टील मनों और सेरों के भारतीय भार प्रणाली के अनुसार बचे जाते हैं ?

(ग) आसाम के सम्बन्ध में यह अपवर्जन क्यों किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) और (ख) । **जी** हां ।

(ग) क्योंकि उस राज्य के स्टील के सामान्य उपभोक्ता भारतीय भारों के अधिक आदी हैं ।

नमक (उत्पादन तथा निर्यात)

*६९०. **श्री नानादास** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एक ऐसा विवरण, जिस में गत छै महीनों में भारत में नमक के सम्पूर्ण उत्पादन तथा निर्यात के आंकड़े दिये गये हों, सदन पटल पर रखने की प्रस्थापन करती है ?

(ख) उक्त अवधि में भारत ने इस निर्यात से कितना अर्जन किया है ?

(ग) क्या निकट भविष्य में हमारे नमक निर्यात के बढ़ जाने की कोई सम्भावना है, यदि है, तो किन देशों को ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) अप्रैल-सितम्बर १९५२ की अवधि सम्बन्धी अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) कोई ४५ लाख के लगभग ।

(ग) जी हां, यदि उस की क़िस्म सुधर जाये । जापान सब से उत्तम प्रस्ताव देता है । अन्य बाजारों की भी खोज की जा रही है ।

श्री नानादास : विवरण के अनुसार, हमने गत छै महीनों में प्रायः २७ लाख मन नमक निर्यात किया है । मैं ज्ञात कर सकता हूं कि किस नमक उत्पादन केन्द्र से जापान को यह निर्यात किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुख्यतया पश्चिमी तट से, सौराष्ट्र, कच्छ तथा कुछ थोड़ी सी परिमात्रा तूतीकोरिन से ।

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सरकार ने उस के जापान को निर्यात किये जाने योग्य बनाने के लिये बम्बई और मदरास राज्य में बने नमक के गुण प्रकार में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार ने यह निर्धारित कर दिया है कि वर्ष प्रति वर्ष नमक के गुण प्रकार में सुधार होना चाहिये । इस वर्ष के लिए, सोडियम क्लोराइड की प्रतिशतता ९३ प्रति शत निर्धारित की गई है, और अगले वर्ष के लिए ९४ प्रति शत । सभी क्षेत्रों में नमक की क़िस्म में सुधार करने के लिये प्रत्येक संभव सुविधा दी जा रही है ।

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि गुण प्रकार और स्तर के अनुसार हमारा नमक अदन से आये नमक की तुलना में कैसा है और हमारे नमक के मूल्य अदन के नमक के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि मैं यह सूचना यहां वैसे ही नहीं दे सकता हूं ।

श्री नानादास : विवरण से यह स्पष्ट है कि जुलाई के बाद से हम ने कोई नमक पूर्वी बंगाल से निर्यात नहीं किया है । इस के क्या कारण हैं ? क्या वहां हमारे नमक निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सन् १९५१ के अन्तिम चतुर्थांस से अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है । परन्तु, इससे पूर्व, क्योंकि नमक को भारत-पाकिस्तान समझौते में सम्मिलित नहीं किया गया था, अतः दोनों सरकारों द्वारा प्रतिबन्ध लगाये

गये थे। परन्तु प्रतिबन्ध के हट जाने और उक्त रूप से लाइसेंस दिये जाने पर भी, पाकिस्तान को होने वाले नमक के निर्यात में कोई सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जापान तथा अन्य देशों को नमक का निर्यात किये जाने से पूर्व हमारे देश की नमक सम्बन्धी आवश्यकतायें समुचित मूल्यों पर पूर्णतया पूरी हो जाती हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : श्री रघवय्या एक प्रश्न पूछना चाहते थे।

श्री रघवय्या : मैं केवल यह पूछना चाहता था कि.....

अध्यक्ष महोदय : यदि न चाहें तो वह प्रश्न न पूछें। अगला प्रश्न।

श्री रघवय्या : मैं जानना.....

अध्यक्ष महोदय : अब वह समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न।

श्री रघवय्या : यदि आप मुझे कोई अवसर नहीं देना चाहते हैं.....

सूती-वस्त्रादि निधि समिति

*६९१. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सूती वस्त्रादि निधि समिति नाम की कोई संस्था अस्तित्व में है ?

(ख) यदि हां, उसका कार्य क्या है, उस के कौन सदस्य हैं, और कितने समय से वह कार्य कर रही है ?

(ग) क्या वह सरकारी या गैर-सरकारी संस्था है ?

(घ) क्या सरकार उस के प्रारम्भ से अब तक उस की कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) और (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९**]

(ग) यह एक परिनियत संस्था है।

श्री तुषार चटर्जी : क्या मैं उस निधि की सम्पूर्ण धन-राशि को ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रायः २,३३,००,००० रुपये।

श्री तुषार चटर्जी : इस विवरण में एक अनुसन्धान प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए १८ लाख रुपये व्यय किये जाने का वर्णन है, व्यय की अन्य मदें क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे विश्वास है कि हम ने यह बताया है—मैं वास्तविक धन-राशि नहीं बता सकता—कि इस सितारा—साउथ इंडिया टैक्सटाईल एसोसियेशन—को कुछ धन अंशदान के रूप में दिया था यदि बम्बई की संस्था कोई अनुसन्धान विद्यालय स्थापित करती है तो हम उसे अंशदान देने को वाग्बद्ध हैं।

श्री तुषार चटर्जी : मैं यह जानना चाहता था। विवरण के अन्तिम पैरा में यह दिया हुआ है कि कुछ अधिकारी निर्यातों को प्रोत्साहना देने के लिए साधनों की जांच कर रहे हैं। मैं इस मद में हुए व्यय की वास्तविक धन-राशि जानना चाहता था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विवरण के अन्तिम पैरा में लिखा है : "निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये प्रयत्न।" यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हम ने इस निधि में से इस कार्य पर कितना व्यय किया है, तो मेरे विचार से हम

ने इस निधि में से अभी तक कोई व्यय नहीं किया है ।

श्री तुषार चटर्जी : समिति द्वारा नियुक्त किये गये एक अधिकारी का उसमें वर्णन है । मैं उस अधिकारी के कारण हुए व्यय को जानना चाहता हूं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह क्या पूछना चाहते हैं यह ठीक तरह से मैं नहीं समझ सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टतया, वहां कोई कार्यालय स्थापित किया गया है क्योंकि एक अधिकारी का वर्णन है । उस कार्यालय के कारण क्या व्यय हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे ठीक ज्ञात नहीं कि कोई धनराशि व्यय की गई है । कदाचित् वह अधिकारी वस्त्र आयुक्त के कार्यालय का है, और इस कारण इस निधि में से कोई धन-राशि व्यय नहीं की गई ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पशुओं तथा सरीसृपों का निर्यात

*६९२. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सन् १९५१-५२ में दूसरे देशों को निर्यात किये गये विभिन्न प्रकार के पशुओं तथा सरीसृपों के नाम तथा इस प्रकार के निर्यातों से प्राप्त हुई धन-राशि को बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सरकारी आंकड़ों में सन् १९५१-५२ में किये गये जीवित पशुओं के निर्यात को चार शीर्षकों के अन्तर्गत रखा गया है, वह हैं :

(१) घोड़ा

(२) ढोर (भेड़ और बकरी के अतिरिक्त)

(३) भेड़ बकरियां

(४) अन्य सभी प्रकार के

सरीसृपों के निर्यात के प्रथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

उपरोक्त निर्यात से प्राप्त हुई धन राशि ४९,८८,५०३ रुपये थी ।

श्री एन० पी० सिन्हा : कोई अनुपूरक नहीं पूछने हैं ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या बंदर इसमें शामिल हैं ?

श्री करमरकर : मेरा विचार था कि कुछ माननीय सदस्य बन्दरों में निश्चित रूप से रुचि लेंगे .....

एक माननीय सदस्य : उत्तम प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं जानता नहीं कि प्रश्न अच्छा है या बुरा । परन्तु यह मैं देखता हूं कि कुछ माननीय सदस्य सदैव इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं । मैं इसे प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूं ।

श्री करमरकर : क्या मैं बन्दरों के सम्बन्ध में उत्तर दूं श्रीमान् ?

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न को लेते हैं ।

वायु तथा सूर्य किरणों की शक्ति की उपयोगिता

*६९३. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सितम्बर १९५२ के अन्त में भारत समेत नौ देशों के वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन वायु और सूर्य किरणों में निहित शक्ति को काम में लाने के साधनों तथा तरीकों पर विचार करने के लिए इंगलैण्ड में समवेत किया गया था; तथा

(ख) क्या यू० एन० ओ० (संयुक्त राष्ट्र संघ) वायु तथा सूर्य किरणों में निहित शक्ति को यांत्रिक कार्यों में उपयोग करने के हेतु एक प्रयोगात्मक केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना करता है ।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जहां तक सरकार को विदित है, इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन नहीं है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : किन देशों ने उस सम्मेलन में भाग लिया था ?

श्री हाथी : यह शुष्क क्षेत्र से अनुसन्धान से सम्बन्धित परामर्शदात्री समिति की एक बैठक थी । समिति के यह सदस्य, जिनके नाम मिस्र, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, भारत, मैक्सिको, फ्रांस, उक्रेन, पेरू तथा संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन हैं, उपस्थित थे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में सूर्य-ताप हीटरों तथा चूल्हों के सम्बन्ध में किये गये प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री हाथी : मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारत सरकार के उच्च वैज्ञानिक अधिकारियों ने बार बार समाचार पत्रों में यह वक्तव्य प्रकाशित कराये हैं कि निकट भविष्य में ही जनता को सूर्य-ताप हीटर बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकेंगे ?

श्री हाथी : मुझे ज्ञात नहीं है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इन सूर्य-ताप हीटरों के सम्बन्ध में सरकार ने यह निश्चय किया है कि यदि कोई इन को बनाना चाहे तो वह सरकार को नाम मात्र अधिकार-शुल्क (रायल्टी) देकर उन को बना सकता है । अब निर्माताओं को उनका बनाना प्रारम्भ करना है ।

श्री नम्बियार : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि कल के समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि कुर्ग में एक लड़की बिना भोजन किये, केवल मात्र वायु से किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करके जीवित रह रही है; और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार इसके सम्बन्ध में जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी ने इन सूर्य-ताप हीटरों के उत्पादन के सम्बंध में सरकार द्वारा की गई पेशकश का लाभ उठाया है ?

श्री हाथी : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये उपलब्ध जन-शक्ति का उपयोग

*६९६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चालू नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत में उपलब्ध जन-शक्ति का उपयोग करने के विषय में आंक समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों पर विचार किया जा चुका है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान श्री दाभी के १०-११-५२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि इन दिनों कुछ परियोजना केन्द्रों पर कुछ अंजनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

श्री हाथी : एक योजना है जिसके अनुसार विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षित करने के लिए हम कोई १५ अंजनिकों को ले रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : हमारी प्रशिक्षित प्रविधिविज्ञों सम्बन्धी मांग की तुलना में यह संख्या कैसी है ?

श्री हाथी: यह बात उनके प्रशिक्षित हो जाने के बाद देखी जायेगी ।

श्री एल० एन० मिश्र: किन विषयों में प्रशिक्षिण दिया जा रहा है ?

श्री हाथी: बांध और नहरें बनाने में मुख्यतया ।

श्री एल० एन० मिश्र: प्रत्येक परियोजना स्थान पर प्रविधिक प्रशिक्षिण केन्द्र खोलने की क्या कोई प्रस्थापना है ?

श्री हाथी: इन केन्द्रों को प्रधानतया निर्माण स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र: इन प्रशिक्षिण केन्द्रों के वित्तीय पहलू के सम्बन्ध में भी क्या कोई प्रस्थापना है ? क्या राज्यों को अंशदान देना होता है अथवा संघ सरकार ही अंशदान दे रही है ?

श्री हाथी: केन्द्रीय सरकार ही इन अंजनिकों को ले रही है ।

अधिक शक्ति-वाली खड्डी समिति

*६९८. **श्री एल० एन० मिश्र: क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अधिक शक्ति-वाली खड्डी समिति की नियुक्ति का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों के नाम और समिति के निर्देश-पद;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा केन्द्र के मध्य कोई करार हो गया है; तथा

(घ) यदि हो, तो खड्डी उद्योग को सहायता देने के लिए स्वीकृत योजना क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख): कदाचित माननीय सदस्य खड्डी पर्षद् की नियुक्ति की ओर निर्देश कर रहे हैं । अखिल भारतीय खड्डी पर्षद की स्थापना करने वाले संकल्प की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०**]

(ग) और (घ). संकल्प की शब्दावलि से माननीय सदस्य को विदित होगा कि राज्य सरकारों का इस पर्षद् में प्रतिनिधित्व है । यह संकल्प उन मोटी बातों को भी बताता है जिन के अनुसार खड्डी उद्योग को सहायता दी जा सकती है । और अग्रेतर कार्यवाही अभी विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय: अब समय नहीं रहा । प्रश्नों का घंटा समाप्त हो गया ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बंगाल और बिहार में चाय बागानों का बन्द हो जाना

श्री के० सी० त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम और बंगाल के बहुत से चाय बागानों के (मुख्यतया भारतीय स्वामित्व वाले) चाय की कीमतों में आई गरावट तथा बैंकों द्वारा ऋण सुविधाओं के कम कर दिये जाने के सम्मिलित प्रभाव के कारण दिसम्बर १९५२ तक बन्द हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या धन की व्यवस्था कर के अथवा उसे किसी प्रकार उपलब्ध करा कर क्या सरकार के पास इन बागानों को बचाने की कोई योजना है; तथा

(ग) कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी और किस अभिकरण के द्वारा वह दिया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि आसाम तथा बंगाल के भारतीय स्वामित्व वाले कुछ चाय बागान कदाचित माननीय सदस्य द्वारा बताये गये कारणों के फलस्वरूप दिसम्बर १९५२ तक बन्द हो जाने का विचार कर रहे हैं ।

(ख) रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार इस समय यह जांच करने में लगी हुई है कि प्रभावित चाय बागानों तथा अन्य में अगली फसल के लिए व्यापारिक बैंकों के द्वारा धन-सम्बन्धी सुविधाओं को दिलाने के लिए कार्यवाही की गई है ।

(ग) केवल मात्र आसाम के बागानों के लिए सम्बन्धित हितों ने जो अपनी आवश्यकताओं के प्राक्कलन दिये हैं वह ४/४ १/२ करोड़ तक के हैं । बंगाल तथा दक्षिणी भारत के चाय बागानों की आवश्यकतायें इस के अतिरिक्त हैं । इन प्राक्कलनों का कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है । ऊपर बताये गये इन प्राक्कलनों की जांच होने तक, सरकार यह बताने में असमर्थ है कि किस रूप में अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि केवलमात्र महाजनी सुविधा ही पर्याप्त नहीं होगी । और वर्तमान बैंकों से केवल तभी धन उपलब्ध होगा जब कि सरकार इस ऋण का दायग्रहणन करे या कुछ जोखिम की जिम्मेदारी ले ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार कुछ जोखिम उठाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न इस काल्पनिक विचारधारा से प्रभावित है कि चाय बागानों को उतने धन से अधिक धन की आवश्यकता होगी जो व्यापारिक बैंकों को उनको दे सकना संभव होगा । यदि इस विचारधारा का उत्तर उसी प्रकार दिया जाये जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जांच करने के लिये पर्याप्त समय रहेगा । मैं यह भी बता दूं कि सरकार इस मामले के संबंध में बहुत ही व्यग्र है । गत सप्ताह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का सचिव कलकत्ता गया था । उसने केन्द्रीय चाय पर्षद् के सभापति तथा कलकत्ता में उपस्थित अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों से परामर्श किया । मंत्रालय का यह वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में रिजर्व बैंक के अधिकारियों से बातचीत करने के विचार से इसी सप्ताह बम्बई जाने वाला है । हम क्या कर सकते थे, यह बात अभी हम समझ नहीं सके हैं। मैं सदन को केवलमात्र यह बता सकता हूं कि हम यथासंभव सभी प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं ज्ञात कर सकता हूं श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र को चाय के लिये जो राजकीय सहायता दी जाती थी वह वापस ले ली गई है, और क्या यह भी तथ्य है कि फुटकर बिक्री की अधिकतम कीमतें नियत थीं जिस के कारण राजकीय सहायता वापस लिये जाने के पश्चात् कीमतें बढ़ी नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह स्वीकार करता हूं कि एक गत अवसर पर यह मामला माननीय सदस्य द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था । इस मामले के कारणों तथा परिणामों का प्रभाव बताना बहुत कठिन है । तथ्य वैसे ही हैं जैसे कि माननीय सदस्य ने बताये हैं अर्थात् राजकीय सहायता वापस ले ली गई है और फुटकर कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी कि राजकीय सहायता के वापस ले लिये जाने के कारण बढ़ जातीं परन्तु इस तथ्य का नाता इस बात से जोड़ना , कि जनता की इच्छा कीमतों को कम करने की थी, एक दूसरा ही मामला है । जो भी सूचना मेरे पास है उस से यह ज्ञात होता है कि इस सम्बन्ध में और भी कई कारण प्रभाव डाल रहे हैं । इस सदन के उन माननीय सदस्यों को जो राशनिंग प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं, यह ज्ञात होगा कि कभी कभी किसी वस्तु की अधिकतम खपत जिसकी राशन प्रणाली अनुमति देती है, केवल मात्र उस समय होती है, जब कि राशनिंग प्रणाली चालू होती है । जिस समय भी राशनिंग

व्यवस्था ढीली की जाती है, लोग अपने घरों में स्टॉक करना बन्द कर देते हैं। यह संभव है कि संयुक्त राष्ट्र में, क्योंकि राशन व्यवस्था ढीली कर दी गई है, स्टॉक किया जाना बन्द हो गया हो और कदाचित वह तीन औंस की वह अधिकतम परिमात्रा भी न खरीद रहे हों जिसे उनको राशनिंग के समय खरीदने की अनुमति थी ।

एक दूसरी बात, जिसके कारण मुझे बताया गया है कि कीमतों में गिरावट आई है, यह है कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र मध्यम प्रकार की चाय का ग्राहक था तो उसने इन स्टाकों का अधिकांश भाग संयुक्त राष्ट्र सरकार से बचा लिया था, और ऐसा प्रतीत होता है इन वस्तुओं के व्यापारियों के पास इन का काफ़ी बड़ा स्टांक होने की संभावना है। मुझे यह बताया गया है कि संभव है कि इससे मांग कुछ कम है, परन्तु इन मामलों में किसी एक व्यक्ति के अनुमान का वही महत्व है जो अन्य व्यक्ति के अनुमान का, और मैं इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं बतला सकूंगा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान में चट-गांव में होने वाले नीलामों में बी० पी० और बी०पी०एस० चाय रु० १–२–० से लगा कर रु० १–८–० तक के मूल्यों पर बिक रही थी जब कि कलकत्ता के बाजार में चाय की यही किस्म रु० ०–९–० से रु० ०–१२–० तक बिक रही थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य की सूचना का समर्थन करने अथवा उसको अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं परन्तु मैं उस से कोई परिणाम निकालने में सर्वथा असमर्थ हूं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार मूल्यों के स्थायी करण के प्रश्न को होने वाले राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में उठाने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूं । राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में कदाचित उन वस्तुओं का मामला, जिनका राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ विनिमय किया जाता है, मेरे विचार से कार्य सूची पर नहीं है, कम से कम जहां तक मेरी सूचना है ऐसा नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने कहा कि उन को यह जानकारी है कि कुछ चाय बागानों ने इस दिसम्बर तक अपना कारोबार बन्द कर देने की इच्छा प्रकट की है। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या उन को सरकारी सूत्रों से अथवा गैर-सरकारी पत्रों से ऐसी कोई सूचना मिली है कि कुछ चाय बागान पहले ही बन्द हो गये हैं; और यदि ऐसा है तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे उत्तर की इस विषमता की ओर संकेत करने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं । यह तथ्य है कि कुछ बागान बन्द हो गये हैं।

श्री ए० सी० गुहा : उनकी संख्या क्या है, और इन बागानों में प्रभावित हुए मज़दूरों की संख्या क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्य से जो कर्मचारी मेरे पास हैं या जो सुविधायें मुझे प्राप्त हैं उन से इस सम्बन्ध में निश्चित सूचना प्राप्त करना अति कठिन है । कचार में १४, त्रिपुरा में २, शेष आसाम में २ और पश्चिमी बंगाल में २ चाय बागानों के बन्द हो जाने का अनुमान लगाया जाता है । और बेकार हुए मज़दूरों की संख्या का अनुमान प्रायः १५,००० व्यक्तियों का है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : माननीय मंत्री ने अभी उस सम्मेलन का निर्देश किया जो

इस मामले के सम्बन्ध में कलकत्ता में हुआ था। क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि एक सुझाव यह दिया गया था कि उत्पादन को कम करने की एक सुनियोजित योजना तुरन्त ही लागू की जाये ? इस सम्बन्ध में सरकार कब तक कोई निर्णय कर सकने की आशा करती है और यह देखने के लिए कि इससे श्रमिकों पर बुरा प्रभाव न पड़े सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उत्पादन को नियंत्रित करने का विषय सदैव उठाया जाता है, और यद्यपि मैं ने उक्त सम्मेलन की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है—मुझे अभी रिपोर्ट मिली ही नहीं है, और न उसके अतिरिक्त, जो मेरे सचिव ने मुझे बताया है, मुझे कुछ मालूम ही है—परन्तु मैं यह भली प्रकार समझता हूं कि जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उनमें यह भी एक विषय था। उत्पादन में कमी करने की उपलक्षणायें बहुत अत्याधिक हैं और हमें अभी उनकी जांच करनी है। अन्य मामलों के सम्बन्ध में, मैं अभी प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री वेंकटारमन : क्या दक्षिणी भारत में कोई भी बागान बन्द हुआ है अथवा उसने बन्द होने की धमकी दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस मामले में दक्षिणी भारत बिल्कुल शान्त मालूम पड़ता है।

श्री वेंकटारमन : मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या सरकार ने यह ज्ञात करने का कष्ट किया है कि यह संकट किस सीमा तक अधिकाधिक संचालकीय व्यय, घूमने वाले ऐजेंन्टों, प्रबन्ध संचालकों तथा इन्हीं प्रकार के अन्य व्ययों के कारण है, और क्या सरकार ने कभी भी संचालन व्यय को घटाने, निश्चित करने अथवा सीमित करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि कोई जांच समिति नियुक्त हुई तो सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री वेंकटारमन : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य कार्यवाही करने के लिए सुझावा दे रहे हैं।

श्री वेंकटारमन : एक प्रश्न और। उस सरकारी दल ने, जिसे वाणिज्य मंत्रालय ने नियुक्त किया था, कुछ कार्यवाहियों का और विशेषकर श्रम के सम्बन्ध में सुझाव दिया था। उस सरकारी दल ने यह सुझाव दिया था कि बागान श्रम अधिनियम और न्यूनतम मजूरी अधिनियम को भी, स्थगित कर दिया जाये। मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने सदन को यह वचन नहीं दिया था कि बिना श्रम के किसी प्रतिनिधि को ऐसी किसी जांच में सम्मिलित किये बिना श्रम को प्रभावित करने वाली कोई सिफ़ारिश सरकारी दल द्वारा नहीं की जायेगी, और यदि दिया था, तो क्या सरकार इस दल द्वारा की गई सिफ़ारिशों को, जहां तक श्रम का सम्बन्ध है, स्वीकार करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है श्रीमान् कि मेरे माननीय मित्र ने मेरे आश्वासन को, जिसे मैंने सदन में दिया था, ठीक तरह से व्यक्त नहीं किया है। मैंने यह अवश्य कहा था कि सरकार ऐसी किसी सिफ़ारिश पर विचार नहीं करेगी जो श्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, परन्तु उस समय मेरे समक्ष केवल न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लागू किये जाने की बात ही थी। बागान श्रम अधिनियम की तो अभी योजना बनानी है और मैं किसी ऐसे अधिनियम के सम्बन्ध में, जिसका लागू किया जाना मेरे सहयोगी श्रम मंत्री के अधिकार में हो, कुछ नहीं कह सकता हूं।

माननीय सदस्य इस तथ्य को भी समझेंगे कि जांच समिति ने श्रम के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष गवाही देने को कहा था, और इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि सरकार यह अनुभव करती है कि जांच ऐसे प्रकार से की गई थी जो कि पूर्णतया पक्षपात रहित थी और जिसका रुझान किसी भी पक्ष की ओर नहीं था। मुख्य उद्देश्य कुछ ऐसे साधन ढूंढ निकालना था जिन से समग्र चाय उद्योग को लाभ पहुंचाया जा सके, जिसका अर्थ यह है कि बागानों के मालिकों, श्रम तथा इस उद्योग से सम्बन्धित सभी अन्य व्यक्तियों का इस से हित हो।

इस विषय में, कि इन सिफारिशों के आधार पर क्या किया जा सकता था, मेरे विचार से यह विषय इस समय मेरे सहयोगी माननीय श्रम मंत्री के विचाराधीन है। और कदाचित सदन को ज्ञात है कि वह दिसम्बर मास में कलकत्ता में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने का विचार कर रहे हैं, और हम को उस सम्मेलन के परिणामों की प्रतीक्षा करनी है।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार पर्षद् को छोड़ देने के पश्चात् विदेशों की मंडियों में अच्छी खपत करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमारे अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार पर्षद् को छोड़ देने मात्र से ही अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार पर्षद् द्वारा किया जाने वाला प्रचार भी बन्द नहीं हो गया है, क्योंकि हमने ३१ मार्च, १९५२ तक के प्राक्कलित व्यय को अथवा इस तिथि के बाद के समय के लिए किये गये करारों के व्यय का अंशदान देने का वचन दिया है। इस प्रकार ऐसी कोई त्रुटि या भूल नहीं है जिसे अविलम्ब ही पूरा किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल एक प्रश्न की और अनुमति दूंगा।

श्री बी० के दास: मैं पूछ सकता हूं कि क्या हमारे निकल आने से विदेशों की मांग में कोई और अग्रेतर कमी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मुझे खेद है कि इस प्रश्न को हमारे निकल आने की घटना से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है। और माननीय सदस्य को विदित होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार पर्षद् अपनी सम्पूर्ण निधि में से बहुत ही थोड़ी धनराशि संयुक्तराष्ट्र ब्रिटेन के बाजारों में व्यय कर रहा था। एक बाजार, जिसमें कि वह अपने प्राक्कलित व्यय का अधिकांश भाग, प्रायः उतना ही धन जितना कि हम उसे अंशदान के रूप में देते हैं, खर्च कर रहा था, वह अमरीका का था। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि अमरीका में उस ने जो प्रचार कार्य शुरू किया था वह अभी चल रहा है और मेरे विचार से हमारे पर्षद् के छोड़ देने के कारण हमें कोई हानि नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं ने इस प्रश्न को पन्द्रह मिनट तक चलने दिया है, और इतने समय से हम केवल मात्र इसी प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर अब और कोई अनुपूरक प्रश्न न पूछे जायें।

अब हम इस कार्यक्रम की दूसरी मद को लेते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मुख्य अंजनिकीय (इंजीनियरिंग) कार्य

*६८१. **श्री यू० सी० पटनायक**: (क) क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के अधीन चालू मुख्य इंजीनियरिंग कार्यों के निर्माण में सेना तथा नौ इंजीनियरों को असैनिक इंजीनियरों के साथ संयुक्त करने की प्रश्न की क्या योजना आयोग द्वारा जांच की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रासंगिक पत्रादि को सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ?

सिचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भारत की जन शक्ति का उभोग

*६८२. **श्री यू सी० पटनायक** : (क) **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने भारत की विशाल जन-शक्ति को राष्ट्रीय कार्यों के लिए प्रचलित करने, प्रशिक्षित करने तथा उनको रक्षा तथा विकास के आधार पर पुनः संगठित करने के प्रश्न की जांच की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : यह विषय योजना आयोग के विचाराधीन है।

नदी घाटी परियोजना संगठनों में स्टाक पंजियां

*६९४. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंक समिति ने सन् १९५१-५२ की पांचवीं रिपोर्ट के पैरा १३५ में यह प्रतिवेदित किया है कि विभिन्न संगठनों और विशेषतः हीराकुड में प्रभार में दिये गये विभिन्न भांडारों, संयंत्रों तथा मशीनों की स्टॉक पंजियां नहीं रखी गई थीं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या आंक समिति ने यह सुझाव दिया है कि नदी घाटी संगठनों से असम्बद्ध अंजनिकों की एक छोटी सी समिति मामले की जांच करने, इस कारण अब तक हुई हानि का अनुमान लगाने और किन्हीं व्यक्तियों की असावधानी से हानियां हुई हों तो समुचित दण्ड की व्यवस्था करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये; तथा

(घ) आंक समिति के उपरोक्त सुझाव के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के सह सचिव को इस मामले की जांच करने को कहा गया है, और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

दामोदर घाटी निगम को प्रदाय किये गये भंडारों का निरीक्षण

*६९५. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंक समिति ने सन् १९५१-५२ की अपनी पांचवीं रिपोर्ट के पैरा १३७ में यह प्रतिवेदित किया है कि दामोदर घाटी निगम के मामले में यह देखा गया था कि एक अभिकरण को अथवा किसी सहकारी अभिकरण को, जो कि माल प्रदाय करने के लिए ज़िम्मेदार था, उन भांडारों के निरीक्षण का कार्यभार भी सौंपा हुआ था; तथा

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है, और यदि हां, तो परिणाम क्या निकले हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ने इस मामले की तथा आंक समिति की अन्य सिफारिशों की जांच कर के प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति को नियुक्त किया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार पर्षद् की परिसम्पत्

*६९७. **श्री ए० सी० गुहा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय विक्रय विस्तार की कोई परिसम्पत् है ?

(ख) यदि हो, तो उस की परिसम्पत् क्या है ?

(ग) भारत का सम्पूर्ण अंशदान, तथा उसका अनुपात, जिससे कि यह परिसम्पत् प्राप्त की गई है, क्या था ?

(घ) पर्षद् से निकल आने के पश्चात् क्या भारत का इस परिसम्पत् पर कोई दावा रहेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१**]

(घ) सरकार इस प्रश्न का इस अवसर पर उत्तर देना पसन्द नहीं करेगी ।

सीमेन्ट

*६९९. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री भारत सरकार द्वारा सन् १९५१-५२ के निर्माण कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीमेन्ट की सम्पूर्ण मात्रा बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) सन् १९५१-५२ में विस्थापित व्यक्तियों की गृह-निर्माण तथा पुनर्वास योजनाओं के लिए आवंटित की गई सम्पूर्ण परिमात्रा ?

(ग) सन् १९५१-५२ में विभिन्न राज्य सरकारों को स्वयं उनके हिसाब में कितनी परिमात्रा आवंटित की गई थी ?

(घ) सामान्य जनता के लिए दी गई सम्पूर्ण परिमात्रा कितनी थी ?

(ङ) क्या यह तथ्य है कि सीमेन्ट के बाजार में चोर बाजारी हो रही है ?

(च) सामान्य जनता के लिए और अधिक सीमेन्ट देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत सरकार के निर्माण कार्यक्रम के लिए, जिस में बांध, पुल इत्यादि सम्मिलित थे, ९००,००० टन की मांग थी, परन्तु केवल ५६०,००० टन ही आवंटित किया जा सका ।

(ख) २७७,०४० टन की मांग पर १७०,७६० टन ।

(ग) राज्यों को आवंटित किये गये २२ लाख टन में से ८८०,००० टन उनके द्वारा सरकारी विभागों तथा सरकारी-तुल्य संस्थाओं को दे दिये गये ।

(घ) कृषि कार्य तथा पुनर्वास कार्यों के लिये किये गये आवंटनों सहित २० लाख टन।

(ङ) कुछ मामलों की रिपोर्ट राज्य सरकारों ने की है ।

(च) कुछ विकास योजनाओं को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है । जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे सामान्य जनता को किये जाने वाले आवंटनों में भी वृद्धि करना संभव हो सकेगा ।

शक्ति सुषव सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

*७००. **श्री सी० आर० चौधरी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में शक्ति सुषव सम्बन्धी कोई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने उस में भाग लिया था ?

(ग) उक्त गोष्ठी में किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी और वहां किये गये निर्णय भारत के काम में किस प्रकार आ सकते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२**]

भेषजों का उत्पादन

* ७०१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में बनाये गये भेषज देश की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं, श्रीमान् ।

कोयले के यातायात के लिए डब्बों के दिये जाने की स्थिति

*७०२. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत चार वर्षों में कोयले के यातायात के लिये डब्बे दिये जाने की स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, क्या वह कोयले के यातायात के लिये डब्बे दिये जाने की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देने की प्रस्थापना करते हैं; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी बंगाल में कई स्थानों पर घरेलू काम में आन वाले कोयले के मूल्य इस कारण बढ़ गये हैं क्योंकि मोटर ट्रकों के द्वारा कोयला ढोने में अधिक भाड़ा लगता है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) मैं यह निवेदन कर दूं कि जून तक कोयले के यातायात के लिये दिये गये ३००० डब्बों की तुलना में जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के आंकड़े क्रमशः ३१०८, ३४४४, ३३२३ और ३३९० थे; और १५ नवम्बर तक औसत ३३७४ था। यह सुधार मौसमी है, परन्तु सरकार कोयला यातायात का अभिनवीकरण करके और स्थायी रूप से सुधार करने के हेतु नये डब्बों के लिये व्यादेश देकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ।

(ग) जी हां, राज्य के कुछ सब डिवीजनों में कुछ सीमा तक। यद्यपि रेल द्वारा यातायात के साधन को पूर्ण रूप से काम में लाया जाता है परन्तु तो भी अतिरिक्त प्रदाय के लिये ट्रकों का उपयोग एक प्रकार से अनिवार्य ही है ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*७०३. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५० के प्रारम्भ से अक्तूबर १९५२ तक पूर्वी बंगाल के आसाम तथा त्रिपुरा के अतिरिक्त, पश्चिमी बंगाल से पुनर्वास के लिये भेजे गये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या और प्रत्येक राज्य को भेजे गये विस्थापित व्यक्तियों की संख्या;

(ख) आसाम तथा त्रिपुरा के आंकड़े क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य के विस्थापित व्यक्तियों के सरकारी कैम्पों अथवा बस्तियों से वापस लौट आने या भाग आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या;

(घ) उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जो वहीं रह गये हैं और प्रत्येक राज्य में स्थायी रूप से बस गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उन कारणों के सम्बन्ध में कोई जांच की है जिनके परिणामस्वरूप इन व्यक्तियों को उन स्थानों को छोड़ कर जहां उनको भेजा गया था, वापस लौटने पर बाध्य होना पड़ा, तथा इस जांच के परिणाम; तथा

(च) २५ अक्तूबर १९५१ से प्रत्येक राज्य को जितने विस्थापित व्यक्तियों को भेजने की प्रस्थापना है उनकी संख्या ?

पुनर्वास [मंत्री] (श्री ए० पी० जैन) : (क) :—

बिहार	२७,५०४ व्यक्ति
उड़ीसा	२७,३८९ व्यक्ति
उत्तर प्रदेश	३,७५४ व्यक्ति
अण्डमान	२,१५० व्यक्ति
योग	६०,७९७ व्यक्ति

(ख) आसाम तथा त्रिपुरा को कोई विस्थापित व्यक्ति नहीं भेजे गये थे।

(ग) बिहार	११,४७१ व्यक्ति
उड़ीसा	१८,९१६ व्यक्ति
उत्तर प्रदेश	४१५ व्यक्ति

अण्डमान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) बिहार	१२,४९० व्यक्ति
उड़ीसा	७,५५५ व्यक्ति
उत्तर प्रदेश	३,३३९ व्यक्ति
अण्डमान	२,१५० व्यक्ति

(ङ) लोग मुख्यतया इस कारण भाग आये थे क्योंकि विस्थापित व्यक्ति बंगाल से बाहर की स्थितियों के आदी नहीं थे।

(च) बिहार	१५,००० व्यक्ति
उड़ीसा	१५,००० व्यक्ति
उत्तर प्रदेश	३,०६१ व्यक्ति

कावेरी प्रपात से जल विद्युत शक्ति

*७०४. **श्री [एस० वी० रामास्वामी** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मदरास सरकार ने सलेम ज़िले के होगनेकेल स्थान पर कावेरी के प्रपात को नियंत्रित करके एक जल विद्युत जनन स्टेशन बनाने की कोई योजना प्रेक्षित की है; तथा

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने ऐसी योजना के लिये वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आसाम और मनीपुर में सामुदायिक परियोजनायें

*७०५. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आसाम और मनीपुर के जन जाति क्षेत्रों में सामुदायिक परियोजनाओं के कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

(ख) पांच वर्षों में उक्त क्षेत्र में कितने केन्द्र खोले जाने को हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) आसाम में दो विकास केन्द्र तथा मनीपुर में कोई नहीं।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय जूट मिल संस्था नियोग

*७०६. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय जूट मिल संस्था ने संयुक्त राज्य अमरीका को कोई आयोग भेजा है; तथा

(ख) यदि हां, तो—

(१) क्या आयोग सरकार से पूर्व परामर्श करने के बाद भेजा गया था;

(२) क्या सरकार को आयोग से अथवा उस के नेता से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(३) क्या सरकार ने आयोग के सुझावों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने अथवा उसके उद्देश्यों में सहायता देने का कोई विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) (१) क्योंकि यह एक निजी आयोग था, अतः सरकार से किसी पूर्व परामर्श की आवश्यकता नहीं थी ।

(२) कोई औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, परन्तु सरकार को आयोग के कार्यों की सूचना भारतीय जूट निर्माता संघ द्वारा दे दी गई है ।

पाकिस्तान से वापस लाये गये कैदी और मानसिक रोगी

*७०७. **श्री तेलकीकर** : क्या **पुनर्वास** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान के असुरक्षित क्षेत्रों से भारत में सुरक्षित स्थानों को हटाये गये तथा विनिमय किये गये कैदियों की संख्या; तथा

(ख) पाकिस्तान से इस प्रकार हटाये गये मानसिक रोगियों की संख्या ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान ९ अगस्त, १९५० को तारांकित प्रश्न संख्या ४३६ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान ६ अप्रैल १९५१ को तारांकित प्रश्न संख्या २८७४ के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । मानसिक रोगियों का और कोई अग्रेतर बदलौवल नहीं हुआ है ।

पाकिस्तान में अमुस्लिम मन्दिर

*७०८. **श्री तेलकीकर** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पाकिस्तान स्थित अ-मुस्लिम मन्दिरों की पवित्रता को बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये करार तथा की गई कार्यवाहियां; तथा

(ख) क्या ऐसी कोई घटनायें थीं जिनमें इन मन्दिरों की पवित्रता तथा सुरक्षा खतरे में थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख) । माननीय सदस्य का ध्यान ११ जुलाई, १९५२ के अतरांकित प्रश्न संख्या ३९० के भाग (क) के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है । उस उत्तर में पाकिस्तान सरकार के हुए क़रारों का पूरा ब्यौरा तथा भारत और पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की पवित्रता को बनाये रखने तथा उनकी समुचित देख भाल के सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों का सम्पूर्ण विवरण दिया गया है । इस के अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू तथा सिख मंदिरों के अनुचित उपयोग, अपवित्र तथा ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों का पूरा ब्यौरा भी दिया गया है ।

कांच उद्योग के लिए सोडियम कारबोनेट

*७०९. **श्री मेघनाद साहा :**
श्री टी० के० चौधरी :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन से आयात किये गये सोडियम कारबोनेट के अधिक मूल्य होने के कारण भारतीय कांच निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

(ख) संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन और भारत में अधिक भार वाले सोडियम कारबोनेट का प्रति टन मूल्य क्या है ?

(ग) भारत में अधिक भार वाले सोडियम कारबोनेट के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या यदि कुछ कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या भारत सरकार को विदित है कि भारत की सभी पट (शीट) कांच फैक्टरियों को अधिक भार वाले सोडियम कारबोनेट के अधिक मूल्यों के कारण बन्द हो जाना पड़ा है, और उपभोक्ताओं को आयातित कांच पटों के लिए चौगुना मूल्य देना पड़ता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध सख्या २३**]

(ग) सोडा भस्म उद्योग निजी व्यवसायों में है। सरकार उन निर्माताओं को, जिनके पास भारी सोडा भस्म का उत्पादन करने अथवा अपनी वर्तमान कार्यक्षमता को बढ़ाने की कोई योजनायें हैं, सभी सम्भव प्रोत्साहन देने को प्रस्तुत है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् सोडा भस्म के मूल्य अधिक हो जाने के कारण कोई भी कांच पट फैक्टरी बन्द नहीं हुई थी और न उपभोक्ताओं को आयात किये गये पट कांच का अनुचित मूल्य ही देना पड़ता है।

चीन के लिए सिक्किम के चावल

*७१०. **पंडित अलगू राय शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने सिक्किम की राजधानी गंगाटोक से चावल की एक बड़ी मात्रा कलकत्ता के रास्ते से चीन ले जाये जाने की अनुमति दी है; तथा

(ख) यदि दी है, तो कितने चावल के लिए ? इसे कब ले जाया गया तथा इस सम्बन्ध में यातायात के कौन से साधन काम में लाये गये ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख)। चीन की जन सरकार की प्रार्थना पर पिछले जून में भारत सरकार सन् १९५२ के अन्त तक चीनी चावल के भारत के रास्ते तिब्बत को भेजे जाने के लिए सुविधायें देने पर राज़ी हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि उस तिथि तक २००० से २५०० तक टन चावल इस मार्ग से ले जाया जायेगा। चावल को कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक रेल द्वारा, सिलीगुड़ी से गंगाटोक तक ट्रकों द्वारा और गंगाटोक से आगे खच्चरों द्वारा ले जाया जाता है।

आसाम की चाय

*७११. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सम्पूर्ण भारतीय चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग आसाम के चाय बागानों में पैदा किया जाता है; तथा

(ख) भारत सरकार को चाय से होने वाली औसत वार्षिक आय ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करभरकर) : (क) जहां तक सन् १९५१ के उत्पादन का सम्बन्ध है ४६.०६ प्रति शत।

(ख) केन्द्रीय आबकारी तथा निर्यात शुल्कों के रूप में १४,१३,०१,००० रुपये।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार

*७१२. **श्री नटेशन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत प्रदाय अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत प्रस्थापित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार स्थापित कर दिया गया है, और यदि हां तो कब ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार २० जन-

वरी, १९५० को भूतपूर्व निर्माण, खान तथा विद्युत मन्त्रालय द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या ई ऐल–२–१(९) दिनांक २० जनवरी, १९५० के द्वारा स्थापित किया गया था।

पश्चिमी जर्मनी से व्यापार करार

*७१३. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ अक्तूबर, १९५१ को समाप्त हुए पश्चिमी जर्मनी के साथ हुए व्यापार क़रार के परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन किस सीमा तक जर्मनी के अनुकूल रहा था ?

(ख) क्या नवीकृत क़रार में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक, और सरकार द्वारा प्रत्याशित परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पश्चिमी जर्मनी के साथ हुआ पुराना व्यापार क़रार १-११-५१ से ३१-१०-५२ तक की अवधि के लिए था। नवम्बर १९५१ से जुलाई १९५२ तक के उपलब्ध नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार जर्मनी के प्रति अनुकूल व्यापार सन्तुलन १०९० लाख रुपये था।

(ख) और (ग): नवीकृत क़रार में, जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी गई हैं, पश्चिमी जर्मनी बिना किसी प्रकार के परिमात्रिक प्रतिबन्धों के भारत से बहुत अधिक अतिरिक्त वस्तुओं को आयात किये जाने की अनुमति देने पर राज़ी हो गया है। वह उन बहुत अधिक वस्तुओं के आयात का लायसेंस देने को राजी हो गई है जिन पर उसके आयात नियंत्रण विनिमयों के अन्तर्गत आयात अभ्यंश प्रतिबन्ध लागू होते हैं और उसने उनके लिये निश्चित किये गये अभ्यंश परिमाणों को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया है। सरकार को आशा है कि पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त इन नवीन सुविधाओं तथा रियायतों से हमारा उस देश को होने वाला निर्यात व्यापार बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

मनीपुर में कुटीर उद्योग

*७१४. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के कुटीर उद्योगों को कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण का परिमाण;

(ग) जिन कुटीर उद्योगों को ऋण दिया गया है, उनके नाम; तथा

(घ) सरकार द्वारा ऋण दिये जाने के समय से अब तक सम्बन्धित सार्थों द्वारा की गई व्यक्तिगत प्रगति ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) २०,००० रुपये।

(ग) खड्डी कपड़ा उद्योग, दर्ज़ीगीरी लकड़ी के तख्ते बनाने का उद्योग, कागज बनाना, चाक़ू बनाना, बढ़ईगीरी तथा लिखने के होल्डरों को बनाने का उद्योग।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

विस्थापित प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तियां

*७२५. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जामिया मिल्लिया इस्लामिया ओखला में इस वर्ष से बैचलर आफ़ ऐज्यूकेशन (शिक्षा विषयक स्नातक) कक्षायें खोल दी गई हैं, और यदि हां, तो प्रति व्यक्ति प्रति मास कितनी फ़ीस (शुल्क) ली जाती है;

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में रहना अनिवार्य है, यदि हां, तो प्रति मास छात्रावास शुल्क क्या है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने कुछ विस्थापित प्रशिक्षणार्थियों को जामिया मिल्लिया विद्यालय ओखला भेजा है और उन्होंने बहुत दिन हुए सरकार से वृत्तियां दिये जाने की प्रार्थना की है और सरकार ने न उनको कोई जवाब दिया है और न ही उनको अभी तक कोई छात्रवृत्तियां ही दी हैं; तथा

(घ) क्या यह तथ्य है कि सरकार बी० टी० (शिक्षण स्नातक) तथा अन्य प्रविधिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां देती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (घ)। सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

*७१६. **श्री बी० एन० राय** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी वह परियोजनायें जिनके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिये गये हैं; तथा

(ख) उक्त कार्य के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि और केन्द्रीय सरकार तथा स्वीकृत धनराशि ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान दिये गये हैं, परन्तु सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये कोई अनुदान नहीं दिये गये हैं ।

(ख)

वर्ष	अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत मांगी गई राशि	अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि
	रुपये	रुपये
१९४९-५०	३९·४० लाख	३८·६२ लाख
१९५०-५१	१११·३६ लाख	१०१·२८ लाख
१९५१-५२	९२·०९ लाख	४२·४१ लाख
१९५२-५३	७६.७१ लाख	२४.२५ लाख

गंगानगर में भूमि आवंटन

*७१७. **श्री मोरारका** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्होंने पंजाब में किये गये अपने भूमि आवंटनों को स्वीकार नहीं किया है, गंगानगर में किये गये भूमि आवंटन क्यों रद्द किये जा रहे हैं; तथा

(ख) क्या सरकार को यह विदित है कि गंगानगर में मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई अधिकांश भूमि पर सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय निवासियों ने कब्ज़ा कर लिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

सूचना अधिकारियों की परीक्षा

*७१८. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि विदेशी सेवा के लिये नियुक्त किये गये तथा विभिन्न देशों में स्थित दूतावासों में सूचना अधिकारियों की भांति सेवायुक्त किये गये अभ्यर्थियों को हाल ही में लन्दन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई एक परीक्षा में बैठना पड़ा था ?

(ख) ऐसे कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और उनमें से कितने चुने गये ?

(ग) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिये बिना की गई नियुक्तियों का अनुमोदन करने के लिए क्या लन्दन में ऐसी परीक्षायें लेना एक सामान्य प्रक्रिया है ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस मामले में सामान्य प्रक्रिया से यह विचलन क्यों किया गया ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (घ)। यूरुप स्थित हमारे अनेकों नियोगों से यह प्रार्थना प्राप्त हुई थी कि उन नियोगों में सेवा युक्त कुछ अधिकारी प्रकाशना सम्बन्धी कार्य के लिए उपयुक्त थे। उनके लिये तथा विदेशों में रहने वाले अन्य भारतीयों को इन्टरव्यू (भेंट) के लिए भारतवर्ष आना सरल नहीं था। इस कारण संघ लोक सेवा आयोग के सभापति की लन्दन यात्रा का लाभ उठाया गया और उन्होंने कुछ अभ्यर्थियों से, जिनकी दरखास्तें संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई थीं, इन्टरव्यू किया। इन इन्टरव्यूओं के परिणामस्वरूप, लन्दन में इन्टरव्यू किये गये अभ्यर्थियों में से केवल एक व्यक्ति की सूचना अधिकारी के पद के लिए सिफ़ारिश की गई। उसको अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है।

यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है, परन्तु कभी कभी संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से इस प्रणाली को अपनाया जा सकता है।

संयुक्तराज्य प्रविधिक सहायता से वियुक्त सामुदायिक परियोजनायें

*७१९. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या **योजना** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे की वह कौन से राज्य हैं जहां सामुदायिक परियोजनाओं को भारत-अमरीका प्रविधिक सहायता करार के अन्तर्गत प्रस्तावित अमरीकन प्रविधिक तथा अन्य सहायताओं से पथक् स्वतन्त्र रूप से चलाया जा रहा है ?

(ख) ऐसे अपवाद के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इस से किसी परियोजना विशेष कर परिव्यय किसी प्रकार बढ़ जाता है अथवा उसका कार्यकाल बढ़ जाता है, और यदि हां, तो क्या सम्बद्ध राज्य सरकारें व्यय के इस अन्तर को वहन करेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) (१) जम्मू और काश्मीर (२) उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी।

(ख) इन दोनों क्षेत्रों की विशेष स्थिति।

(ग) प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है

मुसलमानों का पंजाब में पुनर्संस्थापन

*७२०. **श्री वी० जी० देशपाण्डे** : (क) क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब के विभिन्न ज़िलों में कोई भूमियां उन मुसलमानों के, जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गये थे परन्तु जिनके उनकी भूमियों पर वापस लौट आने की प्रत्याशा है, पुनर्संस्थापन के लिये सुरक्षित रखी गई हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो रोहतक ज़िले में कितने एकड़ भूमि सुरक्षित रखी गई है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि पंजाब में १००० एकड़ भूमि जो विस्थापित व्यक्तियों में वितरित की गई थी अभी तक उनको दी नहीं गई है यद्यपि उन के दावों को प्रथम श्रेणी में रखा गया है ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू और काश्मीर के विस्थापित व्यक्ति

*७२१. **डा० एन० बी० खरे :** (क) क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों को कहां पुनर्वासित किया गया है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उनमें से अधिकांश श्रीनगर में पुनर्वासित किये जाने के इच्छुक हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जम्मू और काश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों को इन स्थानों पर पुनर्वासित किया गया है--

जम्मू तथा काश्मीर राज्य

रामगढ़
कथुआ
सुन्दरबानी
राजौरी
मानपुर

नौशेरा तथा जम्मू और काश्मीर के स्वतन्त्र कराये गये भाग ।

राजस्थान

अलवर
गंगानगर

उत्तर प्रदेश

प्रेमनगर

पंजाब

फ़रीदाबाद

भोपाल

पैप्सू

(ख) सरकार को ऐसी किसी इच्छा का ज्ञान नहीं है ?

औरंगाबाद प्रसारण स्टेशन

*७२२. **श्री एच० जी० वैष्णव :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मराठवाड़ा (हैदराबाद राज्य) में स्थित औरंगाबाद का एकमात्र प्रसारण स्टेशन नई योजना में बन्द किये जाने वाला है, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

(ख) यदि उक्त स्टेशन को बन्द कर दिया गया तो मराठी कार्यक्रमों को प्रसारित करने तथा मराठवाड़ा में स्थानीय गुणियों तथा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

(ग) मराठवाड़ा की जनता के द्वारा किये प्रतिनिधान के अनुसार क्या औरंगाबाद प्रसारण स्टेशन को एक ग्रामीण स्टेशन की भांति जिसमें वर्तमान की अपेक्षा बहुत कम व्यय होगा, बनाये रखने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) जी हां, श्रीमान् । यह ज्ञात हुआ है कि बहुत कम शक्ति वाले प्रसारण स्टेशनों की स्थापना बहुत अपव्ययी होती है क्योंकि इनसे जितने क्षेत्र को लाभ पहुंचता है वह उस पर होने वाले व्यय के सममात्रिक नहीं होता है । औरंगाबाद के वर्तमान पारेषक से और उत्तम काम लेने के लिये उसे हैदराबाद ले जाने की प्रस्थापना है, जहां वह बहुत लाभपूर्ण स्थानीय सेवा कर सकेगा ।

(ख) इस समय जिस क्षेत्र की सेवा औरंगाबाद स्टेशन कर रहा है, उसकी हैदराबाद, पूना तथा बम्बई के वर्तमान तथा प्रस्तावित अधिक शक्तिशाली संस्थापनों से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त, जाड़ों के मौसम में इन्दौर का प्रस्ताविक केन्द्र तथा नागपुर प्रसारण स्टेशन जिसकी शक्ति बढ़ाई जा रही है, से भी पर्याप्त लाभ उठाया जा सकेगा । इस समय के औरंगाबाद स्टेशन से लाभ उठाने वाले क्षेत्र के कलाकारों का उपयोग बनाये गये किसी न किसी स्टेशन से कर लिया जायेगा ।

(ग) स्टेशन को बन्द करने का निर्णय करने से पहले इस मामले की बहुत सावधानी से जांच की गई थी।

खड्डी बुनकरों के लिए सूत

*७२३. **श्री जी० डी० सोमानी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में खड्डी बुनकरों को उसी मूल्य पर अथवा नियंत्रित मूल्यों से कम मूल्य पर वितरित करने के लिए सूत के अभ्यंश दिये जाते हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि बम्बई सरकार को अपने सूत के स्टाकों को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई थी, और यदि ऐसा है तो क्या यह तथ्य है कि बम्बई सरकार ने अथवा उसके ऐजटों ने १८ और २० नम्बरों के सूत को निर्यात किया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) खड्डी बुनकरों तथा अन्य उपभोक्ताओं को मिल मूल्य पर अथवा खुदरा बिक्री में उस पर १२½ प्रतिशत का लाभ लेकर वितरित करने के लिये सूत विभिन्न राज्यों को अभ्यंश आधार पर दिया जाता है।

(ख) बम्बई सरकार को जो राज्य के अभ्यंश को सरकारी लेखे में खरीद रही है, फरवरी १९५२ के बिना बिके सूत के स्टाक को जिसमें १८ और २० नम्बर का सूत भी था, तथा और भी पुराने माल के उस स्टाक को जो उससे बेचा नहीं जा सका था, व्यापारियों को निर्यात की अनुमति देकर बेच देने की अनुमति दे दी गई थी।

चाय के मूल्य

*७२४. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन की सरकार ने इस वर्ष प्रति पौंड में दी जाने वाली आठ पेंस की राजकीय सहायता को वापस लेते हुए संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन के चाय व्यापार हितों से यह व्यवस्था की थी कि उसके अधिकतम खुदरा मूल्य बढ़ाये न जायें; तथा

(ख) क्या भारतीय चाय के वर्तमान मूल्य कई मामलों में उत्पादन मूल्यों से भी कम हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) यह सूचना मिली है कि जब संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन की सरकार ने राजकीय सहायता को उठा देने का निश्चय किया था तो चाय वितरण व्यापारियों ने यह आश्वासन दिया था कि चाय के अधिकतम खुदरा मूल्य को उठाई गई राजकीय सहायता के आधे अर्थात्, ४ पेंस प्रति पौंड, से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(ख) चाय उद्योग की वर्तमान अवस्थाओं की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये सरकारी दल ने यह प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान नीलाम मूल्य अधिकांश साधारण प्रकार के तथा छोटे चाय बागानों के उत्पादन परिव्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

करीमगंज सब-डिवीजन के मानचित्र और भू अभिलेख

*७२५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) यह तथ्य है कि आसाम के करीमगंज सब डिवीज़न के मानचित्रों तथा भू अभिलेखों को पाकिस्तान ने रोक रखा है और अब उनको आसाम सरकार को दिये जाने से इंकार किया जा रहा है

(ख) यदि ऐसा है, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है सिलहट (जो कि पहले आसाम का भाग था और अब पाकिस्तान में है) से सम्बन्धित ऐसे अभिलेख पहले ही पाकिस्तान को दे दिये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). आसाम सरकार से सूचना मांगी गई है। प्राप्त होते उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

पुनर्वास करण

*७२६. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सरकार की नीति थी कि विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार आदि कार्यों के लिये ऋण दिये जायें ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि नई आबादियों तथा नगरों के अतिरिक्त ऐसे ऋणों का दिया जाना एक दम बन्द कर दिया गया है, यदि ऐसा है तो क्यों ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि नवीन नीति के घोषित किये जाने से पूर्व, व्यापार कार्यों के लिए पुनर्वास ऋण दिये जाने के हजारों प्रार्थनापत्र विचाराधीन तथा निर्णयाधीन थे, यदि ऐसा है तो ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या क्या है;

(घ) क्या यह तथ्य है कि इन प्रार्थना पत्रों पर अब बिलकुल विचार नहीं किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि इनमें से कुछ आवेदकों ने दुकानें इत्यादि भी प्राप्त की थीं और इस आशा में कि उनको राज्य पुनर्वास ऋण मिल जायेंगे अपनी गिरह से कुछ विनियोजन भी कर दिये थे; तथा

(च) क्या सरकार को विदित है कि ऐसे आवेदकों को बहुत हानि पहुंची है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। केवल छोटे नगरीय ऋणों को केवलमात्र नये नगरों के निवासियों और उन व्यक्तियों तक के लिए, जिन्होंने सरकार की योजना के अनुसार व्यवसयिक या प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अपने स्वयं के उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, सीमित कर दिया है। इस योजना में परिवर्तन करने का कारण यह है पिछले दिनों सरकार मुक्तहस्त से छोटे नगरीय ऋण देते रही है, परन्तु अब विभाजन के पांच वर्ष बाद इन ऋणों की उपयोगिता वर्तमान नगरों के सम्बन्ध में प्रायः समाप्त हो गई है।

(ग) जी हां, विचाराधीन प्रार्थनापत्रों के आंकड़े तत्काल ही उपलब्ध नहीं हैं, और इनके एकत्रित करने में जो व्यय होगा तथा समय लगेगा वह प्राप्त परिणामों के समानुपातिक नहीं होगा।

(घ) जी नहीं। जो आवेदनपत्र परिवर्तित योजनामें आ जाते हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) मुझे कोई सूचना नहीं है, पर सम्भव है ऐसा हो।

(च) ऐसे प्रार्थनापत्रों की संख्या तुलनात्मक रूप से निश्चय कम होगा।

प्रलेखीय चलचित्रों के लिये मलयालय टिप्पणियां

*७२९. **श्री एन० पी० दामोदरन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सूचना तथा प्रसारण विभाग के चलचित्र एकक द्वारा निर्मित किसी भी प्रलेखीय चल चित्र के लिये मलयालय में कोई भी टिप्पणियां हैं; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो वह कौन से चलचित्र हैं जिनके लिय मलयालय में टिप्पणियां हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) चलचित्र "फ़ायरिंग हट आउट" और "डिमाक्रेसी इन एक्शन" में ।

कोज़ी कोड का अखिल-भारतीय रेडियो स्टेशन

*७२८. **श्री एन० पी० दामोदरन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय रेडियो के कोज़ीकोडे स्टेशन को बन्द कर देने का विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वह क्या कारण हैं जिन्होंने सरकार को इस स्टेशन के बन्द कर दिये जाने पर प्रेरित किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इस समय सरकार के समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

निजी भूमियों के अनाधिकृत् अधिवासियों की बेदखली

*७२९. **श्री बी० आर० वर्मा** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने, अक्तूबर, १९५१ में पारित हुए दिल्ली मकानादि (अधिग्रहण तथा निस्सृति संशोधन विधेयक के अन्तर्गत तथा जैसा कि प्रवर समिति ने सिफ़ारिश की थी और इस सदन में सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन के अनुसार, निजी भूमियों के अनाधिकृत अधिवासियों को बेदखल कर दिया है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने की प्रस्थापना है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान ८ जुलाई १९५२ को उनके द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५७४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं ।

लोक सभा के सदस्यों के लिये मकान

*७३०. **श्री भगवत झा** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लोक सभा के उन सदस्यों की संख्या जिनको इस सत्र में अधिवास स्थान की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) जिन सदस्यों को अब तक मकान नहीं दिये गये हैं उनके लिए उपयुक्त अधिवास स्थान की व्यवस्था करने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है; तथा

(ग) जो फ्लैट बन रहे हैं उनके तैयार होने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) केवल ३८ सदस्यों को जिनको न बंगले और न फ्लैट दिये जा सके थें और जिन्होंने कान्स्टीट्यूशन हाउस में रहना स्वीकार नहीं किया था, अपने आप निवास स्थानों का प्रबन्ध करना पड़ा था ।

(ख) नार्थ और साउथ ऐवेन्यू में ७२ और फ्लैट बन रहे हैं । इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों के तीन बंगलों को संसद् सदस्यों के अधिवास स्थान समूह में सम्मिलित कर लेने का निश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त कान्स्टीट्यूशन हाउस में नौ रसोईघर और बनाये जा रहे हैं । इससे संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों की अधिवास स्थान सम्बन्धी समस्या सुधर जायेगी ।

(ग) कम से कम आठ फ्लैटों को फ़रवरी १९५३ तक तैयार कर देने के सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं । बाक़ियों के जुलाई १९५३ तक तैयार हो जाने की आशा है ।

कच्चे जूट के मूल्य

*७३१. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पिछले पखवाड़े में जूट के मूल्य काफी गिर गये हैं जिससे कि कृषकों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इसके कारण ; तथा

(ग) इस स्थिति का मुक़ाबिला करने के लिए सरकार द्वारा की गई, यदि कोई, कार्यवाही ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान १० नवम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४० पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों की ओर दिलाता हूं।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। मूल्यों में कुछ गिरावट आई है, जोकि अंशतः मौसमी परिवर्तनों के कारण है और अंशतः जूट उत्पादनों के मूल्यों में हुई कमी के कारण है।

नौकरों के क्वार्टरों से धोबियों का निकाला जाना

*७३२. **श्री वी० आर० वर्मा :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि रकाबगंज में धोबियों की एक बड़ी संख्या को नौकरों के क्वार्टरों से निकाल दिया गया है, तथा वह इस शीतकाल में अपने बालबच्चों तथा लोगों के हज़ारों रुपये के मूल्य के कपड़ों को लिए हुए सड़कों पर बैठे हुए हैं जबकि उनके क्वार्टर दूसरों को किराये पर दे दिय गये हैं?

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के धोबियों की ओर से एक अभ्यावेदन, जिस पर १८ संसद् सदस्यों की सिफ़ारिश भी थी अगस्त के पहले सप्ताह में सरकार को पेश किया गया था तथा निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री ने एक मौखिक आश्वासन दिया था कि धोबियों को अब क्वार्टरों से नहीं निकाला जायेगा ?

(ग) इस अभ्यावेदन पर क्या कुछ कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जो जांच मैंने की है, उससे मुझे ज्ञात हुआ है कि ९ धोबी अपने परिवारों समेत धोबी घाट के पीछे वाली रकाबगंज रोड पर रह रहे हैं। पर न तो वह रकाबगंज रोड पर बने क्वार्टरों के नौकरों वाले क्वार्टरों में, जिनमें कि वह पहले रहते थे रहने के अधिकारी हैं, और न सरकार ने उनको वहां से निकाला ही है। कदाचित उनको उन नौकरों वाले क्वार्टरों में रहने की अनुमति उन सरकारी कर्मचारियों ने दी थी जिनको वह सरकारी क्वार्टर मिले हुए थे और वह उनका ही काम करते थे; और जब मुख्य क्वार्टर के अधिवासन को तब्दीली हुई तो नये आने वालों ने उनको नौकरों वाले क्वार्टरों में रहने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह उनका काम नहीं करते थे अथवा उनके पास नौकरों के क्वार्टरों की जगह फ़ालतू नहीं थी कि उनको रहने के लिए दी जाती। धोबी सरकारी क्वार्टरों के निवासियों से इन सरवेन्ट क्वार्टरों को किराये पर लेने के अधिकारी नहीं हैं।

(ख) ऐसा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, परन्तु जैसा बताया गया है वैसा कोई आश्वासन मैंने नहीं दिया था।

(ग) अभ्यावेदन में की गई प्रार्थनाओं पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया गया था

और माननीय सदस्य को यह उत्तर भेज दिया गया है कि यद्यपि सरकार धोबियों की सहायता करना चाहती है, तो भी वह उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकती है। नई दिल्ली में धोबियों को उपयुक्त निवासस्थान देने की वांछनीयता का प्रश्न नई दिल्ली नगर-पालिका समिति के समक्ष रखा गया है।

हीराकुंड में ठेकेदारों के दावों के मामले

७३३. **डा० नटवर पांडे**क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) दावों के उन मामलों की संख्या जिनमें हीराकुंड पर कार्य करने वाले ठेकेदारों ने मुख्य अंजनिक द्वारा निश्चितदेय धनराशियों से अधिक के दावे किये हैं और जिनको अधि-निर्णायक का भेज दिया गया है; तथा

(ख) उन मामलों की संख्या जिनमें मुख्य अंजनिक द्वारा पाई गई देय धनराशियों से अधिक दिये जाने का निर्णय दिया गया है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) ऐसे दावों के कोई मामले नहीं हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

महानदी की तलैटी का परिमापन

*७३४. **डा० नटवर पांडे**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या महानदी की तलैटी के हीराकुन्ड बांध की केन्द्रीय धुरी रेखा से ऊपर के भाग का भूगर्भीय परिमापन किया जा चुका है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार रिपोर्ट की एक प्रति को सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) महानदी की तलैटी के हीरा-कुंड बांध की केन्द्रीय धुरी रेखा के ऊपर वाले भाग का प्रारम्भिक भूगर्भीय परिमापन कार्य पूर्ण हो चुका है। धुरी के आसपास वाली बांध की नींव के विस्तृत परिमापन का कार्य किया जा रहा है और इस कार्य मौसम में उसके पूर्ण हो जाने की आशा है।

(ख) जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

सूती धागे का निर्यात

*७३५. **डा० लंका सुन्दरम्**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारतीय रूई से बनाये गये किन्ही नम्बरों के धागे के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण;

(ख) वह परिस्थितियां जिनके अन्तर्गत बम्बई सरकार के स्टाक से खरीदे गये तथा भारतीय रूई से बनाये गये धागे के निर्यात की अनुमति दी गई;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित निर्यातों में अन्तर्ग्रस्त परिमात्रा;

(घ) क्या इस सौदे में निर्यात अनु-ज्ञप्ति प्राप्त करने की योग्यता की शर्त पूरी की गई थी;

(ङ) बम्बई सरकार के पास उपलब्ध इस सूत का सम्पूर्ण स्टाक;

(च) बम्बई सरकार के पास सूत का स्टाक जमा हो जाने के कारण;

(छ) क्या इस सूत का निर्यात बम्बई पत्तन से किया गया था; तथा

(ज) क्या बम्बई सरकार के पास रुका सूत भारत के किसी क्षेत्र को खड्डी-उद्योगों द्वारा काम में लाये जाने के लिए नहीं भेजा जा सकता था?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) १८ और २०

नम्बरों के भारतीय रूई से बने सूत के निर्यात पर इस कारण प्रतिबन्ध लगाये हैं ताकि समस्त उत्पादन को खड्डी उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जा सके क्योंकि अन्य नम्बरों के सूत की अपेक्षा इन नम्बरों के सूत की अधिक मांग है ।

(ख), (घ) और (ज)। बम्बई सरकार राज्य के सूत के समंग कोउत्तम नियंत्रण रखने तथा विभिन्न उपभोक्ताओं की ठीक तरह वितरित करने के लिए राज्य के लेखे में खरीद रही थी । अपने पास इकट्ठे स्टाक को बम्बई सरकार न अपने राज्य में और न अन्य राज्यों में ही बेच सकी । राज्य सरकार को हानि से बचाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को १८ और २० नम्बर के सूत को व्यापारियों को, इस आवश्वास पर कि उसका निर्यात नहीं किया जायेगा, बेच देने की अनुमति दे दी थी ।

(ग) ५२०० प्रमाणिक गांठों के लगभग ।

(ङ) ९,००० प्रमाणिक गांठें जिनमें विलायती रूई से बने धागे की ३,८०० प्रमाणिक गांठें भी शामिल हैं ।

(च) इस वर्ष के प्रारम्भ में सूती कपड़े की मांग में हुई सामान्य कमी ।

(छ) जी हां ।

खड्डी विकास निधि

*७३६. **श्री एस० वी० रामास्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खड्डी विकास निधि में से कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी रकम दी गई है ?

(ग) प्रत्येक अनुदान किस प्रयोजन से किया गया है ?

(घ) यदि कोई रोकड़ बाकी रही है तो सरकार उसका क्या करने का प्रस्थापना करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**।

(घ) इस रोकड़ बाकी को अखिल भारतीय खड्डी परिषद् के परामर्शानुसार खड्डी उद्योग के विकास के लिए काम में लाया जायेगा ।

संसद् सदस्यों के लिए फ्लैट

*७३७. **श्री सिंहासन सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संसद् सदस्यों के बंगलों और फ्लैटों का, जबकि सत्र न होने के दिनों में वह सरकारी उच्च अधिकारियों के कब्जे में होते हैं, किस दर से किराया वसूल किया जाता है ?

(ख) नार्थ और साउथ ऐवेन्यू पर बनाय गये अथवा बन रहे फ्लटों की औसत लागत क्या है, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों की लागतें पृथक पृथक् बताई जायें ?

(ग) क्या सरकार असरकारी व्यक्तियों को उसी प्रकार के फ्लट बनाने की अनुमति देन की प्रस्थापना करती है ?

(घ) इन फ्लैटों में किस प्रकार की ईंटों के काम में लाये जाने की अनुमति है ?

निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) एक विवरणें जिसमें सरकारी कर्मचारियों से संसद सदस्यों के बंगलों और फ्लैटों, तथा उनमें रखे फ़र्नीचर, फूलों की क्यारियां तथा अन्य सुविधाओं के लिए वसूल की जाने वाली किराये की दरें दी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]** ।

इनके लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया सकने वाला किराया उसके वेतन के अधिक से अधिक १० प्रतिशत के बराबर होता है ।

(ख) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अब तक बने फ्लैटों की औसत लागत क्रमशः १३,५८० रुपये, १५,९३० रुपये और १८,६१० रुपये है।

बन रहे फ्लैटों की अनुमानित लागत द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के लिए क्रमशः १६,४०१ रुपये तथा १८,३९७ रुपय है।

(ग) इसी प्रकार के फ्लैटों के असरकारी व्यक्तियों द्वारा बनाये जाने का सरकार स्वागत करेगी।

(घ) इन फ्लैटों में सभी प्रकार की ईंटें काम में लाई गई हैं, परन्तु निजी निर्माण कार्यों के लिए दूसरी तरह की ईंटें काम में लाई जा सकती हैं।

साईकिलों के मूल्य

*७३८. **चौधरी रघुवीर सिंह**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बाजार में साईकिलों के मूल्य बहुत अधिक चढ़ गये हैं?

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि साईकिलों का आयात बन्द कर दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख)। अक्तूबर १९५२ में साईकिलों के मूल्य में कुछ बेशी हो गई थी परन्तु नवम्बर में मूल्यों में गिरावट आने लगी। मूल्यों की चढ़ा उतरी बाजार की स्थिति के कारण होती है, और यह कहना कि मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं, ठीक नहीं होगा।

(ग) चालू अर्ध वर्ष में व्यापार को कोई लायसेंस नहीं दिये जा रहे हैं, परन्तु पिछले अर्ध वर्ष में जारी किये गये लायसेंसों पर अब भी आयात हो रहे है।

पुनर्वास पर व्यय

*७३९. **श्री एन० एल० जोशी**: क्या **पुनर्वास** मंत्री जनवरी १९५२ से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर सरकार द्वारा किये गये व्यय की सम्पूर्ण राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): जुलाई १९५२ तक १६.९३ करोड़ रुपये।

ऐल्युमीनियम फ़ैक्टरीयां

*७४०. **श्री रूप नारायण**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत में ऐल्यूमीनियम फैक्टरियों की संख्या और उनका उत्पादन;

(ख) उत्तर प्रदेश की एल्यूमीनियम फैक्टरियों के नाम और उनके द्वारा बनाये जाने वाले माल की किस्म; तथा

(ग) क्या उनको केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सुरक्षण दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) केवलमात्र दो फैक्टरियां, जिनके नाम इंडियन एल्यूमीनियम कम्पनी, अल्वाये और इंडियन एल्यूमीनियम कोर्पोरेशन जैके नगर हैं, शुद्ध एल्यूमीनियम बना रही हैं। सन् १९५१ में उ का सम्पूर्ण उत्पादन ३,८४९ टन था।

(ख) उत्तर प्रदेश में शुद्ध एल्यूमीनियम बनाने वाली कोई फैक्टरी नहीं है ?

(ग) एल्यूमीनियम उद्योग को ३० प्रतिशत मूल्यानुसार आयात-शुल्क लगाकर तथा समग्र शुल्क का और ५ प्रतिशत लगाकर सुरक्षित किया गया है।

एल्युमीनियम के घेरे और चादरें

*७४१. **श्री रूप नारायण**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सन् १९५० से भारत में बनाये गये तथा आयात किये गये एल्युमीनियम के घेरों और चादरों का वार्षिक उत्पादन बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

	१९५० (टन)	१९५१ (टन)	१९५२ (जनवरी-सितम्बर) (टन)
ऐल्यूमीनियम के घेरों और चादरों का उत्पादन	५,८७८	६,७९३	३,७५२
ऐल्यूमीनियम के घेरों और चादरों का आयात	३,६९०	३,३४९	१,५११

ब्रह्मा सरकार की सेवा से सेवा-मुक्त किये गये भारतीय

*७४२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** उन भारतीयों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिनको नागरिकता के कारण ब्रह्मा सरकार ने सेवामुक्त कर दिया है ?

वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्री अनिल के चन्दा) : निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । ब्रह्मा सरकार के विभिन्न विभागों में कोई ३००० भारतीय सेवायुक्त थे और कोई ८,३०० ब्रह्मा की रेलवे में थे । इनमें से अधिकांश को सेवा-मुक्त कर दिया गया है ।

पाकिस्तान में भारतीय बीड़ियों पर शुल्क

*७४३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत में बनी बीड़ियों पर शुल्क बढ़ा दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो पुनरीक्षण से पहले शुल्क क्या था और अब क्या है ?

(ग) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में पाकिस्तान को निर्यात की गई भारत की बनी बीड़ियों का कुल मूल्य कितना था ?

(घ) क्या शुल्क के बढ़ाये जाने से बीड़ियों के निर्यात पर कुछ प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख), जी हां, १७ मई, १९५२ से पाकिस्तान ने भारत में बनी बीड़ियों पर आयात-शुल्क को १० प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया है ।

(ग) सन् १९५०-५१ में केवल पाकिस्तान को निर्यात की गई बीड़ियों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उस समय इस वस्तु को 'तम्बाकू से बनी वस्तुयें (अन्य)' जैसे सामान्य शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाता था । सन् १९५१-५२ में निर्यात की गई बीड़ियों का मूल्य ४·७८ करोड़ रुपया था ।

(घ) क्योंकि पाकिस्तान को जाने वाली बीड़ियों पर आयात नियंत्रण प्रतिबन्ध लागू हैं इसलिए हमारे बीड़ी-निर्यात पर पाकिस्तान द्वारा लगाये गये निर्यात-शुल्क क. प्रभाव मालूम करना सरल नहीं है ।

घाटप्रभा घाटी योजना

*७४४. **श्री आर० जी दुबे** : (क) क्या **योजना** मंत्री १३ नवम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि घाट प्रभा घाटी योजना पर कब जांच कार्य प्रारम्भ हुआ था ?

(ख) उसके कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी) : (क) जांच कार्य सन् १९४७ में प्रारम्भ हुआ था ।

(ख) सन् १९५४ के अन्त तक इसके समाप्त हो जाने की संभावना है ।

स्टील के नल और नलियां

*७४५. **डा० अमीन** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि स्टील के बने नलों और नलियों को मांगने वाले निर्माताओं को केवल विशिष्ठ व्यापारियों से ही स्टील के बने नलों और नलियों को खरीदने के अभ्यंश प्रमाण पत्र दिये जाते हैं ?

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस बात के निश्चयन के लिए, कि एक ही प्रकार के पूर्ण निर्मित इंजीनियरिंग सामान बनाने वालों को ऐसा सामान बनाने के लिए, जिसमें स्टील पाइपों और नलियों को काम में लाया जाये, यह स्टील के बने नल और नलियां एक ही दर पर मिल सकें, क्या व्यवस्था की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मैं माननीय सदस्य का ध्यान १० नवम्बर, १९५२ को उन्हीं के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाऊंगा ।

चाय निर्यात समिति की रिपोर्ट

*३९२. **श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या चाय निर्यात समिति ने अपनी भारतीय चाय उद्योग द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयां सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये हैं ?

(ग) क्या सरकार ने उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) । चाय उद्योग के सम्बन्ध में सरकारी दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ४, आर० १७१ (१४)।**]

सरकार द्वारा इसी मास की १९ तारीख को जारी किये एक प्रेस विवरण, की जिसमें रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों तथा उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही कीघोषणा की गई है, एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या २६।**]

लोहे की पनारीदार चादरें

*२३६. **श्री दाभी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में देशमें हुआ लोहे की पनारीदार चादरों का उत्पादन ;

(ख) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में भारत में आयात की गई लोहे की पनारीदार चादरों की सम्पूर्ण परिमात्रा; तथा

(ग) सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में प्रत्येक राज्य को आवंटित किया गया अभ्यंश ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५०-५१—८०,६८१ टन । १९५१-५२—६९,१९० टन ।

(ख) सन् १९५०-५१ में पनारीदार चादरों का कोई आयात नहीं किया गया था । सन् १९५१-५२ में किया गया आयात १६ टन था ।

(ग) चादरों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्यों को अभ्यंश सामूहिक रूप से दिये जाते हैं,वस्तुवार नहीं । अपने सामूहिक अभ्यंश में राज्य जिस प्रकार की स्टील की वस्तुऐं चाहे प्राप्त कर सकते हैं । सन् १९५०-५१ और सन् १९५१-५२ में विभिन्न

राज्यों को दिये गये स्टील अभ्यंशों को दिखलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या २७ ।**]

चमड़ा तथा खालें

*२३७. **स्वामी रामानन्द शास्त्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में देश में कितनी मात्रा में चमड़ा और खालें तथा कमाया हुआ चमड़ा आयात किया गया है तथा कितना यहां से निर्यात किया गया है ;

(ख) किस प्रकार का चमड़ा आयात तथा निर्यात किया गया; तथा

(ग) भारत के प्रत्येक राज्य से निर्यात की मात्रायें ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) और (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या २८ ।**]

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गंगानगर में भूमि वितरण

*२३८. **श्री बारूपाल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पुनर्वास मंत्रालय की नई भूमि वितरण योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान से आये बीस हज़ार विस्थापित ज़मींदारों को श्री गंगानगर (राजस्थान) में ज़मीनें दी जा रही हैं, तथा ८० हज़ार विस्थापित व्यक्तियों को, जो कि पहिले ही उस ज़मीन को कृषि कर रहे हैं तथा जिन में से हरिजन अधिक हैं, इन ज़मींदारों का काश्तकार बनाया जा रहा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): जी नहीं । पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित जमीदारों को क्षतिपूर्ति देने की योजनाओं पर अभी विचार किया जा रहा है और उल्लिखित प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

स्टरक्यूलिया यूरेन

२३९. **श्री बलवन्त सिन्हा महता :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री स्टरक्यूलिया यूरेन की कीमतों में कमी होने के कारणों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) अधिकांशतया यह किस देश को निर्यात किया जाता है ?

(ग) इस के उपयोग क्या हैं और हमारे देश में इस की सम्पूर्ण परिमात्रा का उपयोग क्यों नहीं होता है ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि यह राजस्थान के आदिवासियों की आय का एक मुख्य साधन है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अनुमान किया गया है कि माननीय सदस्य का निर्देश स्टरक्यूलिया 'गोंद' से है । और इसी अनुमान के आधार पर उत्तर दिया गया है।

(क) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जिन देशों को यह निर्यात किया गया है उन के नाम भारत के समुद्र तथा वायु द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार तथा नौ परिवहन सम्बन्धी विवरणों में दिखाये नहीं गये हैं ।

(ग) इस को निलम्बक अभिकर्त्ता तथा प्रनिलम्ब (एमलशन) के लिए एक स्थापक की भांति काम में लाया जाता है । इस की सम्पूर्ण परिमात्रा का उपयोग इसी देश में इस कारण नहीं होता है क्योंकि एक दूसरी वस्तु को जिसे 'ट्रागाकेंठ' गोंद कहते हैं, इस कार्य के लिए, यदि वह उपलब्ध होता है तो, अधिक पसन्द किया जाता है और स्टरक्यूलिया

'गोंद' को केवलमात्र एक वैकल्पिक वस्तु की भांति ही काम में लाया जाता है ।

(घ) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

नाइट्रो-सैल्यूलोज़ लैन्कर और टिटेनियम-डाई ओक्साइड

२४०. सरदार हुक्म सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ में स्थापित किये गये नये संयंत्रों का नाइट्रो-सैल्यूलोज़ लैन्करों और टिटेनियम डाई-ओक्साइड का उत्पादन कितना था ; तथा

(ख) क्या सन् १९५२ में दोनों संयंत्र अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य से कार्य करते रहे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) —

	१९५१	१९५२
नाइट्रो-सैल्यूलोज़ लैन्कर तथा उपकारक	३०,३९७ गैलन	६४,१४२ गैलन (जनवरी से अक्तूबर तक)
टिटेनियम डाई ओक्साइड	१५२ टन	२२३ टन* (जनवरी से जून तक)

*टिटेनियम डाइ ओक्साइड का उत्पादन २३ जून, १९५२ से बन्द हो गया ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

रबड़

२४१. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७ में कच्ची रबड़ के मूल्य दर क्या थे और २० मई, १९५२ तक मूल्य क्या थे ?

(ख) गत तीन वर्षों में उत्पादन परिव्यय में कितनी वृद्धि हुई है और कच्चे रबड़ के उत्पादन को इस ने किस प्रकार प्रभावित किया है ?

(ग) गत वर्ष में संसारव्यापी मूल्य-स्तर में कितनी वृद्धि हुई है और इस मूल्य वृद्धि को भारत के रबड़ उत्पादकों को किस प्रकार बांट लेने की अनुमति दी गई है ?

(घ) हमारे देश के रबड़ उत्पादकों को पुनः संस्थापित करने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) एक विवरण जिस में सरकारी परिव्यय-लेखा अधिकारी द्वारा सन् १९४८ में, भारतीय तटकर परषद् द्वारा सन् १९५१ में तथा तटकर आयोग द्वारा सन् १९५२ में ज्ञात किया गया उत्पादन परिव्यय तथा सन् १९४८ से १९५२ तक हुए रबड़ के उत्पादन के आंकड़े दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) एक विवरण, जिस में जून १९५१ से अक्तूबर १९५२ तक की अवधि में सिंगापुर की मंडी के कच्चे रबड़ के मूल्य दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । इस से यह विदित होगा कि इस अवधि में संसारव्यापी मूल्य वस्तुतः कम हो गये हैं ।

[(क) से (ग) तक के लिये **देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९।**]

(घ) सरकार इस बात का सुनिश्चियेन करती है कि उत्पादकों को उन के उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो और देश में उन को

एक निश्चित बाज़ार मिले । उत्पादकों को यह प्रत्याभूति देने के साथ साथ रबड़ के उत्पादन परिव्यय में जिस पर देश के आन्तरिक मूल्य निर्भर करते हैं, रबड़ बागानों के पुनः संस्थापन के उपबन्ध भी सम्मिलित हैं। इस उद्योग के विकास में सहायता देने के लिये सरकार एक प्रस्तावित विकास योजना पर भी विचार कर रही है ।

पश्चिमी बगाल औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

२४२. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों में चालू वर्ष में औद्योगिक श्रमिकों के लिये कितने मकान बनाये जाने को हैं ;

(ख) सरकार की नौ करोड़ रुपये की राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना निर्माण कार्य को त्वरित करने में किस प्रकार सहायता देगी;

(ग) पश्चिमी बंगाल में चाय श्रमिकों के लिये सन् १९५१-५२ में बनाये गये मकानों की संख्या, और सन् १९५२-५३ में बनाये जाने वाले मकानों की संख्या ; तथा

(घ) गृह-निर्माण कार्यक्रम को त्वरित करने के लिये क्या चाय बागानों के मालिकों को भारत सरकार से ऋण के रूप में कोई सहायता प्राप्त हुई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह:) : (क) और (ख). पश्चिमी बगाल सरकार ने भारत सरकार के समक्ष ऋण तथा आर्थिक सहायता दिये जाने की एक प्रस्थापना राज्य सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष कलकत्ता में इन औद्योगिक मकानों के बनाने के लिए प्रस्तुत की है ;

(१) ७५० छोटे घर अपने निर्माण पर्षद् द्वारा; तथा

(२) ६६ छोटे घर कलकत्ता सुधार प्रन्यास द्वारा ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने न तो सन् १९५१-५२ में श्रम मंत्रालय की औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का और न चाय श्रमिकों के मकानों के निर्माण से सम्बन्धित सन् १९५२-५३ की इस चालू योजना के अन्तर्ग दी जाने वाली आर्थिक सहायता का ही कोई लाभ उठाया है । बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के तीसरे सत्र में हुए एक करार के अनुसार चाय बागान नियोजक संस्था के कुछ सदस्यों ने अपने श्रमिकों के लिये मकान बनवाने का निश्चय किया है ।

(घ) चाय बागानों के मालिकों ने अपने श्रमिकों के लिये बनाई गई उन गृह-निर्माण योजनाओं के लिये भी जो केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत आती हैं," केन्द्रीय सरकार से अभी तक सहायता की कोई प्रार्थना नहीं की है ।

भांडार तथा उपकरण

२४३. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्पादन मंत्रालय के भांडारों, वस्तुओं तथा उपकरणों को उठाई गीरी, मौसम के द्वारा होने वाली हानि अथवा अन्य प्रकारों की हानियों से बचाने, उन को सुरक्षित रखने तथा उन की हिफाज़त करने के लिये क्या प्रबन्ध (अथवा व्यवस्था) किये गये हैं,

(ख) इन भांडारों, वस्तुओं तथा उपकरणों के प्राप्त होने पर उन के गुण प्रकार, परिमात्रा की अथवा संख्या की जांच करने तथ समय समय पर उन की स्थानीय लेखा-परीक्षा

करने के लिये क्या प्रबन्ध (अथवा व्यवस्था) किये गये हैं;

(ग) क्या गत पांच वर्षों में ऐसे कोई मामले पकड़े गये हैं अथवा लोक लेखा समिति ने उन की रिपोर्ट की है जिन में इन भांडारों, वस्तुओं तथा उपकरणों को प्राप्त करने तथा उन को अपने संरक्षण में रखने का जिन कर्मचारियों का दायित्व था उन की अपराध्य असावधानी के कारण इन भांडारों, वस्तुओं तथा उपकरणों की चोरी होने अथवा उन के अन्य प्रकार से नष्ट हो जाने से कोई हानि हुई है अथवा इन भांडारों, वस्तुओं तथा उपकरणों के लिए दिये गये व्यादेशों तथा माल की वास्तविक प्राप्ति में कोई असमानता पाई गई है; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री क०सी०रेडडी) : (क) भांडारों और उपकरणों को उन की प्रकृति के अनुसार उन को ऐसे भांडारों तथा दुकानों में, जिन में मौसम का असर नहीं होता है, टांडों, बन्द आलमारियों, आयरनसेफों और समुचित प्रकार से बन्द अहातों में, अर्थात् जिन के चारों ओर तार लगे होते हैं अथवा दीवाल खिंची होती है, रखा जाता है। इस सामान की देख रेख करने तथा उस को सावधिक तथा नित्य-क्रम के अनुसार तेल देने, ग्रीज लगाने तथा अन्य प्रकार की जंग विरोधी कार्यवाहियां करने के लिये कर्मचारी वर्ग नियुक्त है। रात दिन चौबीसों घंटे विशेष पहरा और प्रतिपालन कर्मचारी इन भांडारों वस्तुओं तथा उपकरणों की देख रेख करते हैं। फाटकों पर सामान की जांच करने की भी व्यवस्था है। बिना अधिकृत गेट पासों के कोई भी चीज न तो अन्दर ले जाई जा सकती है और न बाहर लाई जा सकती है।

(ख) सभी वस्तुओं को उन के प्राप्त होने पर, प्रविधिक निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, और जब तक परिदर्शकों द्वारा स्वीकार योग्य प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है कोई भी वस्तु भांडार में नहीं रखी जाती है। निरीक्षण उन के गुण प्रकार तथा संख्या दोनों का किया जाता है अपने दायित्व पर इन भांडारों के बाहर लाने जाने पर भांडारों द्वारा इन की संख्या की पुनः जांच की जाती है।

भांडारों की देख रेख करने तथा उनको अपने संरक्षण में रखने वाले अधिकारियों के अतिरिक्त तथा उन से पृथक रूप से भांडार में रखी वस्तुओं की वास्तविक पड़ताल भांडार की पड़ताल करने वाले अधिकारियों द्वारा की जाती है। इन की परिमात्रा तथा शेष मात्रा को बतलाने वाले बिन कार्ड भांडार विभाग द्वारा भरे जाते हैं और लेखा विभाग द्वारा पृथक रूप से रखी गई भंडार खाता बहियों से उन कार्डों पर नियंत्रण रखा जाता है और लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी भंडारों की व्यवस्थित रूप से लेखा परीक्षा करते हैं।

(ग) और (घ)। कर्मचारी वर्ग की अपराध्य असावधानता के कारण हुई किसी चोरी अथवा हानि की कोई घटनायें नहीं हुई हैं। रेल द्वारा उन के ले जाये जाते समय हुई चोरियों तथा संख्या में हुई कमी की बहुत सी घटनायें हुई हैं। इन की रिपोर्ट रेलवे से की गई है और उन के सम्बन्ध में दावे भी दायर कर दिये गये हैं। कुछ कोयला खदानों में भांडारों की कमी के भी दो मामले हुए हैं। कुल हानि का अनुमान १५,००० रुपये के लगभग है,। सम्बद्ध भांडार कर्मचारियों को हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था और उन के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है।

सिंदरी में कृषिसार का उत्पादन

२४४. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री सिंदरी में जून-जुलाई तथा अगस्त १९५२ में बनाये गये कृषिसारों की सम्पूर्ण परिमात्रा बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या सम्पूर्ण उत्पादन की खपत भारत में हो गई थी ?

(ग) क्या इन तीनमहीनों में हुए उत्पादन को इस वर्ष ऋतु में जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये काफी समझा गया था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ३५,५५३ टन ।

(ख) मैं यह बतलाने की स्थिति में तो नहीं हूं कि उपरोक्त परिमात्रा की निर्दिष्ट कालावधि में निश्चय ही खपत हो गई थी, परन्तु इतना मैं निवेदन कर दूं कि मूल्य दे कर जो माल सिंदरी से उक्त कालावधि में भेजा गया वह ४४,०६० टन था ।

(ग) जी नहीं ।

कोन्टाई नमक फैक्टरी

२४५. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब मिदनापुर ज़िले (पश्चिमी बंगाल) की कोन्टाई नमक फैक्टरी कार्य करना प्रारम्भ कर देगी तो कितना नमक बनाये जाने की प्रत्याशा है ?

(ख) वहां पर पिट ब्राइन (गर्त लवाम्बु) प्रणाली से नमक बनाया जायेगा अथवा सूर्य की गर्मी से पानी को नाप बना कर उड़ा देने की प्रणाली से ?

(ग) इस समय पश्चिमी बंगाल में भारत के विभिन्न राज्यों से प्रति वर्ष कितना नमक आयात किया जाता है ?

(घ) क्या आसाम तथा नैपाल की नमक सम्बन्धी आवश्यकतायें पश्चिमी बंगाल राज्य के द्वारा पूरी की जाती हैं ?

(ङ) पश्चिमी बंगाल में नमक की प्रति व्यक्ति खपत अन्य राज्यों की तुलना में कैसी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) इस योजना से, जिस की अभी पूर्ण रूप से जांच नहीं की गई है, कोई ५४ लाख मन नमक प्रति वर्ष बनाया जायेगा ।

(ख) सूर्य ताप से पानी को भाप बना कर उड़ाने से ।

(ग) प्रति वर्ष १९५१ में पश्चिमी बंगाल में ११७ लाख मन पश्चिमी तट (सौराष्ट्र, कच्छ और मिठापुर) से और १७ लाख मन तूतीकोरन से आयात किया गया था ।

(घ) जी हां ।

(ङ) पश्चिमी बंगाल में प्रति व्यक्ति नमक की खपत का अनुमान १४ पौंड प्रति वर्ष लगाया गया है जो बम्बई और मदरास (त्रावनकोर-कोचीन राज्य सहित) राज्यों के अतिरिक्त जहां खपत का अनुमान क्रमशः १२.७ और २० पौंड लगाया गया है, अन्य राज्यों के बराबर ही है ।

टिटेनियम औक्साईड

२४६. **कुमारी आनी मस्करीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में टिटेनियम औक्साइड की कितनी परिमात्रा आयात की जाती है;

(ख) इसे किस उपयोग के लिये आयात किया जाता है ;

(ग) इस कहां से आयात किया जाता है; तथा

(घ) इस की प्रति टन कीमत क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्यों कि टिटेनियम ऑक्साइड के आयात को भारत के समुद्र तथा वायु द्वारा होने वाले विदेशी व्यापार तथा नौपरिवहन सम्बन्धी विवरणों में पृथक रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाता ह :

(ख) मुख्यतया वार्निश (पेन्ट) उद्योग में श्वेत की भांति काम में लाये जाने के लिये ।

(ग) मुख्यतया संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी से ।

(घ) इस समय तटीय मूल्य इस प्रकार हैं :—

संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन का बना माल	२,४८० रुपये प्रति टन
जर्मनी का बना माल	२,७८० रुपये प्रति टन ।

इल्मेनाईट निर्यात)

२४७. **कुमारी आनी मस्करीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** यह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से कितने टन इल्मेनाईट निर्यात किया जाता है तथा किन देशों को;

(ख) उस का प्रति टन मूल्य क्या है; तथा

(ग) वह कौन से राज्य हैं जहां से यह खनिज रेत प्राप्त होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (टी० टी कृष्णमाचारी) : (क) —

१९४९	२,६५,२२० टन प्रस्तर
१९५०	२,३८,०९० टन प्रस्त
१९५१	२,४०,९६७ टन प्रस्तर
१९५२ (जनवरी से अक्तूबर)	१,३४,८५५ टन प्रस्तरा

जिन देशों को धातु प्रस्तर निर्यात किया जाता है वह हैं संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन, जापान, इटली और फ्रांस; और प्रथम दो देश सब से बड़े खरीदार हैं :

(ख) निर्यात-मुल्य २५ रुपये प्रति टन से लगा कर ३० रुपये प्रति टन है ।

(ग) इल्मेनाईट रेत का अधिकांश भाग त्रावनकोर-कोचीन राज्य से प्राप्त होता है । बम्बई, मद्रास तथा उड़ीसा के राज्यों में भी यह थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है ।

प्याज के लिए निर्यात अभ्यंश

२४८. **श्री नम्बियार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे : (क) मद्रास के निर्यात उपमुख्य नियंत्रक के क्षेत्राधिकार में से जुलाई से दिसम्बर, १९५२ की अवधि में प्याज की कितनी परिमात्रा निर्यात के लिये आवंटित की गई है;

(ख) इस अवधि के लिये मद्रास के उपमुख्य नियंत्रक द्वारा कितनी परिमात्रा पहले ही निर्यातकों को बांट दी गई है; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि आधारभूत अवधि के सम्पूर्ण निर्यात का १५ प्रतिशत निर्यातकों को बांट दिया गया है, और यदि ऐसा है, तो किस आधार पर यह प्रतिशतता निश्चित की गई थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ६,५०० टन ।

(ख) ५,५८३ टन ।

(ग) जी हां, छोटे सुस्थित निर्यातकों में से प्रत्येक के लिये ५ टन सुरक्षित रख कर जो शेष वितरण के लिये उपलब्ध रहा था वह बाकी बचे निर्यातकों के आधारभूत निर्यातों के १५ प्रतिशत के बराबर था ।

आग दुर्घटना में धस्म हुई विस्थापित व्यक्तियों की बुकानें

२४९. **श्री बासप्पा** :क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोई दो तीन महीने पहले इर्विन रोड, नई दिल्ली में आग लगने की कोई दुर्घटना हुई थी जिस के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों की कोई दस दुकानें जल कर भस्म हो गई थीं और कोई १५,००० रुपये के माल की हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस आग दुर्घटना का क्या कारण था;

(ग) जिन विस्थापित व्यक्तियों की हानि हुई है क्या उन को कोई क्षति पूर्त्ति दी गई है; तथा

(घ) क्या उन को अपना रोज़गार धन्धा चलाने के लिये कोई और दुकानें दी गई हैं, और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के लिये यह व्यवस्था की गई है और कहां ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) तक २८-२९ अगस्त, १९५२ के बीच की रात को इर्विन रोड पर आग लगी जिस में विस्थापित व्यक्तियों की दस दुकानें लपेट में आईं। इस अग्निकांड से विस्थापित दुकानदारों के माल की हुई हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इन में से आठ दुकानों का ७१,००० रुपयों का बीमा किया हुआ था जिस में से बीमा कम्पनियों ने ४७,८०० रुपये का भुगतान तो कर दिया है। बिना बीमा कराई दो दुकानों को उन व्यक्तियों ने जिन्हें नगरपालिका ने वह दुकानें आवंटित की थीं, अनधिकृत व्यक्तियों को उप पट्टे पर उठा रखा था। इन में से एक दुकान में तो कुछ थोड़ा सा फर्नीचर था। दूसरी दूकान में जो माल था उस का कुल मूल्य ५०० रुपये से अधिक नहीं था और उस मेंसे भी अधिकांश माल को जलने से बचा लिया गया था। आग लगने के कारण को खोज निकालना संभव नहीं हो सका है।

(घ) ज्ञात हुआ है कि दो दुकानदारों ने गफ्फार मागर्केट और इर्बिन रोड पर दुकानें प्राप्त कर ली हैं और दूसरा अपने लड़ के साथ गफ्फार मार्केट की दुकान में साझी हो गया है। दो अनधिकृत उप पट्टेदार थे और वैकल्पिक स्थान के लिये उन का कोई दावा नहीं हो सकता है। शेष पांच दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान देने की व्यवस्था करने का प्रश्न नई दिल्ली नगरपालिका समिति के विचाराधीन है ।

मंत्रियों के लिये मकान

२५०. **श्री आर० एन० सिंह०** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक मंत्री को बिना किराये के जो सुसज्जित मकान दिये गये हैं उन का चालू दर के हिसाब से किराया कितना होगा; तथा प्रत्येक मंत्री के मकान को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिये कितना खर्च होता है अथवा हो रहा है ?

निर्माण गृह व्यवस्थाव तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०**]

वस्त्रों का आयात

२५१. **डा० जटववीर** : : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गतदो वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन तथा अन्य विदेशों से मिल का बना सूती, रेशमी तथा ऊनी कपड़ा भारत में आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ३१**]

संसद् सदस्यों के फ्लैट

२५२. **श्री यू ०एम०त्र वेदी** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत सत्र के बाद कितने संसद् सदस्यों ने संसद् सदस्यों के फ़्लैटों को खाली कर दिया था ?

(ख) इन में से कितने फ़्लैट संसद् सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को किराये पर दिये गये और किन शर्तों पर दिये गये ?

(ग) इन फ़्लैटों का संसद् सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से कितना किराया लिया जाता है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ७८ ।

(ख) २९ फ़्लैट सत्र न होने के दिनों में सरकारी अधिकारियों को इस शर्त पर किराये पर दिये गये थे कि जब भी आवश्यकता होगी वह उन को बहुत थोड़ी सी सूचना पर खाली कर देंगे ।

(ग) मूल-नियम ४५-क के अनुसार उक्त अधिकारियों से उन के वेतन का अधिक से अधिक १० प्रतिशत उक्त फ्लैटों के प्रमाणित किराये के रूप में वसूल किया गया था । क़र्नीचर तथा अतिरिक्त सेवाओं के लिये इस से पृथक् व्यय लिया गया था ।

वस्त्र नियंत्रण

२५३. **श्री एन० एल० जोशी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कपड़ों की वह कौन सी किस्में हैं जिन पर अब भी नियंत्रण लागू है ?

(ख) किन किस्मों को अपनियंत्रित कर दिया गया है ?

(ग) सन् १९५१ के आंकड़ों की तुलना में सन् १९५२ में उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित किस्मों के उत्पादन में हुई कमी या बेशी का क्या अनुपात है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२** ।]

दावा अधिकारी

२५४. **डा० एन० बी० खरे** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निष्क्रान्त हित नियोजन अधिनियम, १९५१ (केन्द्रीय अधिनियम संख्या ६४) के अन्तर्गत नियुक्त किये गये 'सक्षम अधिकारियों' की संख्या;

(ख) प्रत्येक सक्षम अधिकारी द्वारा अब तक प्राप्त दावों की संख्या;

(ग) उन में से प्रत्येक द्वारा निर्णित दावों की संख्या उन के दैनिक सहित; तथा

(घ) वह अवधि जब तक इन दावों के अन्तिम रूप से निपटाये जाने की संभावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) प्रारम्भ में सात समग्रकालीन और चौदह खंड कालीन सक्षम अधिकारी नियुक्त किये गये थे जिस से प्रत्येक राज्य के लिये प्रारम्भिक क्रम में होने वाले कार्य के परिणाम के अनुसार एक एक सक्षम अधिकारी की व्यवस्था की जा सके । इन के अतिरिक्त २७ अतिरिक्त समग्रकालीन सक्षम अधिकारियों के नियुक्त किये जाने की अनुमति हाल ही में दी गई है । वास्तविक नियुक्ति का कार्य राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है । इस अनुमति के आधार पर अब तक की गई नियुक्तियों से सम्बन्धित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) । अधिनियम की योजना के अनुसार, संमिश्र सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना सर्व प्रथम सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है और इस के पश्चात

एक नोटिस निकाल कर सम्बद्ध दावेदारों को अपने दावे प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। मितव्ययता के नाते अधिनियम के अन्तर्गत सर्व प्रथम नियुक्त किये गये सक्षम अधिकारियों से नोटिस निकालने और दावों की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करने की अपेक्षा की गई थी। दावों के अधिनिर्णयन का कार्य अधिकांश रूप से उस समय तब के लिए स्थगित कर दिया गया था जब तक कि यह अतिरिक्त सक्षम अधिकारी प्राप्त दावों को निपटाने की स्थिति में नहीं हो जाते और सम्बद्ध पक्षों की सुविधा के लिये दावों को प्रादेशिक आधार पर निपटाने के योग्य नहीं हो जाते। सक्षम अधिकारियों द्वारा अब तक किये गये कार्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को जो सूचना प्राप्त हुई है उस का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(घ) कम से कम समय में समस्त कार्य को पूरा कर देने के सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। कार्य के कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है इस के सम्बन्ध में किसी तिथि का बताना संभव नहीं है।

सूचना-स्वातंत्र्य सम्बन्धी अभिसमय

२५५. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा (जनरल असैम्बली) द्वारा निर्वाचित पन्द्रह राष्ट्रप्रारुपण समिति ने जिसे सूचना-स्वातंत्र्य सम्बन्धी एक नवीन प्रारूप अभिसमय बनाने की लिये नियुक्त किया गया था अपना प्रारूप अभिसमय विचार किये जाने के लिये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या अभिसमय को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

चुनाव सम्बन्धी चलचित्र

२५६. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशेष रूप से चुनाव से सम्बन्ध रखने वाले चलचित्र--इलैकशन्स-राइट्स एण्ड रैस्पांसिबिलिटीज़' और 'डेमाक्रेसी इन एक्शन'--क्या अब भी किन्हीं स्थानों पर दिखाये जा रहे हैं ?

(ख) वह भाषायें कौन सी हैं जिन में इन चलचित्रों की प्रतियां वितरित की गई थीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) 'राइट्स एण्ड रिस्पांसिबिलिटीज़--हिन्दी, बंगला, तामिल, तेलुगू और 'डिमाक्रेसी इन ऐकशन'--हिन्दी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलायालम, मराठी, तामिल, तेलुगू और अंग्रेज़ी में।

ईरान से तेल

२५७. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में तथा ईरान सरकार और आंग्ल-ईरानियन आयल कम्पनी में परस्पर झगड़ा शुरू हो जाने के बाद से, अपनी पैट्रोलियम तथा उस के विभिन्न उत्पादों सम्बन्धी अपनी आवश्यकता को ईरान से आयात कर के पूरा किया है ?

(ख) ईरान के तेल उद्योग को जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है उस को देखते हुए इस देश के हितों तथा उस के तेल आयातों को कितनी सीमा तक तथा किस प्रकार अभिरक्षित किया गया है ?

निर्माण-गृह व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जून १९५१ के अन्त तक, जिस के पश्चात् आबादान पर

लदान बन्द हो जाने के कारण आयात बन्द हो गये थे, भारत को सभी मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों की अधिकांश प्रदाय ईरान से प्राप्त होती थी ।

(ख) ईरान से माल आना बन्द हो जाने के अनपेक्ष भी देश की समस्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये अन्य स्रोतों से भारत में पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जा रहा है और भविष्य में स्टाक में किसी प्रकार की कमी होने अथवा आयात में रुकावट पड़ने की कोई आशा नहीं है ।

आयात अनज्ञप्तियों का हस्तान्तरण

२५८. **सरदार हुक्म सिंह** :क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आयात अनुज्ञप्तियां दी जाने सम्बन्धी शर्तें इन अनुज्ञप्तियों को उन व्यक्तियों अथवा सार्थों द्वारा जिन को वह मूलतः जारी किये गये थे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति देती हैं ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले आये हैं जिन में उन व्यक्ति या व्यक्तियों ने, जिन को कि वह मूलतः जारी किये गये थे, आयात अनुज्ञप्तियों को अवैध रूप से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दिया है (अथवा अवैध रूप से उन को सौंप दिया है); तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो अनुज्ञप्तियां देने सम्बन्धी शर्तों के इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) ऐसे सार्थों को काली सूची में रख दिया जाता है अर्थात् उन को आयात या निर्यात अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है । साक्ष्य को देखते हुए तथा मामले की परिस्थिति के अनुसार अभियोग चलाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाता है ।

बीड़ी बनाने की मशीन

२५९. **श्री के० सी० सीधिया** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बीड़ी बनाने की एक मशीन का आविष्कार किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उसका मूल्य क्या है और उसका दैनिक औसत उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) । जी हां, श्रीमान्, सरकार को सूचना मिली है कि दो व्यक्तियों ने –(१) बनारस में और (२) नासिक (बम्बई) में– बीड़ी बनाने की मशीन का आविष्कार किया है। बनारस में आविष्कृत मशीन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह पूर्ण रूप से स्वयं-चालित है । वह २४०० बीड़ी प्रति घंटा तैयार कर सकती है । दूसरी मशीन हाथ से तथा मशीन से चलाई जा सकती है । वह अभी परीक्षात्मक स्थिति में है । जब वह तैयार हो जायेगी तो उस से यदि उसे हाथ से चलाया जाये तो १००० बीड़ियां प्रति घंटा तैयार हो सकेंगी, और यदि मशीन से चलाया जाये तो १५०० बीड़ियां प्रति घन्टा तैयार हो सकेंगी ।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
२६ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार २६ नवम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

पटल पर रखे गये पत्र

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : तटकर आयोग आधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं :

(१) टिनप्लेट कम्पनी आफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित टिनप्लेट के वर्तमान मूल्यों के पुनर्विलोकन पर तटकर आयोग की रिपोर्ट। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी–८०/५२**]

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का १२ नवम्बर, १९५२ का संकल्प संख्या एस सी (ए)–२ (९२)/५२। [पुस्तकालय में रखा गया **देखिये संख्या पी-८०/५२**]

(३) स्टील कारपोरेशन आफ़ बंगाल लिमिटेड और इन्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के सामान्य अंशों के बीच उचित अनुपात पर तटकर आयोग की रिपोर्ट। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी-८१/५२**]

(४) आयरन एंड स्टील कम्पनीज़ एकीकरण अध्यादेश, १९५२ (१९५२ की संख्या ८) तिथि २९ अक्तूबर, १९५२। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या पी-८२**।]

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन विधेयक—जारी

[**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्षपद पर आसीन थे]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): इस संशोधक विधेयक को प्रस्तुत करते हुए सरकार ने कहा है कि चूंकि बड़े-बड़े उद्योगों को रुपये की कमी के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस लिये निगम को इन्हें अधिक वित्तीय सहायता देने का अधिकार देना चाहिये। सरकार की वर्तमान नीति, जो कि बड़े बड़े उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्यम के पक्ष में है और जो कि विदशों की नकल है, अन्त में देश के लिये हानिकारक होगी। मैं देखता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम केवल बड़े उद्योगों को लाभ पहूंचाने का एक साधन है। संचालक मंडल में अधिकतर संचालक निजी पूंजीपति हैं। ऋणों की राशियां बहुत बड़ी बड़ी हैं और ये कवल कुछ बड़े-बड़े उद्योगों को दिये

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

गये हैं। छोटे उद्योग और कृषि को इस निगम से कोई सहायता न मिलेगी और न मिल सकती है।

यह निगम निजी पूंजीपतियों के नियंत्रण में है। मैं जानता हूं कि सरकार के अपने मनोनीत व्यक्ति भी हैं। किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि ये मनोनीत व्यक्ति कौन हैं? क्या ये निजी पूंजीपति या बड़े बड़े उद्योगों के प्रतिनिधि नहीं हैं? और वह लोग कौन हैं जो कि संचालक मंडल के लिये चुने गये हैं? वे भी एक तरह से निजी पूंजीपति हैं। मैं मानता हूं कि वे संयुक्त स्कंध समवायों और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि हैं। किन्तु मैं आप को बतलाना चाहूंगा कि आजकल सयुक्त स्कंध बैंक और सहकारी बैंक भी अधिकांशतया मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में हैं अत आप यह नहीं कह सकते कि चूंकि इस निगम में केवल संयुक्त स्कंध समवायों और सहकारी बैंकों के ही हिस्से हैं, इसलिये यह निजी पूंजीपतियों के नियंत्रण में नहीं है। वास्तव में इस पर संयुक्त स्कंध समवायों द्वारा निजी उद्योगपतियों का नियंत्रण है। इस तरह सारे देश की अर्थ-व्यवस्था चन्द एक उद्योगपतियों के नियंत्रण में हो जाती है और हमें कहा जाता है कि हम इस बात को स्वीकार करें।

विधेयक का एक और उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के ऋणों की प्रत्याभूति देना है। इस सम्बन्ध में एक बात बहुत विचित्र है। विनियम कार्यों द्वारा जो घाटा होगा वह सरकार पूरा करेगी। मैं यह नहीं समझ सकता कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से एक ऋण लिया जाता है और वह ऋण किसी उद्योग के लिये दिया जाता है, तो विनिमय के कारण होने वाले घाटे को सरकार क्यों पूरा करे और स्वयं उद्योग क्यों न पूरा करें? उचित तो यह है कि भारत सरकार नहीं बल्कि उद्योग ही उठायें।

माननीय मंत्री ने कल यह भी कहा था कि ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ा कर एक करोड़ रुपया कर दी जायेगी और यदि सरकार उचित समझेगी तो विशेष मामलों में यह ऋण एक करोड़ से भी अधिक कर दिया जायेगा। मैं शुरू से ही सरकार की केवल बड़े बड़े उद्योगों को सहायता देने की नीति की आलोचना कर रहा हूं। एक और बात की ओर भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आप को विदित है कुछ उद्योगों में पहले ही आवश्यकता से अधिक पूंजी जमा हो गई है और औद्योगिक वित्त निगम ने आज तक जो ऋण वितरित किये हैं उस से यह पूंजी-आधिक्य और भी बढ़ गया है। इस प्रकार के उद्योगों को ऋण देते हुए निगम ने इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा।

इस के बाद, मैं यह कह सकता हूं कि इस निगम का उद्देश्य केवल वर्तमान स्थापित उद्योगों को सहायता देना है और नये क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने में सहायता देना नहीं है। समस्या को हल करने का यह तरीका ठीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नये उद्योग स्थापित करना चाहते हैं किन्तु उन के पास रुपया नहीं है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निगम नये उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण नहीं दे सकती। जो उद्योग स्थापित हो चुके हैं, वे तो निगम के ऋणों के बिना ही जारी रहेंगे। सब से अधिक आवश्यक बात तो यह है कि उन लोगों की सहायता की जाये जो कि देश के भिन्न भिन्न भागों में नये उद्योग स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। निगम का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उद्योगों को देश के सब भागों में फैलाया जाये। किन्तु यह इस काम में असफल रहा है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि निगम बहुत संतोषजनक ढंग से काम करता है परन्तु उन्हों ने इस का कोई प्रमाण नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि उत्तर देते समय वे हमें उन समवायों के नाम भी बतलायें जिन्हें ऋण दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि सदन को और जनता को इन व्यक्तियों या समवायों के मालिकों के नाम जानने का अधिकार है, क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि ऋण देने में पक्षपात् से काम लिया गया है और निगम इस मामले में निष्पक्ष नहीं रहा। जब तक हमें यह जानकारी न दी जाय, हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि उत्पादन में प्रगति हुई है या नहीं। क्या यह जानने के लिये रुपये का उचित उपयोग किया जा रहा है और उत्पादन में प्रगति हुई है, निगम के पास पर्याप्त आंकड़े या सामग्री है? मैं जानता हूं कि सरकार इस निगम की नीति निर्धारित कर सकती है परन्तु यह ऐसा कर नहीं रही है। नीति निर्धारित करना कुछ पूंजीपतियों पर जो कि संचालक मंडल के सदस्य हैं छोड़ दिया गया है। यह स्थिति नहीं जारी रहनी चाहिये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस निगम को पूर्णतया सरकार के नियन्त्रण में ले आना चाहिये। यह अत्यन्त आवश्यक है वर्तमान परिस्थितियों में मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि वह मूल अधिनियम का निरसन कर दे और वर्तमान संशोधक विधेयक को वापस ले कर एक नया विधेयक प्रस्तुत करे, जिस के अनुसार हम इस निगम को चला सकें और इस पर नियन्त्रण रख सकें। यदि कोई नया विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो कम से कम वर्तमान अधिनियम में ऐसे संशोधन किये जाने चाहियें, जिन से कि इस निगम का स्वामित्व सरकार को प्राप्त हो जाये और सरकार इस पर अपना नियन्त्रण रख सके।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि उन्हों ने अपने भाषण के अन्त में स्वयं विधेयक का ही विरोध किया है?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं ने कल ही कह दिया था कि मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रवर समिति को निर्देश करने का प्रस्ताव करते हुए माननीय सदस्यों को उसी प्रस्ताव के पक्ष में ही बोलना चाहिये और स्वयं विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिये।

डा० एस० पी० मुखर्जी: मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। इस में केवल यह कहा गया है कि यदि सरकार चाहे, तो वह निगम को दिये गये ऋणों की प्रत्याभूति दे देगी। जहां तक इस सिद्धान्त के प्रख्यापन का सम्बन्ध है, इस पर किसी की आपत्ति नहीं हो सकती। मैं विदेशी ऋणों का विरोधी नहीं हूं। किन्तु मैं यह चाहता हूं कि सरकार कुछ बातों का स्पष्टीकरण कर दे। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि ऋण उन योजनाओं के लिये दिये जायेंगे जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अनुमोदित किया हो। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस "अनुमोदन" का ठीक ठीक क्या अर्थ है? क्या योजना को अन्ततः इस बैंक से अनुमोदित करवाना पड़ेगा। निस्संदेह प्रत्येक औद्योगिक परियोजना की सूक्ष्म परीक्षा स्वयं निगम ही करेगा, परन्तु ऋण देने से पहले, बैंक किस हद तक हस्तक्षेप कर सकेगा।

एक और संचालक भी बढ़ाया जा रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह नया संचालक किन हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।

श्री एम० सी० शाह : विश्व बक की ओर से कोई संचालक नहीं होगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इस मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिये ।

औद्योगिक वित्त निगम के काम के बारे में जो रिपोर्ट परिचालित की गई है, वह मैं ने पढ़ी है । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वह किस हद तक इस बात से संतुष्ट है कि गत पांच वर्षों म निगम ने जो ऋण दिये हैं, वे देश के औद्योगिक संसाधनों के सुयोजित विकास के विचार से दिये गये हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि दो सरकारी संचालक इस बात का ध्यान रखते हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : जी हां, मुझे ज्ञात है । औद्योगिक वित्त निगम की चतुर्थ वार्षिक रिपोट के पृष्ठ ४ पर केवल उधोगों की किसमों का उल्लेख किया गया है । यह नहीं बतलाया गया कि किस किस समवाय को सहायता दी जा रही है । आखिर इस विषय में को गोपनीयता नहीं होनी चाहिये, क्योंकि निगम स्वयं संसद् ने हो बनाया है । दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट में इस विषय का एक विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिये कि सम्बन्धित संस्थाओं ने अनुदानों का उपयोग किस हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया है । उदाहरणतया कपड़ा मशीनरी उद्योग को ३० जून, १९५२ तक ३४ लाख रुपये की राशि दी गई है कपड़ा मशीनरी के निर्माण के सम्बन्ध में इस से भारत को कितना लाभ हुआ है । मैं चाहता हूं कि प्रत्यक किस्म के उद्योग के बारे में एक प्रगति रिपोर्ट होनी चाहिये । सूती कपड़ा उद्योग को दो करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि किन विशेष परिस्थितियों के कारण सूती कपड़ा उद्योग को इतना ऋण दिया गया । मोटर तथा ट्रैक्टर उद्योग पर हम ने ५० लाख रुपया खर्च किया है परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, एक बड़ा मोटरों का कारखाना अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है और ट्रैक्टरों के कारखाने के सम्बन्ध में भी कोई प्रगति नहीं हुई ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरी जानकारी के अनुसार कोई बड़ा कारखाना बन्द नहीं हुआ । कुछ समय के लिये यह बन्द हो गया था किन्तु अब पुनः चालू हो गया है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि यह मामला प्रवर समति को निर्दिष्ट किया जाये तो हमारे लिये यह जानना संभव हो जायेगा कि विभिन्न उद्योगों को और विभिन्न विशिष्ट समवायों को किस प्रकार से ऋण दिये गय ह और पिछले पांच वर्षो में वास्तविकतया क्या सफलतायें प्राप्त की गई हैं ।

संचालक-मंडल के सदस्यों के बारे में यह सिद्धान्त निर्धारित करना अच्छा होगा कि संचालक मंडल का कोई सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिये जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी बड़े औद्योगिक समवाय से सम्बन्ध हो । सरकार को ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिये जिसका अनुभव बहुत विशाल हो किन्तु जिसका किसी कम्पनी से कोई सम्बन्ध न हो ।

हमारे अधिनियम में एक और कमी भी है । वह यह है कि हम ने इन कम्पनियों को संकट पूंजी देने के लिये कोई उपबन्ध नहीं रखा । माननीय मंत्री जानते हैं कि उन को दी गई सहायता तभी उपयोगी और प्रभावोत्पादक सिद्ध होगी जब कि निगम ऋणों के अतिरिक्त उन्हें संकट पूंजी भी देगी । इस मूलभूत विषय पर विचार नहीं किया गया । अब जबकि हमें चार वर्ष का अनुभव है और

अधिनियम को संशोधित किया जाने लगा है, मेरे विचार में इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रवर समिति में विचार किया जा सकता है।

माननीय मंत्री ने कल कहा था कि ७ करोड़ रुपया तो पहले दिया जा चुका है। किन्तु इस ७ करोड़ रुपये के ऋण से हमें क्या आय हुई है। कुल ऋण १५ करोड़ रुपये का मंजूर किया गया है। माननीय मंत्री ने यह नहीं स्पष्ट किया कि शेष ८ करोड़ रुपये का ऋण जो कि मंजूर हो चुका है, सम्बन्धित उद्योगों ने क्यों नहीं लिया? उन्हें यह राशि लेने में संकोच क्यों है? एक कारण यह है, जैसा कि हाल की रिपोर्टों में बतलाया गया है कि यह ऋण उद्योगों के प्रयोजनों के लिये पूरा नहीं था।

श्री ए० सी० गुहा : शर्तें ही ऐसी हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : निस्संदेह शर्तें बहुत कठोर हो सकती हैं। हम करोड़ों रुपया तो खर्च कर रहे हैं परन्तु हमें उन का पूरा मूल्य वसूल नहीं हो रहा। इसी लिये मैं गम्भीरता से सरकार से कहता हूं कि अब संकट पूंजी देने की व्यवस्था करने का समय आ गया है। इस से मेरा अभिप्राय यह नहीं कि निगम जा कर सभी उद्योगों में हिस्से ले ले। इस प्रकार की सहायता उन मामलों में दी जा सकती है जिन में निगम यह समझता हो कि उस के भाग लेने के बिना वह विशिष्ट उद्योग विकसित नहीं हो सकेगा। परन्तु इस के साथ नियंत्रण भी अधिक रखना पड़ेगा।

मैं दो बातों पर बल देना चाहता हूं। पहली यह है कि औद्योगिक वित्त निगम का अपना एक निरिक्षण करने वाला और मंत्रणा देने वाला अभिकरण अवश्य होना चाहिये। मुझे कल यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि माननीय मंत्री का कुछ टेकनिकल विशेषज्ञ नियुक्त करने का विचार है। इस संस्था के साथ एक या दो अर्थ-शास्त्रियों को भी लगाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि इस निगम का सारा काम सरकार की सम्पूर्ण योजनाओं के अनुसार ही किया जाना चाहिये। एक धारणा यह भी है कि नये उद्योगों को--जो नई और महत्व-पूर्ण वस्तुएं बनाते हैं- निगम से उतनी तुरन्त सहायता नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिये थी। आप ने नये उद्योगों की जो कि देश के राष्ट्रीय विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। इस विधेयक में परिवहन को विकसित करने के लिये ऋण की व्यवस्था की गई है। और परिवहन सेवाएं भी तो हैं। उन के लिये भी व्यवस्था क्यों न की जाये? और यदि आप नौपरिवहन के लिये व्यवस्था करना चाहते हैं, तो जहाज़-निर्माण भी इस में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

१ म० प०

श्री त्यागी : मेरे लिये सारा विवरण सदन पटल पर रखना कठिन है, क्योंकि ऋणों को निश्चित करने के लिये अभी बातचीत की जा रही है और ऐसा करना लोकहित में भी नहीं है। हमारे प्रतिनिधि इस में भाग ले रहे हैं। अतः मैं खुले तौर से बात नहीं कर सकता।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं इसे अनुभव करता हूं। इसी लिये तो मैं कहता हूं कि इस विधेयक पर अग्रेतर विचार किया जाना चाहिये और यह यदि सदन में नहीं तो प्रवर समिति में किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं प्रवर समिति के लिये सरकार के नियम जान सकता हूं ताकि मैं सदन में वाद विवाद को नियमित कर सकूं?

श्री एम० सी० शाह : हमें यह स्वीकार नहीं है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का रवैया ऐसा है। हम कुछ उपयोगी सुझाव दे रहे हैं ताकि विधेयक के उपबन्धों में संशोधन किया जाये और सदन में चर्चा करने से विस्तृत परिवर्तन नहीं किये जा सकते।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह रिपोर्ट सदस्यों के पास नहीं है। हम इसे पढ़ कर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें यह रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह अधिक उपयोगी न होगा यदि रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों में परिचालित की जायें ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, ये पुस्तकालय से मिल सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : पुस्तकालय में एक प्रति भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि ये परिचालित की जायेगी।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि वाद विवाद को स्थगित कर के पहले रिपोर्ट परिचालित की जाये ? रिपोर्ट का अध्ययन किये बिना सदस्यों की चर्चा यथार्थ नहीं होगी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारे पास केवल २० प्रतियां हैं। सदस्य पुस्तकालय में जा कर इन्हें देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : हम इन का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहते हैं।

श्री त्यागी : छः प्रतियां सदन पटल पर रखी गई थीं। तत्काल ५०० प्रतियां उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

बहुत से माननीय सदस्य : उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस विषय पर लम्बी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री कृपया औद्योगिक वित्त निगम से पूछें कि कितनी प्रतियां मिल सकती हैं।

श्री त्यागी : मैं ने संदेश भेज दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जितनी प्रतियां उपलब्ध हों उन सब को पुस्तकालय में रख देना चाहिये। यदि वे सदस्यों की संख्या से कम भी हों, तो माननीय सदस्य मिलकर उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं माननीय मंत्री को यह परामर्श भी दूंगा कि वे सदस्यों में यह जानकारी भी परिचालित करें कि यह धन किस तरह खर्च किया गया है, ताकि इस पर उचित नियंत्रण रख सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब चर्चा उस जानकारी पर निर्भर है जो कि सदस्यों में परिचालित की जानी है, मैं इस विधेयक को कल तक स्थगित करता हूं।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये ढ़ाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

———

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढ़ाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

खाद्य अपमिश्रण विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"खाद्य के अपमिश्रण को रोकने वाले विधेयक को श्री संतोष कुमार दत्त, श्री

लोक नाथ मिश्र, डा० राम सुभग सिंह, श्री कैलाशपति सिन्हा, श्री हीरा सिंह चिनरिया, श्री अमर नाथ विद्यालंकार, श्री भीखा भाई, सरदार राज भानु सिंह तिवारी, श्री के० जी० देशमुख, श्री बैजनाथ महोदय, श्री टी० मादिया गौड़ा, श्री एच० एस० रेड्डी, श्री के० पी० गौंडर, श्री एम० एम० गांधी, श्री आर०जी०दुवे, श्री एच०एल०अग्रवाल, श्री विश्वनाथ राय, श्रीमती उमा नेहरू, श्री एन० एस० कजरोलकर, श्री सी० आर० नरसिंहन, श्री आर० वी० धुलेकर, डा० इन्दुभाई बी० अमीन, सरदार लाल सिंह, श्री के०केलप्पन, डा० चौ० वी० रामाराव, श्री टी० के० चौधरी, श्रीमती एम० चन्द्रशेखर और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाये" ।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी । मेरे विचार में सदन में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो कि इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का स्वागत नहीं करेगा । जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है खाद्य अपमिश्रण के सम्बन्ध में सभी भाग क राज्यों में और कुछ भाग ख और भाग ग राज्यों में कानून मौजूद हैं परन्तु उन में एकरूपता नहीं है । मेरे विचार में ऐसी परिस्थतियों में जब कि खाद्य अपमिश्रण एक बड़ा खतरा बन गया है या बन रहा है, इस विषय में कुछ पग उठाना आवश्यक है ।

इस विधेयक के बारे में सब राज्यों की रायें प्राप्त हो चुकी हैं और उन के सब उपयोगी सुझाव इस में सम्मिलित किये गये हैं । कुछ वर्षों से मेरी यह धारणा रही है कि यद्यपि खाद्य अधिनियम जारी रहे हैं, फिर भी इस खतरे को सरकारी शासन यन्त्र की अपर्याप्तता के कारण दूर नहीं किया जा सका । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि न केवल शासन यन्त्र ही अपर्याप्त है अपितु इस में इमानदारी की कमी भी है । अतः हम चाहे कैसा ही कानून बनायें राज्य सरकारों को यह देखना होगा कि यह अपर्याप्तता दूर की जाये और शासन यन्त्र में इमानदारी की भावना पैदा की जाये ।

कुछ मित्र यह चाहते हैं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये । मैं समझती हूं कि अब इस की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि राज्य सरकारों से परामर्श ले लिया गया है और काफी समय तक यह परामर्श लिया जाता रहा है । इस नये विधेयक पर भी उन्हें २२ दिसम्बर से पहले पहले अपनी राय दे देने के लिये कहा गया है, ताकि प्रवर समिति को उनके किन्हीं अग्रेतर सुझावों पर विचार करने का काफी समय मिल सके ।

इस विधेयक में ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं । इन में से सब से पहला यह है कि एक केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला बनाई जाये क्योंकि खाद्य निरीक्षकों तथा विक्रेताओं को किसी राज्य के सरकारी विश्लेषक के किसी खाद्य पदार्थ के विश्लेषण रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं होती और इस के किसी उच्च अधिकारी द्वारा विश्लेषण करने की व्यवस्था नहीं है । इसलिये केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला बहुत महत्वपूर्ण होगी । यह न केवल उन खाद्य पदार्थों का जिन का संतोषजनक रूप से विश्लेषण नहीं किया गया, विश्लेषण करेगी, अपितु उन आयातित खाद्य पदार्थों के नमूनों का भी विश्लेषण करेगी जो कि बन्दरगाहों से सीमाशुल्क कलैक्टरों द्वारा या अन्य प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा भेजे जायेंगे । यह खाद्य पदार्थों का प्रमाण निश्चित करने के लिये भी अनुसंधान करेगी । इस के अतिरिक्त यह प्रयोगशाला राज्य की प्रयोग-

[राजकुमारी अमृत कौर]

शालाओं को सहयोग से विश्लेषण के तरीकों का प्रमापीकरण भी करेगी । मेरे विचार में खाद्य प्रयोगशाला, केन्द्रीय समिति और राज्य समितियों के स्थापित हो जाने से कार्य क्षमता बहुत बढ़ जायेगी ।

खाद्य के कानूनों के सम्बन्ध में सदा यह शिकायत रही है कि अपराधों के लिये बहुत कम दंड रखा गया है और कई बार न्यायलय इतना दंड भी नहीं देते । इस विषय में भी विधेयक में कुछ अधिक सख्त उपबन्ध रखे गये हैं ।

अतः मैं आशा करती हूं कि जिन लोगों ने अग्रेतर परिचालन के संशोधन प्रस्तुत किये हैं, वे इन्हें वापस ले लेंगे और अपने सुझाव प्रवर समिति को भेजेंगे । उन पर विचार करने के लिये काफी समय है और मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक को यथासंभव शीघ्र संसद् के अगले सत्र में पारित कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रसतुत हुआ ।

कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधनों की पूर्व सूचनायें दी हैं । मैं उन से जानना चाहूंगा कि क्या वे उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला संशोधन श्री एस० वी० रामास्वामी के नाम से है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम): मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा श्री वीरास्वामी के नाम से है ।

श्री वीरास्वामी (मयूरम) : मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "अगले सत्र के पहिले दिन तक विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

एक संशोधन श्री जजवाड़े के नाम से है । क्या माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जजवाड़े: नहीं ।

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । अब मूल विधेयक तथा संशोधन पर वाद विवाद होगा ।

श्री रघवीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । सब लोग जानते हैं कि खाद्य में मिलावट करने की कुप्रथा बढ़ती ही जा रही है । इसलिये इस विधेयक का जो कि इस बुराई को रोकेगा, स्वागत करना चाहिये । राष्ट्र के स्वास्थ्य निर्माण में खाद्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य सामान्यतया बहुत खराब है । अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की जन्म संख्या सब से अधिक है किन्तु औसत आयु सब से कम है और परिणामस्वरूप मृत्यु संख्या भी सब से अधिक है । इस का कारण क्या है ? मैं समझता हूं कि इस का कारण लोगों की गरीबी और उन के भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी है । हमारे देश के अधिकांश लोग शाकाहारी हैं । उन का मुख्य भोजन दूध और दूध से बनी हुई चीजें होती हैं । और सब से अधिक मिलावट भी इन खाद्य पतार्थों में की जाती है । हम प्रति दिन देखते हैं कि दूध में, विशेषतया उस दूध में जो नगरों में बेचा जाता है, बेचने वाले न केवल पानी बल्कि अरारोट भी मिला देते हैं और घी में वनस्पति तेल मिलाया जाता है । जनता की ओर से आग्रह पूर्वक यह मांग की जाती रही कि वनस्पति को रंग दिया जाये ताकि

इस में और शुद्ध घी में भद किया जा सके। वर्तमान विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिस से कि वनस्पति के निर्माताओं के लिये इसे रंग देना अनिवार्य बनाया जा सके। मैं समझता हूं कि यदि विधेयक में इस प्रकार का विशिष्ट उपबन्ध न रखा गया, तो इस में एक बड़ी भारी कमी रहेगी। मेरे विचार में विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय घी अपमिश्रण समिति की सिफ़ारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आशा करता हूं कि जब यह विधेयक प्रवर समिति के पास जायेगा तो यह कमी दूर कर दी जायेगी।

जहां तक दंड के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा नम्र निवेदन यह है कि विधेयक में तीन मास क़ैद का जो दंड रखा गया है, वह पर्याप्त नहीं प्रतीत होता। अपमिश्रण समाज के प्रति अपराध है और इस के लिये अधिक सख्त दंड होना चाहिये। मेरे विचार में एक वर्ष तक की क़ैद की व्यवस्था होनी चाहिये।

३ म० प०

इस विधेयक के सम्बन्ध में, जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या इसे सख्ती से लागू करने से हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे ? मेरे विचार में ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि इस समय शुद्ध दूध और घी की कमी है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को यह अपना कर्तव्य समझना चाहिये कि वह अपनी ही निगरानी में इतना दूध और घी पैदा करे कि देश के सब वयस्कों की आवश्यकतायें पूरी हो सकें। जब तक सरकार यह काम अपने हाथ में न लेगी, तब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा चाहे सरकार इस विधेयक को अधिकतम सख्ती से लागू क्यों न करे।

मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति में इस विधेयक की त्रुटियां दूर कर दी जायेगी और जिस माननीय सदस्य ने विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वे इसे वापस ले लेंगे।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मिलावट का बिल (खाद्य अपमिश्रण विधेयक) हमारे सामने पेश किया गया है इस की बहुत जरूरत है, खास कर हिन्दुस्तान जैसे मुल्क के वास्ते जहां कि ज्यादातर लोग मिलावट में विश्वास रखते हैं। हम हिन्दुस्तानियों का चरित्र स्तर इतना गिर गया है कि हर चीज में मिलावट करते हैं। दूध में क्या, और घी में क्या, दालों में क्या और दवाइयों में क्या, यहां तक कि अनाज में मिट्टी और कंकर तक मिलाये जाते हैं। यह एक ऐसी प्रथा चल गई है जिस की वजह से हमारे देशवासियों की सेहत का पतन होता जा रहा है। इस बिल में खास बात जो इस में सज़ा देने की रखी गई है वह तो है ही, लेकिन हम को यह भी प्रबन्ध करना चाहिये कि किस तरह से हमारी जनता का चरित्र अथवा स्तर उठे जिस से कि इस को वह बुरा और पाप समझे। विदेशों में दूध में पानी मिलाना कोई जानता तक नहीं है। लेकिन हमारे देश में दूध में पानी मिलाया जाना मामूली बात है। मक्खन उस में से निकाला जाता है और न जाने क्या क्या बुरे कर्म किये जाते हैं। इस तरह से दूध में, घी में और तेल में मिलावट की जाती है, जिस की वजह से हमारे भारतवासियों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप देखेंगे कि हमारे भारतवासियों की आयु कितनी कम होती जा रही है। जब कि विदेशों में एक इन्सान की औसत उम्र ५४ या ५६ वर्ष है तब हमारे हिन्दुस्तान में २५-२६ वर्ष है। इस का खास कारण यह है कि शुद्ध पदार्थ खाने को नहीं मिलते। एक तो गरीबी दूसरे खाने को जो मिलता है वह अशुद्ध मिलता है, इसलिये

[सेठ अचल सिंह]

हमारे देशवासियों की तन्दुरुस्ती का पतन होता जा रहा है।

इसलिये जो यह बिल लाया गया है कि मिलावट करने में रुकावटें हों वह बहुत ही आवश्यक है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सिलैक्ट कमेटी इस बिल को इस तरह से बनायेगी कि जिस से इस का ठीक ठीक प्रयोग हो सके। मैं देखता हूं कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में और बहुत सी स्टेट्स में अडल्टरेशन ऐक्ट बने हुये हैं। लेकिन फिर भी मिलावट नहीं रुकती है। इस का कारण यह है कि लोकल सैल्फ गवर्नमेंट अर्थात् चुंगियां इस का इन्तजाम करती हैं। उन के जो इन्सपैक्टर होते हैं वह इतने निकम्मे और गिरे हुये होते हैं कि मिलावट को रोकन का कोई काम नहीं हो सकता। उन का माहवारी पैसा बंधा हुआ होता है दूध वालों से, घी वालों से, हलवाइयों से, मिठाई का काम करने वालों आदि से। इस कारण तमाम जगह मिलावट चलती है। इस को भी देखना होगा कि इस को कैसे रोक सकते हैं, क्यों कि यहां तो ऊपर से नीचे तक एसी हालत पैदा हो गई है कि किस तरह से नाजायज़ फायदा उठाया जाय। इस लिये मैं चाहूंगा कि सिलैक्ट कमेटी इस बात पर जरूर गौर करे कि इस को कैसे रोका जाय।

अभी हालत यह है कि जो नमूने जांच के लिये भेजे जाते हैं उन तक में गड़बड़ी हो जाती है। इस में जो पहली बार तीन महीने की सज़ा और दूसरी बार में साल भर तक की सज़ा रखी है वह ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि आज कल स्टेट्स में ज़्यादातर लम्बे लम्बे जुमाने होते हैं। दूध में पानी मिलाने पर या मक्खन निकाल कर दूध बेचने पर १०० रुपये या २५० रुपये तक जुर्माने होते हैं। लेकिन जब तक सजा नहीं होगी तब तक लोग नहीं डरेंगे। इसलिये डर के साथ साथ हमें जनता के चरित्र अथवा स्तर को उठाना अथवा जनता के विचारों को भी सुधारना है ताकि वह इस प्रथा से दूर रहें क्यों कि इस से न सिर्फ उन्ही का बल्कि तमाम देश का पतन होता है, स्वास्थ्य खराब होता है और उम्र में कमी होती है। तमाम बीमारियां बढ़ती हैं और देशवासियों पर तमाम मुसीबतें आती हैं। आज कल हम देखते हैं कि दवाइयों में भी अडल्टरेशन चल गया है और बहुत सी नकली दवाइयां चल रही हैं। हर क़िस्म की पेटेण्ट दवाइयां होती हैं उन की खाली शीशियों में नकली दवा भर कर असली के अनुसार पेकिंग कर के सस्ते दामों में बेच कर जनता को धोखा देते हैं। इसका बहुत बुरा असर मरीज़ की सेहत पर पड़ता है। मैं ने देखा कि पेनसिलीन की जगह नकली चीज भर देते हैं आदि।

इस बिल का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सिलैक्ट कमेटी इन सब बातों पर विचार करेगी जिस से कि यह मिलावट की बुरी बीमारी जो हमारे देश में फैली हुई है, दूर हो सके।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : यद्यपि विभिन्न राज्यों में मिलावट विरोधी कई अधिनियम लागू ह, फिर भी मिलावट बन्द नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है। अतः यह विधेयक कोई नया नहीं है। इस में केवल उन विभिन्न अधिनियमों को इकट्ठा कर के एक रूप दे दिया गया है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस के अधिनियमित किये जाने से मिलावट किस हद तक कम हो जायेगी क्यों कि यह बुराई तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि खाद्य पदार्थों के व्यापारियों के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा

और जब तक जनता अपमिश्रण को सहन करती रहेगी ।

अपमिश्रण का प्रश्न बहुत विशाल है किन्तु मैं अपने भाषण को घी में वनस्पति की मिलावट तक ही सीमित रखूंगा । डा० राइट ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि वनस्पति के कुल उत्पादन का ९० प्रति शत घी में मिलाने के लिये प्रयोग किया जाता है । इस रिपोर्ट पर ध्यान न दे कर मैं सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर यह समझ लेता हूं कि २९ प्रति शत मिलावट के प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जाता है । इस का अर्थ यह है कि इतना वनस्पति घी के तौर पर बेचा जाता है । शेष मात्रा में से बहुत से लोग इस ख्याल से वनस्पति खरीद लेते हैं कि इस में घी के सब गुण हैं । इस तरह ७ करोड़ रुपये से अधिक का वनस्पति बेचा जाता है और लोगों को ठगा जाता है । वनस्पति वाले अपने पदार्थ के बारे में झूठे दावे कर के लोगों को धोका दे रहे हैं । खंड २ (९) (ङ) में कहा गया है कि किसी खाद्य पदार्थ के बारे में झूठे दावे करना दण्डनीय अपराध होगा । मैं यह बतालना चाहता हूं कि वस्नपति के निर्माताओं द्वारा किस तरह झूठे दावे किये जाते हैं । वे तो ऐसी बातों का उद्धरण देते हैं, जो कि सरकार की ओर से कभी कही ही नहीं गई । वे वनस्पति के पौष्टिक तत्वों के बारे में झूठे दावे करते हैं, यद्यपि किसी ने इन्हें सिद्ध नहीं किया । इन दावों से प्रभावित हो कर अनजान ग्राहक यह समझ बैठते हैं कि वे असली घी खरीद रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को अब वनस्पति के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहिये । यह कोई वनस्पति विधेयक नहीं है । और भी तो खाद्य पदार्थ हैं जिन में मिलावट की जा सकती है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री दाभी : अन्य बहुत से खाद्य पदार्थ भी जिन्हें दुकानदार शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद बतलाते हैं मिलावटी पाये जाते हैं ।

यद्यपि इस विधेयक से खाद्य पदार्थ का अपमिश्रण बन्द न होगा, फिर भी मैं कुछ संशोधनों के सुझाव दूंगा । मेरा पहला सुझाव खंड २ (९) (ङ) के बारे में है । इस खंड में कहा गया है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ के बारे में कोई झूठे दावे किये जायेंगे तो उस पदार्थ को झूठे चिन्ह वाला समझा जायेगा और दावे करने वाले को दंड दिया जायेगा । मेरा सुझाव यह है कि इस उपखंड में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि जब किसी खाद्य पदार्थ के बारे में कोई दावा किया जायेगा तो उस दावे को सच्चा सिद्ध करने का दायित्व दावा करने वाले पर होगा । मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति मेरे इस संशोधन पर विचार करेगी और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के साथ सख्ती का बर्ताव करेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यद्यपि यह विधेयक आज से बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, फिर भी मैं इस का स्वागत करता हूं । किन्तु मेरी शिकायत यह है कि यह विधेयक काफ़ी व्यापक नहीं है । आज कल हम क्या देखते हैं ? घी, दूध, आटा, दवाइयों चावल अर्थात् प्रत्येक खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है । यदि यह बुराई नगरों तक ही सीमित होती, तो राज्यों में और केन्द्र में कुछ सरकारी विश्लेषक और समितियां नियुक्ति करने से इसे रोका जा सकता था । किन्तु यह मिलावट तो ग्रामों में भी हो रही है । ग्रामों में भी शुद्ध दूध या घी मिलना असम्भव है ।

मैं पूछता हूं कि वनस्पति के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ? सरकार ने, माननीय प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री, खाद्य उपमंत्री ने इस सदन में आश्वासन दिया थे कि जहां तक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वनस्पति का सम्बन्ध है, वे इस को रंग देने की व्यवस्था करेंगे और भारत के सब वैज्ञानिकों से कहेंगे कि इस के लिये रंग निकाला जाये । इन सब आश्वासनों के बावजूद आज तक वे कोई रंग नहीं तैयार कर सके । मैं यह नहीं कहता कि वैज्ञानिक असफल रहे हैं या उन्हें विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान नहीं है । मैं तो यह जानता हूं कि वनस्पति के निर्माता बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं । मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में हम कब एक रंग ढूंढ सकेंगे ।

मुझे हर्ष है कि विधेयक में झूठे चिन्ह की व्याख्या की गई है और इस प्रकार का अपराध करने वाले को दंड देने की व्यवस्था की गई है । परन्तु किस तरह से दंड दिया जायेगा । वह अपराध बहुत ही थोड़े हैं जिन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का आश्रय नहीं लिया जा सकता । अधिकांश मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३ और अन्य धाराओं के अन्तगत किये गये अपराधों के सम्बन्ध में भी,—कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा कर अपराधी को दंड दिला सकता है । किन्तु यदि कोई व्यक्ति मुझे विष भी पिला दे, तो मैं इस घोर अपराध के लिये उसे दंड नहीं दिला सकता । केवल स्थानीय या राज्य सरकार ही ऐसा कर सकती है । इस सम्बन्ध में मैं प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि निजी तौर पर शिकायत करने पर जो प्रतिबन्ध है, उसे हटाने के प्रश्न पर विचार किया जाये ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे राष्ट्र के अधिकांश लोग ग्रामों रहते हैं । क्या वहां पर सरकारी विश्लेषक और प्रयोगशालायें हैं ? वहां पर कैसे पता लग सकता है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की गई है या नहीं ? यदि आप चाहते हैं कि विश्लेषक नियुक्त करने की प्रणाली से लाभ उठाया जाये, तो आप को कम से कम प्रत्येक ज़िले में एक सरकारी विश्लेषण नियुक्त करना पड़ेगा ।

मेरा निवेदन यह है कि हमारा उद्देश्य केवल एक अधिनियम बना देना नहीं है । ऐसे अधिनियम तो राज्यों में बड़ी देर से हैं किन्तु इन्हें लागू करने का कष्ट कोई नहीं करता । जहां भी इन का प्रयोग किया गया है, यह निर्दोष व्यक्तियों की जबों से रुपया निकालने के लिये दिया गया है । इनका बहुत दुरुपयोग किया जाता है । मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जिन में इन्स्पैक्टरों ने निर्माताओं आदि पर मुकदमा चला कर बहुत रुपया कमाया है । इस अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिये मैं कुछ सुझाव प्रवर समिति के सामने रखूंगा । पहली बात तो यह है कि विश्लेषकों के लिये पन्द्रह दिन की अवधि में अपनी राय दे देना अनिवार्य कर देना चाहिये । दूसरी बात यह है कि जब खाद्य इन्स्पैक्टर किसी पदार्थ का नमूना ले रहा हो, उस के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वह उस व्यक्ति को जिस से नमूना लिया गया है सूचित करे, ताकि वह या उसका कोई अधिकृत अभिकर्ता वहां उपस्थित हो सके । खंड ११ में कहा गया है कि तीन नमूने लिये जाने चाहिये और उन में से एक उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिये । आजकल ऐसा होता है कि खाद्य इन्स्पैक्टर, जो कि उस स्थान के व्यापारियों से मिला हुआ होता है एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर देता है जो कि वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होता । व्यापारी की कोई हानि नहीं होती, उस का माल बिक जाता है । इन्स्पैक्टर निर्माता को पकड़ता है और उस पर अभियोग चलाता है, कि माल उस ने भेजा है । वह कहता है कि वह व्यक्ति उस का प्रतिनिधि नहीं है

यही तो कठिनाई है । हमें विधेयक को ऐसा रूप देना चाहिये, जिस से कि निर्दोष व्यक्तियों पर कोई आपत्ति न आये । कम्पनियों द्वारा किये गये अपराधों के सम्बन्ध में भी विधेयक में वही व्यवस्था है । यह उचित नहीं है । आप असली अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं किन्तु आप प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह संचालक हो या कोई और, उत्तरदायी बना देते हैं । मेरे विचार में ऐसे अभियोगों की आज्ञा देना ठीक नहीं है । यदि असली अपराधी नहीं पकड़ा जा सकता, तो आप किसी पर मुकदमा मत चलाइये । यह जानने के लिये कि दोषी कौन है, आप का निर्दोष व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकते । इसी लिये मेरा निवेदन यह है कि नमूने आदि लेने के सम्बन्ध में कुछ सुरक्षण रखे । इसके साथ, खंड १२ की ओर निर्देश करते हुये, मैं यह चाहता हूं कि किसी पदार्थ का विश्लेषण करवाने का अधिकार केवल खरीदारों को नहीं बल्कि सब आदमियों को देना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि केवल यह विधेयक ही अपमिश्रण की बुराई को दूर करने के लिये पर्याप्त नहीं है । इस के लिये सरकार को लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा करना होगा और यह प्रचार करना होगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न की जाये, जब तक लोग स्वयं यह अनुभव न करें कि अपमिश्रण करना अनुचित है, तब तक यह समस्या हल न होगी ।

अभी मेरे एक मित्र ने कहा है कि अन्य देशों की अपेक्षा यहां खाद्य की पौष्टिकता बहुत कम है । अन्य देशों में एक व्यक्ति के खाद्य में २,००० केलोरीज़ होती है परन्तु भारत के लोगों के खाद्य में १,००० या १,२०० केलोरीज़ होती है । मेरे विचार में सरकार को इस विषय में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये और खाद्य पदार्थों की शुद्धता का स्तर नहीं गिरने देना चाहिये । वनस्पति के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि प्रत्येक नगर पालिका, छावनी और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वह बाडोइन टेस्ट करने से पहले वनस्पति बेचने की आज्ञा न दे ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को इतना अनुभव है । प्रवर समिति के सदस्य क्यों नहीं बनते ? सरकार उन्हें प्रवर समिति में लेने के लिये तैयार होगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मुझे इस बात की चिंता नहीं है । मुझे यहीं सब कुछ कहने का अधिकार है । इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह कहूंगा कि दंड सम्बन्धी अधिनियमों में जो सुरक्षण और उपबन्ध होते हैं, वे सब इस विधेयक में आदिष्ट करने चाहियें और दंड भी अपराध की गुरुता के अनुकूल होना चाहिये ।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय मंत्री से ज्ञात हुआ है कि औद्योगिक वित्त निगम की २०० प्रतियां अब उपलब्ध हैं । ५० प्रतियां पुस्तकालय में रखी जायगी और १५० सूचना कार्यालय में रखी जायेंगी । माननीय सदस्य वहां से ये प्रतियां ले सकते हैं । इस के साथ माननीय मंत्री ने एक नोट तैयार किया है जिस में उन ऋणों का, जो गत वर्ष विभिन्न व्यक्तियों को दिये गये हैं, विवरण दिया गया है ।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): विभिन्न प्रकार के उद्योगों को दिये गये ऋणों का ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कल बहुत से सदस्यों ने, विशेषतया श्री गुहा ने यह आरोप लगाया था कि ये ऋण सम्बन्धियों आदि को दिये गये हैं । मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप मंत्रालय से उन व्यक्तियों की सूची देने के लिये कहें, जिन्हें ऋण दिये गये हैं ।

श्री एम० सी० शाह : ऋण लेने वाले व्यक्तियों की सूची नहीं दी जा सकती, क्यों कि इस मामले में अधिनियम की धारा ३१ के अन्तर्गत बैंकर्स पंजी साक्ष्य अधिनियम लागू होता है और बैंकों की यह प्रथा है कि ऋण लेने वाले लोगों के नाम बाहर के लोगों को नहीं बतलाये जाते ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या बैंकर्स पंजी साक्ष्य अधिनियम के कारण मंत्री भी यह जानने के लिये कि वितरण ठीक तरह से हुआ है या नहीं, इन सूचियों को नहीं देख सकते ।

श्री एम० सी० शाह : सरकार तो देख सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो सदन को यह जानकारी प्राप्त करने से कैसे रोका जा सकता है ?

श्री एम० सी० शाह : यदि यह जानकारी प्रकाशित कर दी जाये, तो उस कम्पनी का अस्तित्व ख़तरे में पड़ जायेगा । बैंकों में ऋण लेने वालों के नाम कभी नहीं दिये जाते और औद्योगिक वित्त निगम भी तो वस्तुत: एक तरह का बैंक ही है । अधिनियम के एक उपबन्ध के अन्तर्गत सरकार संचालक मंडल को कुछ निर्देश दे सकती है और इन मामलों की जांच कर सकती है परन्तु ये चीज़ें सदन को नहीं बतलाई जा सकतीं ।

श्री फीरोज गांधी (ज़िला प्रतापगढ़––पश्चिम व ज़िला राय बरेली––पूर्व) : इन ऋणों को उन कम्पनियों के संतुलन-पत्रों में जिन्हें ये दिये जाते हैं, लिखा जाता है और यह पत्र हर एक व्यक्ति ले सकता है । तो फिर माननीय मंत्री कैसे कह सकते हैं कि उन के नाम नहीं बतालये जा सकते ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह सब जानते हैं कि जब भी ऋण दिया जाता है, सम्पत्ति गिरवी रखी जाती है और सरकार इसे अपने हाथ में ले सकती है । अत: नाम प्रकट करने में क्या कठिनाई है ?

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता––दक्षिण–पूर्व) : इस सामान्य आपत्ति के सम्बन्ध में, हम स्काब (एस० सी० ओ० बी०) का उदाहरण लेते हैं । जब इसे २॥ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था, तो मामला संसद् के सामने आया था और इस पर चर्चा भी हुई थी । अत: मैं पूछता हूं कि नाम बतलाने से इन कम्पनियों पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ? इस के विपरीत मैं तो समझता हूं कि ऐसा करने से वे कम्पनियां अधिक सुरक्षित हो जायेंगी क्यों कि उन्हें एक ऐसे निगम की स्वीकृति तथा सहायता मिलेगी जिसे कि सरकार का समर्थन प्राप्त है और इस कारण वे कम्पनियां खुले बाज़ार में और धन इकट्ठा कर सकेंगी । यदि नाम न बतलाये गये, तो लोगों में अनावश्यक सन्देह पैदा होगा । इस लिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह संसद् को विश्वास में ले, ताकि माननीय सदस्य इस संस्था के उचित प्रशासन के सम्बन्ध में रचनात्मक सुझाव दे सकें ।

श्री के० के० दिसाई (हालार) : मैं नहीं समझ सका कि नाम बतलाने में क्या आपत्ति हो सकती है । नाम बतलाने से वह अनावश्यक सन्देह जो ऋण लेने वालों के बारे में पैदा हो गया है, बिल्कुल दूर हो जायेगा ।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : मैं वचन देता हूं कि सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी और अपना उत्तर दे सकेगी।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): मेरा सुझाव यह है कि इस वाद विवाद को कल की बजाय सोमवार तक स्थगित किया जाये, ताकि माननीय सदस्यों को रिपोर्टें पढ़ने का समय मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे सोमवार को पुनः जारी किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : सोमवार को छुट्टी है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर मंगलवार को इस पर पुनर्विचार होगा।

खाद्य अपमिश्रण विधेयक--जारी

कुमारी एनी मस्करीन : श्री भार्गव ने अपने भाषण में कहा था कि न केवल खाद्य बल्कि दवाइयों में भी मिलावट की जाती है। इसी लिए मैंने एक संशोधन भेजा था कि दवाइयों को भी इस विधेयक में सम्मिलित करना चाहिए। विदेशों में इस सम्बन्ध में जो कानून बनाये गये हैं, उन से स्पष्ट है कि ये केवल खाद्य तक ही सीमित नहीं हैं। खाद्य की परिभाषा में केवल वे खाद्य पदार्थ ही सम्मिलित नहीं जो कि हम अपने पोषण के लिए खाते हैं बल्कि वे खाद्य भी हैं जो कि हम अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए और बीमारियों का इलाज करने के लिए खाते हैं। इसीलिए इन दोनों के सम्बन्ध में विदेशों में एक ही अधिनियम--खाद्य तथा-भेषज अधिनियम—बनाया गया है।

राजकुमारी अमृतकौर : माननीय सदस्य की गलत फ़हमी दूर करने के लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि एक केन्द्रीय भेषज अधिनियम पहले से ही मौजूद है और यथा-समय मैं इस में कुछ संशोधन प्रस्तुत करूंगी। अतः एक खाद्य तथा भेषज अधिनियम की मांग करने से कोई लाभ नहीं।

भेषज अधिनियम पहले से मौजूद है।

कुमारी एनी मस्करीन : मेरे विचार में दोनों विषयों के सम्बन्ध में एक ही व्यापक अधिनियम वर्तमान परिस्थितियों के अधिक अनुकुल होगा क्योंकि खाद्य तथा भेषज की परिभाषा देना बहुत कठिन है। खैर मैं इस मामले को सरकार पर छोड़ती हूं।

मैं आप का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूं। यहां आने से तुरन्त पूर्व हमें त्रिवेन्द्रम् में एक मिला जुला चावल दिया गया था, जिस में सफ़ेद और पीले दोनों किस्म के चावल थे। पीले रंग के चावल को उबालने से उस में से पाखाने जैसी दुर्गन्ध आती है। माननीय मंत्री की जानकारी के लिए मैं इस का एक नमूना यहां लाई हूं। यह चावल सरकार द्वारा वितरित किया जाता है :

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के अन्तर्गत आप इस चावल को विश्लेषक के पास भेज सकती हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : इस विधेयक के अन्त में एक खंड यह है कि इस के पारित हो जाने के बाद अन्य सब कानून अमान्य हो जायेंगे। अतः पहले केन्द्रीय सरकार को इसे अपने ऊपर लागू करना चाहिए और उसके बाद दूसरों पर। वनस्पति के बारे में भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि कानून के विरुद्ध और जनमत के विरुद्ध इस पदार्थ को बेचने और वितरित करने की आज्ञा दी जाती है।

दंड के बारे में यह कहती हूं कि इस प्रकार के अपराधों के लिए कड़ा निरोधक दंड दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में जो

[कुमारी एनी मस्करीन]

दंड रखा गया है वह पर्याप्त कड़ा नहीं है । खाद्य और दवाइयों के अपमिश्रण से मानव जाति को इतनी हानि पहुंचती है कि इसे घोर अपराध या मानव-हत्या ही समझना चाहिए । इग्लैंड में यदि कोई व्यक्ति खराब या अशुद्ध खाद्य के कारण मर जाये तो इस के लिए मानव-हत्या का दंड दिया जाता है । मेरे विचार में हमारे देश में भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं चाहती हूं कि चावल का जो नमूना मैं ने माननीय मंत्री को दिया है, वे इसे उबाल कर इस की दुर्गन्ध से आनन्द लें, वही आनन्द जो हम अपने घर में ले रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह सब मानते हैं कि खाद्य में मिलावट की जाती है । परन्तु क्या इस कारण सब मिलावटी पदार्थों को यहां ला कर प्रदर्शित करना उचित है ?

कुमारी एनी मस्करीन : किन्तु यह तो सरकार ने वितरित किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी ने भी किया हो । फिर भी क्या हमें वनस्पति, दवाइयों की बोतलें आदि यहां ले आनी चाहिएं ।

श्री वी० पी० नायर : इस में सरकार को दंड देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । केवल कम्पनियों और निजी व्यक्तियों को दंड देने की व्यवस्था है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मेरा निवेदन है कि मेरी इच्छा किसी की मानहानि या आलोचना करने की नहीं है किन्तु मंत्री बन जाने के बाद भी कोई व्यक्ति मानव ही रहता है और उस पर भी अन्य लोगों की तरह देश के सामान्य कानून लागू होते हैं । केवल भाषण देने से सदन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि इन पदार्थों को प्रदर्शित कर के इस की पुष्टि करने से होता है ।

अपमिश्रण तो पहले से होता आया और भविष्य में भी होता रहेगा, किन्तु केवल इस कारण कि यह सरकार द्वारा किया जाता है मैं डर कर इस तथ्य को छिपा नहीं सकती । मैं उन लाखों लोगों का प्रतिनिधि करते हुए, जिन्होंने मुझे यहां भेजा है यह कह रही हूं कि उन के स्वास्थ्य को इस प्रकार का चावल खाने से हानि पहुंच रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी मिलावट करेगा उसे दंड दिया जायेगा और कानून ऐसा होना चाहिए कि सब अपराधों उसकी ज़द में आ सकें ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मुझे हर्ष है कि आप ने यह बात स्वीकार की है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री से आशा करती हूं कि वे इस के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस में आवश्यक परिवर्तन करेंगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, स्वाभाविकतया प्रत्येक व्यक्ति उन का समर्थन करता है । इस के साथ ही यह अच्छा होता यदि माननीय मंत्री अपने भाषण में यह बतला देतीं कि विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के कानूनों से क्यों सफलता प्राप्त नहीं हुई । जहां तक हमारा अनुभव है, उन राज्यों में जहां इस प्रकार के अधिनियम हैं, दो मनोवृत्तियां पाई जाती हैं । पहली यह है कि निर्दोष व्यक्तियों को शिकार बनाया जाता है और दूसरी यह है कि बड़े बड़े और शक्तिशाली लोग बिना दंड के साफ़ बच जाते हैं । इस दृष्टिकोण से मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से सहमत

हूं कि विधेयक के उपबन्ध अधिक कड़े बनाये जाने चाहियें ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में अन्य बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए । सब से पहले हमें लोगों की वर्तमान आर्थिक अवस्था पर विचार करना है । हम देखते हैं कि उन लोगों में जो कि बंगाल में इस विधेयक की ज़द में आते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या उन छोटे छोटे छाबड़ी वालों की है जो कलकत्ता में मिलों और कार्यालयों के पास भाजी, चाय या फल बेचते हैं । और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अत्यन्त अस्वास्थ्यकर अवस्था में परोठे और रोटियां बना कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं । इस सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु वे किस चीज़ में मिलावट करते हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विधेयक के कुछ खंड ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध खाद्य के सड़ने या अस्वच्छ होने, सफ़ाई और अस्वास्थ्यकर अवस्था से है। अतः यह विधेयक इन पर भी लागू होता है । अशिक्षित होने के कारण वे यह नहीं जानते कि क्या चीज़ स्वास्थ्यकर और क्या अस्वास्थ्यकर है ।

इन छोटे छोटे लोगों की रक्षा करने के लिए औद्योगिक समवायों को केन्टीन खोलने पड़ेंगे, जिनमें कर्मचारियों को उचित तथा शुद्ध खाना मिल सके । हम यह चाहते हैं कि छोटे छोटे छावड़ी वालों को अनावश्यक रूप से दंड न दिया जाये । हम ने देखा है कि कलकत्ता की सड़कों पर पुलिस अकस्मात् इन छोटे छोटे छाबड़ी वालों पर छापा मार कर उन के सब सामान ज़ब्त कर लेती है परन्तु हमें यह ज्ञात नहीं कि बाद में क्या होता है । क्या उन्हें प्रतिकर दिया जाता है या नहीं । खंड १० में कहा गया है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो इन्स्पैक्टर की राय में अपमिश्रित प्रतीत होता हो, वह जब्त किया जा सकता है । किन्तु जब विश्लेषण के बाद यह ज्ञात होता है कि यह अपमिश्रित नहीं है, तो सरकार की ओर से उस व्यक्ति को प्रतिकर देने का कोई उपबन्ध नहीं है ।

एक और उपबन्ध में कहा गया है कि यदि कोई पक्ष सरकारी विश्लेषक के विश्लेषण से संतुष्ट न हो, तो वह शुल्क दे कर एक नमूना केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला को भेज सकता है । जहां तक छोटे छोटे छाबड़ी वालों का सम्बन्ध है, यह उपबन्ध अप्रयुक्त ही रहेगा ।

कम्पनियों के बारे में खंड १७ के पहले भाग में कहा गया है कि किसी कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु यह सिद्ध हो जाये कि प्रबन्धक को अपराध किये जाने का ज्ञान नहीं था, तो उसे छोड़ दिया जायेगा । इन बातों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है ।

मैं एक प्रश्न यह भी पूछना चाहूंगी कि इस का कारण क्या है कि उन राज्यों में भी जहां खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू है, सरकार द्वारा जो चावल, आटा आदि वितरित किया जाता है वह सड़ा हुआ होता है । सरकार उन लोगों को दंड देने के लिए जो कि खाद्य में मिलावट करते हैं अधिकार ले रही है, किन्तु यदि सरकार ही स्वयं अपराधी हो तो क्या किया जावेगा ? हमें इसका उत्तर मिलना चाहिए ।

राज्य विधान के अप्रयुक्त पड़े रहने का एक मुख्य कारण यह भी है कि सारी प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था द्वारा चलाई जा रही है, जो कि स्वयं विधेयक में प्रख्यापित सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में असमर्थ

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

है और प्रणाली इतनी पेचीदा है कि इसे प्रशासित नहीं किया जा सकता। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने साधारण ग्रामीण व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उस का समर्थन करती हूं। क्या हम उसे विश्लेषक की सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर देंगे? क्या वह सारी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकेगा। वह किस तरह इस विधेयक से लाभ उठा सकेगा? शुल्क का प्रश्न इन के अतिरिक्त है। इन सब बातों पर विचार करना होगा।

श्री यू० एस० मल्लय्या (दक्षिण कनड़ा —उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अब प्रश्न पर मत लिया जाये।"

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व): श्रीमती सुचेता कृपलानी और अन्य सदस्य वादविवाद में भाग लेना चाहते हैं। क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक के सम्बन्ध में हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय : जब विधेयक प्रवर समिति से वापस आयेगा, तो माननीय सदस्यों को इस पर बोलने का एक और अवसर मिलेगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी: इस मामले में अधिक शीघ्रता लाई जा सकेगी यदि विधेयक के प्रवर समिति के पास जाने से पूर्व ही सदन को इस पर पर्याप्त चर्चा करने का अवसर मिले।

श्रीमती मायदेव (पूना—दक्षिण) : आपको इस पक्ष की महिला सदस्याओं को भी बोलने का अवसर देन चाहिए।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी प्रार्थना का कुछ न कुछ उत्तर तो देगी।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : म आप से प्रार्थना करती हूं कि हमें इस विधेयक पर, जिसमें हर एक को दिलचस्पी है, बोलने के लिए और समय दिया जाये।

राजकुमारी अमृतकौर : श्रीमान्, मुझे सदन को अधिक समय देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम कल प्रातः प्रश्नकाल के बाद एक बजे तक इस पर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, २७ मई, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।